खण्ड-330, अंक-2
शनिवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1899
(18 मार्च, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 18 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य --- (371)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त, यादव श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्र साद सिंह,श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदेसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)

गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहरलाल , डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार , श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविंद", श्री
बलदेव, श्री

बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगवती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री

राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राम मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी, सिंह श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री

सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत , श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, (सिन्ध)श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबे दार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

वित्तीय वर्ष 1977-78 का अनुपूरक अनुदान

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 110 के खंड 6 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-सूची की मद संख्या 1 स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आपने मुझको कोई सूचना नहीं दिया है। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, नियम 110 को सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

आपको मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप कार्यवाही चलने दें। मैं आपको अनुज्ञा नहीं देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं व्यवस्था नहीं मांगता हूं। क्या नियम का मेरा प्रश्न नहीं आयेगा? बिना नियम के तो हाउस चलेगा ही नहीं। मैं समझता हूं कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1977-78 के अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हू।

श्री अध्यक्ष---

कापियां बंटवा दें। (थोड़ी देर बाद) ये कापियां सब लोगों को प्राप्त हो गयी होंगी क्योंकि पीजन होल में रख दी गयी होंगी।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, सप्लीमेंट्री बजट या बजट की कापियां पीजन होल में कभी नहीं रखी गयी हैं। ये हमेशा सदन में ही बांटी गयी हैं।

श्री ऊदल---[जिला वाराणसी]

श्रीमन्, पीजन होल में जो पत्र या दूसरी डाक होती है वह रखने की व्यवस्था आज तक रही है। जहां तक बजट का सवाल है तो बजट हमेशा परम्परागत हाउस में ही बांटा गया है या हाउस में जब कभी नहीं बांटा गया है तो लाबी में हस्ताक्षर लेकर बांटा गया है।

श्री अध्यक्ष---

वित्त मंत्री जी, बजट की कापियां हाउस में सदस्यों को बंटवा दी जायं या लाबी में रखवा दी जायं जहां से वह ले लेंगे।

अब मैं शून्य प्रहर की सूचनाएं लेता हूं---श्री हरि केवल प्रसाद।

(माननीय सदस्य खड़े नहीं हुये।)

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से फसल को क्षति तथा किसानों को राहत देने की मांग के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मैं जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र के 8 गांव में भीषण ओला वृष्टि से खड़ी फसल को भारी हानि की सूचना देना चाहता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर, ज्ञानीपुर, बर्राना, चीखल, सरगांव, जमालपुर, पहाड़पुर, समनपुर, मामऊ तथा अनेक गांव में 11 मार्च, 1978 की शाम को भारी ओला वृष्टि हुई जिसके कारण वहां की खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। किसानों के सामने चारे तथा अन्न की भारी समस्या है। दूसरी ओर किसानों से बिजली, सहकारी ऋण तथा अन्य प्रकार के राजस्व की वसूली जारी है। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उपरोक्त गांव में आगामी 6 माह में कुछ भी पैदावार नहीं है। उपरोक्त गांव में शीघ्र ही सभी प्रकार की वसूली स्थगित की जाय तथा शत प्रतिशत हानि के लिए जो भी सुविधायें शासन से दी जाती हैं, शीघ्र दिलाने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर जनमत संग्रह से प्राप्त मतों का सारांश†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के निश्चयानुसार जनमत संग्रह के लिए 3 मास तक परिचालित किया गया था, पर प्राप्त मतों का सारांश उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 129 (3) (क) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, लखनऊ ने 17 मार्च, 1978 के पत्र द्वारा जो यहां आज 18-3-78 को प्राप्त हुआ है, सूचना दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 तथा 188 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के प्रयोग में उन्होंने यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य, श्री नारायण दत्त तिवारी (कांग्रेस आई) जिला नैनीताल को बन्दी कर लिया जाय। तदनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी दिनांक 17-3-78 को दिन के लगभग 2.30 बजे बन्दी कर लिये गये हैं और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है।

एक सदस्य—

यह अच्छा ही हुआ।

एक अन्य सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापा नहीं गया।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मिश्रा जी को भी अच्छा ही लगा है।

स्वायत्त शासन मंत्री, श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध विधान परिषद् से प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध विधान परिषद् में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि उन्होंने 20 सितम्बर, 1977 को विधान परिषद् में यह कहा था कि वाराणसी नगर महापालिका में 19 सितम्बर, 1977 को तथा 20 सितम्बर, 1977 को दिन के 11 बजे तक कोई हड़ताल नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता माननीय सदस्यों का कहना था कि माननीय मालवीय का उक्त कथन असत्य और सदन को गुमराह करने के लिए किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था कि इस विषय पर विधान परिषद् में काम रोको प्रस्ताव और चर्चा की मांग अस्वीकार हो जावे।

चूंकि माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, विधान सभा के सदस्य हैं, इसलिए माननीय सभापति विधान परिषद् ने उसे प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न मानते हुए मेरे पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा। इस संबंध में पूरे कागजात विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त करके माननीय मालवीय जी से स्पष्टीकरण मांगा गया। माननीय मालवीय जी ने अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उन्हीं बातों को दोहराया जो उन्होंने विधान परिषद् में कही थीं। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में 20 सितम्बर, 1977 के वक्तव्य का आधार नगर महापालिका के कर्मचारियों का प्रस्ताव तथा 20 सितम्बर, 1977 का रेडियोग्राम बताते हुए यह कहा कि उनका वक्तव्य अपनी जगह पर सही था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है क्योंकि जब मंत्री कोई वक्तव्य देता है तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसे नहीं होती है। यह स्वीकार करते हुए कि 20 सितम्बर, 1977 को उन्होंने सदन के सामने दिये गये अपने वक्तव्य की सूचना के आधार को स्पष्ट नहीं किया था, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि उनका उक्त वक्तव्य सही था और जानबूझ कर गुमराह करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया था। उन्होंने इस संबंध में, "कौल और शकधर" की पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" के पृष्ठ 26 पर लोकसभा के दो निर्णयों का उल्लेख किया जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया गया है कि "यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार से असत्य, अपूर्ण या गलत है, तो वह विशेषाधिकार का भाग नहीं है।" यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है उस मामले का निपटारा करने के कई रास्ते हैं। विशेषाधिकार भंग तभी होता है यदि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझ कर सोच समझकर और जानते हुये देता है कि वह गलत या असत्य है। इसी प्रकार दूसरे निर्णय में यह बात कही गयी है कि "किसी मंत्री द्वारा दिये गये गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।" यदि जान बूझ कर झूठ बोला जाय और यह गलत प्रमाणित हो जाय तभी विशेषाधिकार भंग होता है। अन्य भूलें या गल्तियों की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि हम रोज देखते है कि मंत्री वक्तव्य देते हैं, उनमें गल्तियां होती है और फिर से उनमें सुधार करते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संहत संकलन (अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1968 तक) के पृष्ठ 481-482 पर उल्लिखित 12 फरवरी, 1964 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार किसी के विरुद्ध जान बूझ कर असत्य भाषण का आरोप लगाते हुये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते समय उन तथ्यों का स्पष्टरूप से उल्लेख आवश्यक है जिनके आधार पर जानबूझ कर असत्य भाषण

का निष्कर्ष निकलता हो। तत्कालीन अध्यक्ष ने श्री गया प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मुख्य मंत्री द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के संबंध में सूचना पर अपना निर्णय दे रहे थे। निर्णय इस प्रकार है:—

"मैं इस संबंध में आदरणीय सदन से कुछ मौलिक बातें कहना चाहता हूं। किसी के ऊपर यह आरोप लगाना कि अमुक असत्य बात कही है इस सदन की परम्परा के विरुद्ध है। अगर कोई महानुभाव कोई आरोप लगाते हैं कि जो बात कही गयी है, वह असत्य है और इस कारण से असत्य कथन किया गया है कि सदन को धोखा दें और जानबूझकर यह असत्य बात कही है, तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। जब यह कहा जाय कि किसी आदरणीय सदस्य ने जानबूझकर सदन को धोखा देने के लिये असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है, उनको वह तथ्य देने पड़ेंगे कि इन-इन तथ्यों पर व कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि तोड़-मरोड़ कर सदन को धोखा देने के लिये यह असत्य बात कही गयी है। जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किन-किन तथ्यों के आधार पर वह उस परिणाम पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आप भी पहुंचिये, तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जायेगी।"

इसके अतिरिक्त उक्त संहत संकलन के पृष्ठ 494–495 पर विधान सभा में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 को श्री मुकुन्दी लाल अग्रवाल द्वारा माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध उठाये-गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर अध्यक्ष का निर्णय भी उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि—

"अपनी सूचना के आधार पर किसी सदस्य द्वारा नेकनीयती से कही गई किसी बात के असत्य प्रमाणित हो जाने पर उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।" इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुये अध्यक्ष ने यह कहा था कि "मैं इस आदरणीय सदन को एक बात बताना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन के सभी सदस्यों को अगर पूर्ण वाक स्वान्त्रय का अधिकार न मिले तो यहां बहस नहीं हो सकती है। अपनी-अपनी सूचना के अनुसार प्रत्येक आदरणीय सदस्य अपनी बातें इस सदन के समक्ष रख सकता है हमारा गौरव इसी में है कि यदि एक आदरणीय सदस्य कोई विचार या बात इस आदरणीय सदन के समक्ष रखे तो हम मानें कि वह बोनाफाइड यानी नेकनीयती से रख रहा है जब तक कि हमारे पास कोई ऐसे आधार उपस्थित न हों इस परिणाम पर पहुंचने के लिये कि वह मैलाफाइड, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस प्रश्न को रख रहा है। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न हम विशेषाधिकार समिति को भेजने लगें तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदरणीय सदस्य अपने विचार यहां न रख सकेगा।"

इसी प्रकार किसी सदस्य के कथन की असत्यता के विषय में यदि वाद–प्रतिवाद हो तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह निर्णय उक्त पुस्तक के पृष्ठ 496 पर दिया हुआ है।

उक्त संकलन के पृष्ठ 526 पर 7 दिसम्बर, 1966 को गृह उप मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना के प्रश्न पर अध्यक्ष का निम्नलिखित निर्णय भी उल्लेखनीय है।

[श्री अध्यक्ष]

"दूसरी बात है आरोप अधिकारी पर जैसा माननीय राधेश्याम जी ने कहा कि यह जितना भाषण उनका इस आदरणीय सदन के सामने रखा गया। वह एक वकील की राय से बनाया गया था। अब इस शहादत से यह पता चलता है कि वस्तुत: वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई ऐसी अनुचित कार्यवाही हुई। जिलाधिकारी द्वारा सूचना मंत्री जी को दी गयी। अत: कोई इस झूठी बात का जिम्मेदार है तो वह अधिकारी है, मंत्री नहीं हो सकते। इस वास्ते कि मंत्री ने तो अपनी सूचना के आधार पर इस आदरणीय सदन के समक्ष अपनी सूचना रखी है तो माननीय शिव प्रसाद गुप्त के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

अत: उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों को देखते हुये मैंने प्राग्दर्शन में माननीय मालवीय जी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की शिकायत को ऐसा नहीं पाया कि उसे सम्मति दी जाय इसलिये मैंने इसे अग्राह्य किया है। विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना तथा उससे सम्बद्ध अन्य अभिलेखों में, जो मेरे पास भेजे गये हैं ऐसा कोई प्रमाण या तथ्य नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि माननीय मंत्री ने जानबूझकर सदन को धोखा देने या गुमराह करने का प्रयत्न किया। माननीय मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर उक्त कथन किया था जो सही था और उन्होंने सदन को गुमराह करने या धोखा देने का प्रयत्न नहीं किया।

मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण के पैरा 213 की ओर माननीय सत्य प्रकाश मालवीय का ध्यान आकृष्ट करते हुये उनसे यह अनुरोध किया है कि यदि उन्हें अधिकारियों द्वारा गलत सूचना दी गयी हो तो वे कृपया संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने उन्हें इस सम्बन्ध में गलत सूचना दी हो, के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें और उसकी सूचना सदन को भी दें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब श्री नारायण दत्त तिवारी विरोधी दल के नेता नहीं हैं तब भी उन का पट लगा हुआ है, इसे हटाया नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह पट हटा लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, नियम 282 के द्वारा.....

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। मैं विशेषाधिकार की सूचना ले रहा हूं।

विधान सभा सदस्य, श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह एवं श्री शफीकुर्रहमान बर्क, सदस्यगण, विधान सभा ने नियम 63 के अन्तर्गत श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी इस समय कारागार में है। अतः सूचना की प्रति उनको नहीं भेजी जा सकी। सर्व श्री कल्पनाथ सिंह तथा शफीकुर्रहमान बर्क का कहना है कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने सदन के बाहर समाचार-पत्रों में बयान देकर कि कांग्रेस के सदस्यों ने किसी की भी पिटाई नहीं की जो "नवजीवन" के 17 मार्च, 1978 के अंक में छपा है, तथ्यों को झुठलाने का प्रयास ही नहीं बल्कि सदन द्वारा गठित समिति की जांच में भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है।

मामले की जांच सदन के 17 मार्च, 1978 के निश्चय के अनुसार मेरे द्वारा नाम निर्देशित एक समिति द्वारा की जायगी। तो यह जो उन्होंने प्रश्न दिया है अभी मैंने उसको देखा नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह उठ ही नहीं सकता।

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय देव बहादुर सिंह जी व माननीय श्यामधर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह से बीच में बोलना अनुचित है। आप एक समुदाय के नेता हैं। मैंने यह कहा कि मैं आज इस विशेषाधिकार की सूचना को नहीं ले रहा हूं। इस पर विचार करने के बाद अपनी सम्मति दूंगा और माननीय सदस्यों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दूंगा।

कार्य सूची में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, नियम 282 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम 282 में यह स्पष्ट लिखा है कि इस आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। इसी बारे में पिछले सत्र में भी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था और आपने इस सम्बन्ध में सचिवालय को भी निर्देश दिये थे। श्रीमन्, इस एजेन्डे के नत्थी (क) के पृष्ठ 5 व 6 पर अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि का प्रयोग 6 स्थानों पर किया गया है। इसमें "युवजन-विधान" के लिये ब्रैकेट्स में "यूथ ला" अंग्रेजी में लिखा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों की अवहेलना की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि आप उचित व्यवस्था और निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो मेरा ध्यान नियम 282 की ओर आकृष्ट किया है आप देखेंगे कि कार्य सूची में पृष्ठ 5 पर "युवजन-विधान" के लिये ब्रैकेट में "यूथ ला" का प्रयोग किया गया है। "युवजन-विधान" हिन्दी में है और "यूथ ला" ब्रैकेट में अंग्रेजी में है जो अंग्रेजी में लिखा है वह सुविधा और समझाने की दृष्टि से लिखा गया है। जहां तक अंकों का सवाल है वह संविधान के विरुद्ध नहीं है। रोमन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना संविधान के विरुद्ध नहीं है। नियमावली में भी वह नियम जिसका आपने हवाला दिया है रोमन लिपि में ही है। यानी 282 नियम जो है वह रोमन लिपि में ही है। (श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर) आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूं कि जो आपने दो आपत्तियां उठाई हैं एक तो यह कि अंग्रेजी ब्रैकेट में लिखा है और दूसरे अंक जो लिखे हैं वह रोमन में लिखे हैं ..... (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। बीच में नियमानुसार आपत्ति करना अनुचित है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। श्रीमन्, इसी पृष्ठ पर आगे तीसरे कालम में डाक्टर अश्वनी कुमार ने जहां कहा है "मास्टर प्लान" वह ब्रैकेट में नहीं है और अंग्रेजी में लिखा है। पृष्ठ 6 पर भी इसी प्रकार "लेबर बैंक" शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया गया है। कार्य सूची के पृष्ठ 5 और 6 देखें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो राजेन्द्र कुमार जी ने बात कही है वह नियम में स्पष्ट है कि इस सदन की भाषा हिन्दी रहेगी और लिपि जो है वह देवनागरी रहेगी। यदि कोई सदस्य रोमन लिपि में लिख कर देते हैं तो यह संभव होना चाहिये कि वह देवनागरी लिपि में लिख कर आये और रोमन लिपि में लिखा हुआ ग्राह्य नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्यालय को स्पष्ट निर्देश दें कि देवनागरी के अलावा किसी भी लिपि में आये चाहे कोष्ठक में क्यों न हो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। मान्यवर, पिछले अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह जी ने इस तरह का पत्र भी लिखा था कि अंग्रेजी में कोई पत्र आयेगा या देवनागरी के रोमन में कोई पत्र आयेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो प्रश्न आया है उसमें दो तीन बातें हैं एक तो ब्रैकेट और दूसरा जो माननीय वर्मा जी ने कहा जैसे "मास्टर प्लान" और "लैबर बैंक" जो अंग्रेजी में लिखे गये हैं लेकिन ब्रैकेट में नहीं है और तीसरी बात अंकों की। जहां तक अंकों का सवाल है वह अंतर्राष्ट्रीय अंक मान लिये गये हैं। जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा अंकों के बारे में आपत्ति का विषय नहीं है। अब रही ब्रैकेट की बात वह केवल स्पष्ट करने के लिये लिखे गये हैं। (व्यवधान) श्री शतरुद्ध प्रकाश जी आप बैठे-बैठे टिप्पणी न करें यह उचित नहीं है। ब्रैकेट की आप उपेक्षा कर दीजिये। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े उसे आप क्षेपक की तरह देखें। उसे इगनोर कर दीजिये। जो वर्मा जी ने आपत्ति की है "मास्टर प्लान" और "लेबर बैंक" की जो अंग्रेजी में लिखे गये हैं। जो वास्तव में उचित नहीं है, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय कि अगर लेबर बैंक लिखना है तो वह देवनागरी लिपि में लिखा जाय ब्रैकेट में भी देवनागरी में लिखा जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने कहा कि देवनागरी लिपि से भिन्न किसी लिपि का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर 'यूथ' शब्द लिखना है तो उसे देवनागरी में ही लिखा जाय। कोष्टक की बात इसलिए कही कि वह शब्द कोष्टक में लिखा गया था। मेरी मूल आपत्ति यह है कि देवनागरी से भिन्न किसी दूसरी लिपि में इस कार्यसूची में लिखा न जाय। इस तरह के निर्देश पिछले सत्र में आपने दिये थे आप वह उठा कर देख लें। श्री जितेन्द्र कुमार जी के सवाल में आपने निर्देश दिये थे। आपने जो बात कही है उसे एक बार फिर देख कर विचार कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि ब्रैकेट में भी लिखा जाय, तो मैं निर्देश दे रहा हूं कि ब्रैकेट में भी न लिखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

नेगी जी, आप जो प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते थे, अब आप कर सकते हैं ।

*श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है भाषा चाहे देवनागरी हो या और कोई हो किन्तु ऐसी आसान जबान में हो कि सबकी समझ में आ सके यहां से---सेक्रेटेरियट से जो लिट्रेचर निकलता है, वह हमारे समझ में नहीं आता है । उसको कुछ आसान कर दीजिए, तो कोई बुरा नहीं है । इसका सब समर्थन करेंगे । हिन्दी इतनी सरल होनी चाहिये कि सब लोग उसे समझ सकें । यहां पर जो कार्यवाही होती है, उसको मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं । हिन्दी बहुत ही आसान होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बारे में सरकार से भी परामर्श करूंगा और यह सही है कि देवनागरी लिपि में इस बात की कोशिश की जाए कि भाषा ऐसी सरल हो कि जिसको समझने में सबको आसानी हो ।

नियम 110 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा बिना पूर्व सूचना के कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन में लाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कल इस प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है । मान्यवर, आप भी सदन के सदस्य रहे । लगातार सदन की परम्परा रही है, तमाम प्रदेश की जनता इस सदन तक पहुंचने के लिए . . . . .

श्री अध्यक्ष---

जो मुझे कार्य-स्थगन प्रस्ताव मिला है इस वक्त, उसमें नाम है देव बहादुर जी का, फिर दूसरे नम्बर पर ऊदल जी का है । समय इस वक्त तो केवल आपको इसलिये दिया कि प्रस्ताव आपके कार्य स्थगन का लाना चाहते थे । तो आप नियम देखें कि बिना नोटिस के कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम 56 में, अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं पेश किया जा सकता है । आप जो पेश करना चाहते थे, वह बिना किसी सूचना दिये हुये करना चाहते थे । कार्य शुरू नहीं हुआ था, आपने कार्य-स्थगन रखा, इसलिये मैं आपसे कहता हूं, आप यह महसूस करें कि आपके साथ इस सन्दर्भ में कोई अन्याय नहीं हुआ है । आप बतायें कि किस प्रकार आपके कथन में औचित्य था कि मैं उसी वक्त कार्य-स्थगन की नोटिस आप से लेता ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, आप यह नियम 110 पढ़ें . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको अपना पक्ष तो उपस्थित करने दीजिए ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उन्होंने कल विरोध नहीं, समर्थन किया था वह सर्वसम्मत समर्थन से यहां से पास भी हुआ था । तो अब क्या वह दुबारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने के लिये सक्षम है या नहीं ? मैं यही कहना चाहता हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

नेगी जी कल यहां मौजूद भी नहीं थे, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

माननीय सदस्य ने अभी जिस तरह कहा, मैंने उसका समर्थन नहीं किया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको मंजूर नहीं किया है, आप किस लिए रखना चाहते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आप नियम 110 देखें-'बिना सूचना के प्रस्ताव--निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे', अब इसका उपखण्ड (6) है । "किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव"। तो मेरा निवेदन यह है कि सप्लीमेंटरी बजट वाला आप एजेन्डे का आइटम लेते, उसके पहले इसको स्थगित करने के बारे में मैं निवेदन कर रहा था जिससे कल की घटना पर चर्चा हो सके । आप अनुज्ञा दें, तो मैं कुछ कहूं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न 110 में उपस्थित करना चाहते थे । आप देखेंगे 110 स्वतन्त्र नहीं है । नियम 56 इससे सम्बन्धित है और हमारी कार्य-सूची के अन्दर कार्य-स्थगन के लिये हमने दैनिक कार्य-क्रम में व्यवस्था की है । इसलिये जब उसका नम्बर आये तब कार्य-स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यह कार्यवाही केवल औपचारिक थी मैंने किसी कार्यवाही को नहीं शुरू किया, इसलिये आपका उस वक्त में प्रश्न उपस्थित करना मेरे मत में ठीक नहीं था ।

नोट:--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दिनांक 17 मार्च, 1978 को लखनऊ में कांग्रेस (आई) के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर,मैंने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस सिलसिले में दिया है कि कल जो शान्तिपूर्वक प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा था उस पर पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज किया और नियोजित ढंग से लाठी चार्ज किया गया। महिलाओं तक की रक्षा का ध्यान नहीं दिया गया। चोट लगने वालों में महिलायें भी हैं। जो लाठीचार्ज किया गया वह जुलूस को तितर-बितर करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इस उद्देश्य से किया गया कि चोट आये। अस्पताल में कितने ही लोगों के पैर टूट गये हैं, सर फट गये हैं। कोई हिसाब नहीं रखा गया कि कितनी चोट आयेगी। कल जो माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य हुआ उसमें खुली धमकी दी, उन्होंने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि लोगों को पीटा जायगा। यह एक अभूतपूर्व घटना है। मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो। उस जुलूस में पंडित जी जैसे नेता थे, उन्हें चोटें आयेगीं,यह ध्यान नहीं दिया गया कि किस पर लाठी चल रही है। पुलिस ट्रक पर ईंट पत्थर अपने साथ ले कर गयी थी। (व्यवधान) पुलिस ईंट पत्थर लेकर क्यों गयी थी ? पुलिस ने पत्थर चलाया, लाठी चार्ज भी किया गया, आंसू गैस छोड़ी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि जुलूस ने कानून की जो जो व्यवस्था है उसका कहां हनन किया। अगर कानून का हनन किया गया होता तब लाठी चार्ज किया जाता। जब कोई दूसरा चारा न रह जाय। कोई चेतावनी नहीं दी गयी कि जुलूस तितर-बितर हो जाय। बिना चेतावनी दिये जुलूस को घेर कर लाठियों से पीट दिया गया। आज तक लखनऊ में कभी ऐसा नहीं हुआ। नादिरशाह, चंगेज खां की जो ज्यादतियां थीं, उन पर इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने सब पर पानी फेर दिया है। जो घटना घटी है, वह शर्मनाक है, निन्दनीय है। माननीय मुख्य मत्री बतायें कि आखिर उनकी नीति क्या है ? क्या शान्तिपूर्वक प्रदर्शन इस प्रदेश में न हों ? क्या गन्ना के लिये किसान अपनी मांग न रखे ? संघर्ष समिति के जिन लड़कों ने विरोध किया उन पर लाठी चार्ज होता है। यह घटनायें घटती जा रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि कल की घटना की विशेष परिस्थिति क्या थी ? अगर जुलूस शान्तिपूर्वक विधान सभा मार्ग से निकल जाता तो कौन सा अपमान हो जाता ? जुलूस आ जाता, शान्तिपूर्वक जुलूस था तो मेरा विश्वास है कि वातावरण भी शान्तिपूर्वक होता। इस तरह की जो घटना हुई है वह कभी नहीं होती (व्यवधान) आवाज कसने से काम चलता नहीं। आप लोगों को खुद राय देनी चाहिए। आपने वादा किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, अभिव्यक्ति के लिये शान्तिपूर्वक प्रदर्शन हो जाता, लोग अपनी मांगे रखें, उनको मानना चाहें तो मान लें, न मानना चाहें तो समझा दें। यही कल होता तो एक अच्छी बात होती। हम समझते थे कि तीन चार आदमी आयेंगे और माननीय मुख्य मंत्री को अपनी मांगे उपस्थित करेंगे। मानने वाली बात होती तो मानते, न मानने वाली होती तो न मानते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिया उससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दे रखा है।

श्री अध्यक्ष—

अब हो गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, हमारे दल की ओर से एक कामरोको प्रस्ताव आपकी सेवा में दिया गया है। श्रीमन्, कल का जुलूस जो कांग्रेस (आई) की ओर से निकला था वह बहुत ही शांतिपूर्वक था और उसम (शोर)। मैं स्वयं भी गया और मैंने देखा था जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया,

[श्री ऊदल]

वह बहुत ही निन्दनीय है। सिविल अस्पताल में बीसियों लोग भर्ती हुए और मैंने पूछा तो पता चला कि बलिया के एक बुजुर्ग आदमी, श्री भोला ठाकुर, जो बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनके चोटें आयीं। इसके अलावा घुड़ सवारों ने घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लोगों को खदेड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि जो राह चलने वाले लोग थे और अन्य नागरिक थे उनको भी चोटें आईं। आज एक महिला का फोटो भी अखबार में छपा है। कल मैंने रात 8 1/2 बजे जिला जेल फोन करके मालूम किया और मुझे यह बताया गया कि जितने लोगों को बंदी बनाया गया है, किसी का भी वारन्ट नहीं है। सामूहिक सूची भी जिला जेल को नहीं दी गयी है और उसका नतीजा यह हुआ कि....(व्यवधान)....आप शोर क्यों मचाते हैं, इसका जवाब दे दीजियेगा। मान्यवर, अगर ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं और आप आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं ?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि कल ही इस सदन में जो बातें हुईं उनके बारे में विचार किया और उसका कारण यह था कि कुछ लोग एक दूसरे को नहीं सुनना चाहते थे। हमने यह भी तय किया था कि चाहे कितनी ही अप्रिय बात कही जाय, इधर से या उधर से, उसे सुना जाय। यह लोकतंत्र की बात है ऊदल जी से माननीय सदस्य सहमत हों या न हों, लेकिन उनकी बात तो सुनें ?

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैंने इस प्रस्ताव में लिखा है.....

एक सदस्य---

मान्यवर, माननीय ऊदल का यह आरोप है...

श्री ऊदल---

मैं अपनी जानकारी से जो बात कह रहा हूं, वह गलत भी हो सकती है, सरकार उसका जवाब दे देगी कि वह गलत है। जितने तथ्यों को मैं जानता हूं, उनको सदन में रख रहा हूं। आप उसे तर्कों से काटिए, अपने कागजों से काटिए।

श्री अध्यक्ष---

आप पहले तो इसकी ग्राह्यता के बारे में बताइये और आपको सुनकर जब मैं इसकी स्वीकार करूं तब आप घटना के बारे में बताइये कि लाठी चार्ज हुआ, किसके चोट लगी, किसकी गलती थी। पहले तो आप इसकी ग्राह्यता के बारे में बताइये। अभी आप इस घटना के विवरण में न जाइये।

श्री ऊदल---

बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज हुआ और लोगों को चोटें लगीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त अनुचित है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो आप व्यवधान डालें। आप धैर्य से सुनते जाइये।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इसका असर जन मानस पर बुरा पड़ा है। किसी भी समस्या को लेकर लोगों को जो अधिकार है कि वह सरकार के सामने अपनी दिक्कतों को रखे तो सरकार उनको सुनने के बजाय उन पर लाठी चार्ज करे और गोली से उनको भून दे तो क्या यह उचित है ? इसका असर जन मानस पर बहुत बुरा पड़ा है। लोगों में चिन्ता व्याप्त है। इसीलिये इसकी ग्राह्यता होती है। इसी राजधानी में यह घटना घटी है इसीलिए इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप कार्य-स्थगन को स्वीकार करें ताकि विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर जी ने अपनी बात कह दी और माननीय ऊदल जी ने भी कह दिया। इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। (श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) नेगी जी, आप के नेता ने और आपने भी अपनी बात कह दी है। इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे भी कुछ समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

बैठिए, आपकी ओर से देव बहादुर जी बोल चुके हैं।

श्री अरुण कुमार--

पुलिस ने हमला किया है.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री अरुण कुमार--

मैंने अलग से दिया है, प्रस्ताव। मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

आप, लेकिन 2 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, कल 17 मार्च को जब गन्ना किसान इस सरकार के विरोध में, प्रदर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर हमला किया और लाठियां चलायीं।

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, मुझे समय दिया है, बोलने का.....

श्री अध्यक्ष--

वह व्यवस्था का प्रश्न रख रहे हैं।

श्री राज ब्रज राज सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहना यह है जो वास्तविक स्थिति है उससे अधिक बढ़ा चढ़ा कर बातें कहीं जा रही हैं। कम से कम सरकार को वक्तव्य का समय दिया जाना चाहिए जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, कल जिस ढंग से गोली चलाई गयी और लोगों को पकड़ कर जेल में भेजा गया वह बहुत ही अशोभनीय है इस सरकार के लिये। जुलूस निकालने के लिये सरकार से पहले ही परमीशन ले ली गयी थी। परन्तु फिर भी पुलिस ने उन पर.....

श्री अध्यक्ष--

आप तो तथ्यों में जा रहे हैं। आप केवल यह बतायें कि कार्य स्थगन क्यों आवश्यक है ?

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, मैं इस सवाल की ग्राह्यता के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जिस निर्मम ढंग से लोगों पर लाठी चलायी गयी और उनको गिरफ्तार किया गया बहुत से लोगों का पता नहीं है और बहुत से जो गिरफ्तार किये गये उनको कहां छोड़ा गया है, इसका कुछ पता नहीं है। यही सारे सवाल हैं, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि सारे कार्य छोड़कर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

*श्री श्यामधर मिश्र--

ऐसा प्रस्ताव है श्रीमन्, मैंने अपने हस्ताक्षर से दिया है। केवल इसकी ग्राह्यता के संबंध में कहूंगा। नियम 56 नियमावली का है उसमें दिया है, "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव"। आप देखें कि कल ही यह विषय हुआ, घटना हुई और लखनऊ में घटना हुई, पड़ोस में घटना हुई और शासन के अंग और जनता के अंग के टकराव से हुई। अब इसके दो प्रकार के पहलू हैं कि एक तो यह कहा जा रहा है जो कि इधर से कहा जा रहा है और जो अखबारों में आया है कि पुलिस ने अश्रु गैस चलाई, बिना वारन्ट लोगों को पकड़ा, लाठीचार्ज हुआ, जेल लोगों को भेजा गया। रात भर जेल में रहे हैं और बड़े-बड़े नेता, कमलापति त्रिपाठी, उमा शंकर दीक्षित आदि अनावश्यक ढ़ंग से पकड़े गये। दूसरी ओर से जो डी0 एम0 का वक्तव्य है, वह यह आया कि जीप तेजी से चला दी गयी, अगर रोकी न गयी होती तो कुछ मौतें हो जातीं। इस तरह से बातें आयी हैं। डी0 एम0 का बयान अविश्वसनीय लगता है हमको क्योंकि कोई ऐसा पागल हो गया था कि जो जीप चला देता और लोग मर जाते (व्यवधान) अगर आप कहेंगे कि यह विषय ऐसा है जिसकी चर्चा अभिभाषण में हो सकती है या बजट में हो सकती है तो यह नहीं होना चाहिये क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है और इतना स्वयं महत्व रखता है कि इस पर स्वयं वाद-विवाद के लिये एक दिन चाहिये। 20 मिनट के विवाद में एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के लिये मौका मिलेगा, तमाम विषयों पर चर्चा न सरकार कर सकती है और न हम कर सकते हैं। इसलिये नियम 56 से लेकर 62 के अन्दर यह चर्चा के विषय होना चाहिये और इसके लिये आपकी आज्ञा, अलग से चर्चा के लिये होनी चाहिये, मिलाकर चर्चा को आज्ञा न दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्यामधर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है नियम 56 और 60 जो प्रक्रिया नियमावली में है जितनी बातें कही गयी हैं उनके संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु साफ बात यह कहना चाहता हूं कि अगर श्यामधर जी इस प्रदेश में जंगली राज्य बनाना चाहते हैं और इस प्रदेश के अन्दर बिल्कुल अराजकता का बोलबाला करना चाहते हैं। और फिर भी ऐसा करने वालों को बड़ा नेता कहते हैं तो मैं समझता हूं यह उनकी बुद्धि का भ्रम हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक कल की मैंने जानकारी करायी है, क्योंकि इनकी जानकारी जो हो, मुझे भी जानकारी करने का पूरा-पूरा मौका मिला है। कहीं भी इस प्रदेश के अन्दर अगर निहत्थी जनता पर गोली चलायी जायगी, निहत्थी जनता पर लाठी-चार्ज होगा, शान्ति-पूर्ण जुलूसों को रोका जायगा, तो हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे क्योंकि हमें स्वयं डा0 लोहिया ने सिखाया है कि "मारेंगे नहीं पर मानेंगे नहीं"। पर अगर भीड़ के नाते से कोई स्वयं उपद्रव करने लग जाय ? मैं स्वयं श्यामधर जी से पूछना चाहता हूं कि 4 दिन पहले क्या उन्होंने आकाशवाणी, अखबार में नहीं पढ़ा कि इलाहाबाद से पुराने स्वास्थ्य मंत्री ने भाषण दिया, कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति ने कि हम प्रदेश की सड़कों पर खून बहा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

राधेश्याम जी, उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। केवल ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अभी जो प्रश्न उठा है, कामरोको, मैं समझता हूं कि अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस होनी है। नियमों के अन्दर पहले भी विरोधी पक्ष के सदस्य के नाते से मैं देखता आया था कि जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य बहस होती है तो हम सभी माननीय सदस्य जोरदारी से अपनी बात कह सकेंगे। तो यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय इस विषय पर भी बहस की जा सकती है। इसलिये इस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर और अधिक विवाद नहीं होगा.....

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

ग्राह्यता के संबंध में चर्चा हो रही है, आप हमें भी कृपया सुन लें। माननीय शर्मा जी का कोई प्रस्ताव नहीं था, फिर भी आपने उनको सुना। अगर उन को जवाब देने के लिये छूट मिल सकती है तो हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा उन लोगों को मैंने सुन लिया। इस संबंध में मैंने सत्तारूढ़ पक्ष को भी मौका दिया। इस ग्राह्यता के प्रश्न पर मैं स्वयं भी निर्णय दे सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि इस पर आपकी क्या दलीलें हैं उनको भी सुन लूं, इसलिये उसके लिये मैंने अवसर दिया। इस पर आम विवाद तो नहीं हो सकता। अगर इसी पर जनरल डिस्कशन होने लग जायेगा तो कार्य-स्थगन तो वह वैसे ही हो जायगा। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, उसके लिये मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। अब मैं इस पर अपना निर्णय देता हूं.....

एक सदस्य—

आप माननीय मुख्य मंत्री जी को तो सुन लेते ?

श्री अध्यक्ष—

वे खड़े नहीं हुये। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, जिस प्रकार से इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और चाहते हैं कि उस पर चर्चा की जाये, मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस समय जिस रूप से यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है वह बिलकुल नियम विरुद्ध है और नहीं चल सकता क्योंकि इस सारे मामले पर आपको बहस करने का मौका मिलेगा। तभी आप उस पर विचार कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, कल माननीय मुख्य मंत्री जी बोले थे, हम समझते थे कि आज वे कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी कल की घटना के बारे में हम लोगों को कुछ बताते, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने अपना खेद भी प्रकट नहीं किया..... (व्यवधान) इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से त्याग करता है..... (व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह नेगी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के साथ कांग्रेस, कांग्रेस (आई) तथा निर्दलीय सदस्य भी सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

मैं अब इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। कार्य-स्थगन के संबंध में सन् 1963 में तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दिनों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। "किसी कानून के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण हुई गिरफ्तारी के ऊपर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता" यह 17 दिसम्बर, 1963 को एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार करते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा था। सरकार की घोषित नीति जो है और अब कोई कानून बन गया है, तो जो भी सत्याग्रह करेगा वह पकड़ा जायगा। अगर कोई गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध कार्य करने पर होती है तो उसके संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव को मैंने अग्राह्य कर दिया है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इस संबंध में आज पूरा स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य, जब सदन उठे, तो उससे पहले दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यह मैं बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में सदस्यों को बोलने का अधिकार है, लेकिन यह बात भी तय है कि यह सदन डिमांस्ट्रेशन की जगह नहीं है। वाक आउट करते समय जिन माननीय सदस्यों ने नारे लगा कर प्रदर्शन किया, क्या उनका वह व्यवहार संसदीय था ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

सदन में नारे लगाना यह असंसदीय व्यवहार है । प्रदर्शन करना हो तो सदस्य बाहर जा कर सकते हैं । लेकिन सदन के अन्दर नारे लगाना, प्रदर्शन करना यह अनुचित है । इस संबंध में मैं चाहूंगा कि सभी सदन के नेताओं की बैठक बुला कर विचार किया जाय जिससे कि सदस्यों की आचार संहिता जो है, उसका पालन किया जा सके । इस प्रकार की नारे बाजी करना यह संसदीय व्यवहार के खिलाफ है ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से .....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

देव बहादुर सिंह बेशर्म हो कर आये .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार से फिर असंसदीय व्यवहार कर रहे हैं । आपका इस प्रकार से नारे लगाना असंसदीय व्यवहार है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि—"यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 17 मार्च, 1978 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का भाषण .....

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी, आपको अपना यह भाषण 25 मिनट में समाप्त करना है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

बहुत अच्छा ।

मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण उनकी सरकार के आगामी कार्यक्रमों की रूप-रेखा का एक नमूना है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो वर्ष के कार्यक्रम की रूप-रेखा है और जो दिशा है, दिशा के रूप में तो स्पष्ट महामहिम का भाषण है ही, लेकिन रूप-रेखा के मामले में भी बहुत सीधी भाषा में लिखा गया है, जैसे आज से करीब 2 साल पहले के किन्हीं सरकारों के द्वारा लिखित राज्यपाल के अभिभाषण हुआ करते थे, जिनमें समाजवादी, समाज की रचना की गलियों में या गरीबी हटाइये उद्घोषणों में सदस्यगणों को या उत्तर प्रदेश की जनता को पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर उस सरकार की कार्यक्रम की रूप-रेखा क्या है, उसकी दिशा क्या है ? उसके विपरीत इस बार महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक निश्चित दिशा देने वाला है, जो हमको बताता है कि आगामी एक वर्ष के लिए जनता पार्टी की दिशा क्या होगी । मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि कुछ सदस्य इस अभिभाषण में सम्पूर्ण कार्यक्रम को देखना चाहेंगे । मैं जानता हूं कुछ माननीय सदस्य इसमें पूर्णता के दर्शन करना चाहेंगे और उस ढंग के संशोधन भी पेश करेंगे लेकिन अपने संक्षिप्त अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में सम्पूर्ण कार्यक्रमों का लेखा-जोखा देना न तो संभव ही है और न उचित

[श्री रमाशंकर कौशिक]

ही है। लेकिन जहां तक दिशा का ताल्लुक है इस मामले में जनता पार्टी की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता के लिये कार्यक्रमों को उस आधार पर ले जाना चाहते हैं कि जो दबे और पिछड़े लोग हैं जिनका पिछले 30 वर्षों में हित साधन नहीं हुआ है। उसके हित साधन के लिये हम प्रयन्तशील हैं। हमारी दिशा निश्चित है। हम उन लोगों को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं जो 86 फीसदी की तादाद में हैं और देहातों में बसे हुये हैं।

श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण ने निश्चित रूप से जनता पार्टी के सरकार के इस संकल्प को दोहराया है कि जनता पार्टी का गठन और जनता पार्टी की सरकार की कल्पना का साकार रूप जो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, वह लोकतांत्रिक स्वरूप है। लोकतांत्रिक परम्पराओं को कायम करने और लोकतांत्रिक रूप को बढ़ाने में हम प्रयन्तशील हैं। निःसंदेह रूप से श्रीमन्, कुछ शक्तियां आज से डेढ़ वर्ष पहले प्रदेश और हिन्दुस्तान में सक्रिय थीं। यह शक्तियां उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में लोकतांत्रिक परम्पराओं को खत्म करने में लगी थीं, श्रीमन् वह शक्तियां आज भी हैं, यद्यपि वे बहुत सीमित हैं और जनता ने उनको ठुकरा दिया है, लेकिन श्रीमन्, एक चीज यह है कि वह अभी तक यह समझती है कि जनता ने उनको नहीं ठुकराया है। जनता ने जो फैसला दिया है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का और अलोकतांत्रिक शक्तियों को त्यागने का वह उसको अभी तक स्वप्न समझती हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार उनको निश्चित रूप से बतलाना चाहती है कि उनको यह अहसास हो कि जो है वह वास्तविक है उसको वह स्वप्न न समझें। हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन अलोकतांत्रिक शक्तियों को नष्ट किया है इसको वह स्वप्न न समझें, यह स्वप्न नहीं है, यह हकीकत है और उनको इस हकीकत का अहसास करना पड़ेगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्रीमन्, कल जो कुछ हुआ वह इन शक्तियों का कार्य था जो इस देश और प्रदेश में अलोकतांत्रिक शक्तियों को बढ़ाना चाहती हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। श्रीमन् बड़ा शोर मचाया गया कि पिछले 8–9 महीनों में हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। श्रीमन् यह बिल्कुल झूठ है। प्रदेश की हालत बताती है कि निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हरिजनों और पिछड़े लोगों को दबाने के मामले में, सरकार का सवाल नहीं है बल्कि पूरे समाज का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा समाज जिसमें हम लोग रहते हैं वह वर्गों के साथ वर्णों में बंटा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले हजारों सालों से इन दबे और पिछड़े लोगों को दबाया गया है। लेकिन हमारी सरकार सजग है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरिजनों के मामले में चाहे जैसा भी कोई केस हुआ है सक्रिय रूप से उस पर कार्यवाही की है। इसीलिये उत्तर प्रदेश में सूबे के पैमाने पर एक विशेष जांच सेल बनाया गया है। जहां कहीं भी ऐसे आरोप प्रकाशित किये जाते हैं, ऐसी घटनाओं का पता चलने पर यह सेल उनकी जांच करने के लिये बनाया गया है।

पिछड़े वर्गों के मामले में श्रीमन्, यह निश्चित बात है कि हमारे हिन्दुस्तान में वर्ग संघर्ष का जो सवाल है अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे कि हिन्दुस्तान में या उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज कर दें और सारी समस्यायें हमारी दूर हो जायं यह नामुमकिन है। हजारों सालों से जो दबे हैं। पिछड़ी जातियों में जो मुसलमान हैं, हरिजन हैं, जनजाति के लोग हैं और जो दूसरे जाति के लोगों को हजारों वर्षों से जिनको दबाया जाता रहा है जब तक उनको हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश की

तरक्की में शामिल नहीं किया जायगा तब तक हिन्दुस्तान में सम्पूर्ण रूप से और उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से कभी तरक्की नहीं हो सकती है। इसी बात को देखते हुये जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में घोषणा की थी कि हरिजन जाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के लोगों तथा पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण और विशेष सहायता देंगे। जो हजारों साल की दौड़ में अनुसूचित जाति, जन जाति के रूप में पिछड़े रह गये हैं वह हिन्दुस्तान की तरक्की की दौड़ में, उत्तर प्रदेश की तरक्की की दौड़ में साथ आ सकें। इसीलिय जनता पार्टी की सरकार ने उसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में किया है कि पिछड़े लोगों को विशेष अवसर देकर नौकरियों में और पढ़ने लिखने के मामलों में तथा तकनीकी शिक्षा के मामले में उनको संरक्षण दिया जायेगा। श्रीमान्, यह बात सही है और म समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार इस बात में सजग रहेगी कि उनको विशेष संरक्षण मिलते रहें और ऐसी खोज होती रहे कि कौन-कौन ऐसे वर्ग और लोग रह गये हैं। जो पिछड़ी जाति के विशेष अवसर लाभ में नहीं आ पाये हैं इसलिये उनको उस लाइन में लाकर उनके बराबर लाने के लिये उनको भी सहूलियतें मिल सकें।

श्रीमन्, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जब तक, जो सात क्रान्तियां इस देश में या दुनिया में जो हो रही है उनमें से किसी को भी यदि उपेक्षा की तो हम लोग दुनियां की दौड़ में आगे नही जा सकते है। यही बात औद्योगीकरण करने से, उद्योगों के बढ़ जाने से हमारे देश में वर्ग व्यवस्था समाप्त हो जायेगी यह जो पहले की सरकार ने सोचा था, पं0 जवाहर लाल नेहरू ने सोचा था, वह क्या पूरी हो गयी ? हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां समस्यायें हैं, वर्ग की समस्यायें हैं, जाति की समस्यायें हैं जब तक वह हमारे समाज में मौजूद रहेंगी तब तक हम हिन्दुस्तान को उस तरक्की की धारा में लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं जब तक हम हर पहलू को सोच कर न चलें।

मान्यवर, हमारे योजना काल में जो सरकार की नीति बराबर रही वह यह कि हिन्दुस्तान में कुछ मुद्दो को साथ लेकर चल और तरक्की करें। इसका नतीजा हुआ कि हिन्दुस्तान में अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी होती गयी। परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान का आम आदमी उठ नहीं पाया। इसलिये राज्यपाल ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये हम उनको विशेष अवसर देंगे। उसके साथ-साथ हमारी जो योजनायें पिछले सालों बनती रहीं उनमें देहातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्यपाल महोदय ने जिस बात पर जोर दिया है वह यह है कि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे और विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायेंगे। श्रीमन्, लोकतांत्रिक शक्तियों तब तक मजबूत नहीं हो सकती है जब तक विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को तेज न किया जाय। जब हम विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं तो उसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकेन्द्रीकरण दोनों ही साथ-साथ चलेंगे और उस समय हम लोग विकेन्द्रीकरण के जरिये से लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत कर सकते हैं और लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत हो सकती हैं। उसी आधार पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देंगे। आपको ताज्जुब होगा कि चौथी योजना में ग्रामीण उद्योगों के लिये उस वक्त की सरकार ने जो कुल खर्चा था उसमें 1.5 या 1.6 प्रतिशत ही रखा था। उसी तरह सिंचाई और बिजली के मामले में भी देंखे तो बहुत कम प्रतिशत खर्चा होता था। सिंचाई पर 13.1 प्रतिशत था। इस अनुपात के रहते सिंचाई जो कि हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण आवश्यकता है पूरी नहीं हो सकती। 86 प्रतिशत लोग देहात में रहते है और खेती पर निर्भर करते हैं। अगर उनके खतों में पानी नहीं जायगा तो वह तरक्की नहीं कर पायेंगे। बगैर सिंचाई का प्रबन्ध किये उनकी तरक्की की कल्पना पिछली सरकारें ही कर सकती थीं, यह सरकार नहीं कर सकती। राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 20 प्रतिशत सिंचाई पर 35 प्रतिशत बिजली पर खर्चा होगा। इस प्रकार पिछले वर्षों के मुकाबले अब काफी धन बिजली और सिंचाई के लिये रखा गया है।

[श्री रमा शंकर कौशिक]

मान्यवर, आप देखें कि पिछले 30 सालों में आज भी हजारों गांव ऐसे है जहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाय तो बड़े अस्पताल तक लाने का कोई साधन नहीं हैं। किसान को अपना अनाज बेचना हो तो वह मंडी तक उसको ला नही सकता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रामीण सड़कों के लिए पहल की हैं और उस मामले में आगे बढ़ते जाना है। पांच हजार किलोमीटर सड़कें बन कर तैयार हो गयी है। हमारी दिशा स्पष्ट है कि जहां सड़कों के साधन नहीं है, आने जाने के रास्ते बन्द हैं वहां उनका प्रबन्ध किया जाय। श्रीमन्, और आप देखें कि पिछले वर्षों की अपेक्षा हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। मैं सन् 75 के आंकड़े देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 63 लाख, 28 हजार मैट्रिक टन अनाज पैदा हुआ था जबकि इस साल 2 करोड़ मैट्रिक टन अनाज पैदा होने की अपेक्षा है और हो सकता है कि और अधिक उत्पादन हो। पिछले साल जो कार्य करने की रूप-रेखा बनायी गयी उसी का परिणाम है कि 5 हजार किलो-मीटर सड़कें बन कर तैयार हो गयी और अन्न उत्पादन भी 2 करोड़ मैट्रिक टन होने की सम्भावना हो गयी और जैसा मैंने कहा, हो सकता है यह इससे भी अधिक हो।

आप देखें कि राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी कदम उठाना चाहते है, तेजी के साथ कदम उठाना चाहते हैं। उस में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा सब लोगों को सुलभ हो। श्रीमन्, पिछले तीस सालों में जो अपने को लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस के समय में सभी स्तरों पर गिरावट आयी चाहे साक्षरता का मामला हो, चाहे खेती का मामला हो, चाहे पैसे का मामला हो। श्रीमन्, आप इस बात को देखें कि सन् 70–71 में जो उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम थी वह 282 रुपये थी और 75–76 में वह 266 रुपये हो गयी, घटती गयी। इससे पहले क्या था, वह और भी ज्यादा थी। हम हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेटों के मुकाबिले ठीक थे। प्रोडक्शन के मामले में हमारी स्थिति ठीक थी। यह जो गिरावट आई यह पिछले तीस साल के शासन की गलत नीतियों का परिणाम रहा। जो नीतियां उसने सुन्दरीकरण के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर बनायी वह गांव के आम आदमी की दशा के विपरीत थी। निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार आज अपना ऐलान राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये करना चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश के उन गरीबों की, पिछड़े लोगों की दशा सुधारने के लिये कृत संकल्प हैं जो देहात में बसते हैं।

श्रीमन्, गन्ने का मामला बड़े जोरों से विरोधी दल के लोग उठायेंगे। लेकिन यह जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं गलत नीतियों का परिणाम है। यह निश्चित रूप से पिछली सरकार की पच्चीस–तीस सालों की गलत नीतियों का परिणाम है। मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हर साल एक बहस यह छेड़ी जाती रही थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन इसे नहीं कर पाये जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयकरण के नाम से चीनी मिल मालिकों ने चीनी मिलों में कोई भी पुर्जा बदलने का काम-उन को सक्षम करने का काम, क्षमता को बनाये रखने का काम बंद कर दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में इस समय जितनी भी चीनी मिलें हैं उन का क्षमता से चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कारण गन्ने के मामले में और भी परेशानियां आयीं।

यह हमारा सौभाग्य ही है कि गन्ने की पैदावार इस साल पिछले सालों की अपेक्षा गवर्नमेंट की अच्छी नीति के कारण अच्छी हुई है। हम इस बात को मानते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि अगर ईश्वर ने, कुदरत ने साथ दिया तो ढिंढोरा पीट दिया कि हमारी नीतियों के कारण ऐसा हुआ हमारी अच्छी योजनाओं के साथ-साथ कुदरत ने भी साथ दिया।

अच्छी फसल हुई। जो छोटे छोटे काश्तकार थे उन्हें सुविधायें दी गयी ट्यूब वेल की सुविधा दी गयी और सुविधायें दी गयीं कुदरत ने भी साथ दिया। आज भी गन्ने की फसल हुई वह ऐसी हुई जैसी और कभी किसी साल में नहीं हुई। श्रीमन्, मैं आप को बताऊं। छोटे काश्तकार से, एक एकड़ के काश्तकार से मैंने पूछा। उसने बताया कि पिछले साल 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये कुन्तल के हिसाब से उसका गन्ना बिका और उस को 1500 रुपये मिले। उसने बताया कि इस साल उस का गन्ना 5 रुपये, 6 रुपये और सात रुपये के हिसाब से बिका है और फिर भी उसे 1500 रुपये मिले हैं। लेकिन पैसा उन को मिला, हालांकि पैसा थोड़ा कम काश्तकारों को मिला। तो इसके काश्तकार चिन्तित न हों, ऐसी बात नहीं और हम लोग चिन्तित न हों, ऐसी भी बात नहीं है। अन्याय हुआ है लेकिन जनता सरकार ने उसके लिये सक्रिय कदम उठाये भी हैं और आज भी घोषणा है कि काश्तकारों को उनके गन्ने का पूरा लाभ मिले। तो उनकी कोशिश होगी। इस समय गन्ने की कीमतें पहले से बहुत ज्यादा सुधर गयी हैं और किसानों को उनका मूल्य मिलने लगा है। लेकिन फिर भी जो संकट हुआ है उस संकट के लिये सरकार आगे के लिये सचेष्ट रहे। उसके लिये पिछले सालो से जो ऋशर इण्डस्ट्री हमारे प्रदेश में उभरी है, उनके लिये सरकार ने ऐसे कोई कानून और नियम बनाये ही नहीं जिससे उनके ऊपर हम लोगों का या इस सरकार का उन पर कुछ जबर्दस्त हाथ होता तो हमारी सरकार आगामी सेशन के लिये सचेष्ट रहेगी और ऐसे कदम उठायेगी और ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जिससे उत्तर प्रदेश में किसानों का जो इस साल शोषण हुआ है, वह न हो।

श्रीमन्, वैसे तो मैं बहुत कुछ और कहना चाहता था लेकिन अब उसको हमारे दूसरे साथी कहेंगे। वैसे उधर के लोगों के पास तो कहने के लिये कुछ हैं नहीं, इसलिये अच्छा हो कि समय हमको दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कि इसका सर्व-सम्मति से समर्थन हो।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कौशिक जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कल सदन के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। माननीय महामहिम राज्यपाल इस सदन के ही अंग हैं और हम सभी को उनको प्रतिष्ठा देनी है। ब्रिटेन का जो हाउस आफ कामन्स है, मान्यवर, वह हमारे देश के सारे सदनों की जननी कहलाता है। वहां पर सत्ता पक्ष हिज या हर मैजेस्टी की सरकार कहलाता है और विरोध पक्ष, हिज या हर मैजेस्टी का विरोध पक्ष कहलाता है और उन के प्रति दोनों पक्षों का समान रूप से आदर होता है। तो मान्यवर, वही चीज हमारे यहां भी होनी चाहिये।

(इस समय 12 बजकर 28 मिनट पर श्री अधिष्ठाता, राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुये।)

तभी तो इसको कायम रख सकते है। मान्यवर, एक मुद्दिम चली इमरजेंसी के दौरान जिसको श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चलाया। मुझे दुख है कि श्रीमती गांधी ने उन परम्पराओं को भी नहीं माना जिनको उनके पिता ने रखा था।

मान्यवर, श्रीमती गांधी के पिता में चाहे लाखों कमियां क्यों न रही हों लेकिन एक चीज में दोष नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा। उनके पति श्री फिरोज गांधी ने भी लोकतंत्र के लिये ही प्रेस ऐक्ट द्वारा प्रयास किया लेकिन जो उन लोगों ने तय किया था कि सभी विधान सभाओं, लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसिडिंग्स जो होंगी वे अखबारों में छपेंगी, उसको भी श्रीमती गांधी ने समाप्त कर दिया। अब जो यह दूसरी सरकार आयी है। तो फिर कांग्रेस (आई)

[श्री श्यामदत्त पालीवाल]

के लोग उसको फिर समाप्त करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं ? श्रीमती गांधी ने लोकतंत्र समाप्त किया था और आज उनके दल के लोग फिर उसी चीज को लाना चाहते है और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं जिस लोकतंत्र का आप इतना आदर करना चाहते हैं। उसी को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि लोकतंत्र को चलायेंगे कि नहीं ? उसका वे अनादर करते हैं तो लोकतंत्र किस प्रकार चलेगा ? ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई कि माइक उखाड़े गये हों, कुर्सियां फेंकी गई हों, चप्पल और जूतें चले हों। श्रीमन्, यह सब राज्यपाल के ऊपर नहीं फेंके गये बल्कि लोकतंत्र पर फेंके गय हैं। हमें इस लोकतंत्र की रक्षा करनी है।

मान्यवर, आपको याद होगा सन् 50 के बाद हिन्दुस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान में भी लोकतंत्र कायम करने का प्रयत्न किया गया। ढाका में स्पीकर के ऊपर कुर्सी चलाई गई थी और वह उनके सिर पर लगी थी। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के साथ-साथ वहां पर लोकतंत्र की भी मृत्यु हो गई, उसको अभी तक जीवित नहीं किया जा सका। उसी तरह की स्थिति यहां पर भी कल पैदा हो गई थी। यह हमारे लिये एक चेतावनी है। इसका हमें मुकाबला करना है। मैं अपनी पार्टी के सभी सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी बातें विरोध पक्ष के लोग कहें, हम पूरा उसे सुनें। कल यहां पर माननीय रियासत जी ने कई बातें कही। उन्होंने जो कुछ भी गलत और सही बातें कही वह तो प्रोसीडिंग में आई, अखबारों में छपी। रियासत जी के दिल पर तब भी दर्द हुआ था जब तुर्कमान गेट पर नरसंहार हुआ था, उनके दिल पर उस समय भी दर्द हुआ था जब मुजफ्फरनगर में गोली चली थी। तब उनको बहुत दुख हुआ था परन्तु न वह अखबार में छपा था और न इस बात को सार्वजनिक रूप से कह सके थे।

मैं आपसे कहता हूं कि हम सब लोग शत-प्रतिशत आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। आपको विरोध पक्ष में बैठने का अधिकार है आपको विरोध करने का अधिकार है। आप अपोज करें, हमारी गल्तियों को हमें बतायें, नीतियों का विरोध करें, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को हटा दें। लेकिन इस तरह से कि कुर्सियां चलायें यह उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। आप अपने अधिकारों का पूरा पालन करें लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र की रक्षा करें और उसमें सरकार को सहयोग दें। जहां लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र जीवन्त है वहां सत्ता और विरोध पक्ष में कम से कम 75 प्रतिशत शेयर ऐसा होता है कि जहां उनमें आपस में सहमति होती है। जहां तक नीतियों का सवाल है, अगर कोई ऐसा सवाल सामने आता है उसकी खामियों को आप सरकार के सामने लायें। इन्हीं को लेकर यहां पर चुनाव होते हैं और जनता का जो फैसला होता है वह सबको मानना पड़ता है सबको नियमों का पालन करना पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी की दुविधा जरूर समझ में नहीं आती है। वहां एक तरफ तो मास्को का कम्युनिज्म है और दूसरी तरफ चीन का कम्युनिज्म है। एक जनता पार्टी के सदस्य ने कहा कि श्रीमती गांधी मार्केसिस्ट तथा लेनिनिस्ट है यह मार्कस तथा लेनिन का अपमान है किन्तु मैं कहता हूं कि वे हिटलर और मोसोलिनी की तरह है। इटली में, स्पेन में फांस में कम्युनिस्ट पार्टी यह मानने लगी है कि लोकतंत्र से ही समाजवाद आ सकता है। हम सी0 पी0 एम0 को बधाई देते हैं। पश्चिमी बंगाल में वे सरकार चला रहे है। उन्होंने व्यूरो समाजवाद मान लिया है। समाजवाद और साम्यवाद लोकतंत्र के तरीके से ही आ सकता है। उनको जो दुविधा है उसे दूर करें। हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की जो परम्परा पड़ी है उस पर आप आये उसमें आप मार्क्सवादी तरीके से ही सफल हो सकते हैं। यहां पर सत्ता में आ सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पालीवाल जी आप समाप्त करें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

कही पर खूनी क्रांति भी करनी पड़ती है जहां पर लोकतंत्र नहीं होता है, जहां पर तानाशाही होती है, जहां पर लालशाही होती है वहां पर आप हथियार उठा लीजिये। लेकिन जहां पर बैलेट बाक्स है वहां पर क्रांति की क्या आवश्यकता है? गोलियों द्वारा कहीं कम्युनिस्ट शासन नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, समय समाप्त हो गया है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

इन शब्दों के साथ में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन् समय के लिये बतला दें कि कितना समय आप मुझे देंगे?

श्री अधिष्ठाता--

कितना समय आप चाहते हैं?

श्री रियसत हुसैन--

एक घंटा दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

यह सम्भव नहीं है। 25 मिनट प्रस्तावक महोदय ने लिये है जितना उनको दिया है, उतना ही आप को देंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

हम अपोजिशन से बोल रहे है हमें ज्यादा समय मिलना चाहिये। श्रीमन्, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषणों में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:--

1--प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या का निदान,

2--शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारी की समस्या का समाधान।

3--प्रदेश में 80 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनता के पढ़े लिखे योग्य नौजवानों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण।

4--अल्पसंख्यक, हरिजनों, महिलाओं तथा अन्य निर्बल वर्गों की जान माल तथा इज्जत की रक्षा न होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना।

6--उर्दू जुबान को प्रदेश की दूसरी जुबान घोषित करना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे श्री रमाशंकर कौशिक जी ने रखा है और उसका अनुमोदन हमारे साथी श्यामदत्त पालीवाल जी ने किया। परन्तु जो उनके मन की भावना थी उस पर भाषण तो मैं दूंगा क्योंकि वह जम नहीं पाये और दूसरी बात उन्होंने कही उसके लिए तो कमेटी बन चुकी है उसे फिर उठाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने 10 मिनट पूरे करने के लिये यह बात कही।

श्रीमन्, मैं इससे पहले कि अपना भाषण शुरू करूं मैं इस प्रदेश के किसानों के नेता को श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं जिसने अपना तमाम जीवन इस प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अर्पित किया बाबू गेंदा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। वे गन्ना किसानों के सबसे बड़े वकील थे। वह आज नहीं हैं इसी वजह से शायद इस प्रदेश के किसानों के उपर यह मुसीबत आई है और आज गन्ना भट्टियों में झोंका जा रहा है और किसान 3, 4 रुपये, क्विन्टल गन्ना आज बेच रहा है।

श्रीमन्, मैं दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस फासिस्ट तरीके से वह निधौली कलां से जीत कर आये उसका उन्होंने कल लखनऊ में प्रदर्शन कर दिया और वह अपने पहले इम्तहान में कामयाब हो गये। उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं।

श्रीमन्, मैं पहले गन्ना किसानों की बात लेना चाहता हूं। उनकी आज क्या समस्या है और क्यों किसान परेशान हैं। आप गौर करें साल भर पहले जनता पार्टी ने जब लोक सभा चुनाव हुआ था तो उसके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में घूम कर प्रचार किया और कहा कि आपको 15 से 20 रु0 तक गन्ने की कीमत मिलेगी। यह गांव गांव में चर्चा थी। चूंकि प्रदेश के किसानों को जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो 17, 18 रु0 तक पैसा मिल चुका था इसी आधार पर किसानों ने विश्वास किया और जनता पार्टी को वोट दिया। सत्ता में आने के बाद उनको ज्यादा दाम मिलेंगे। जो किसान एक बीघा गन्ना बोता था उसने सवा बीघा बो दिया। श्रीमन्, जनता पार्टी कामयाब हो गई। दिल्ली में बैठी है तख्त पर और यहां भी बैठी है, लेकिन किसान के गन्ने का क्या हश्र हुआ? इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस सदन का हर सदस्य चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर का बैठने वाला हो, इसे अच्छी तरह जानता है। यह क्यों हुआ? मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रदेश के दो फीसदी व्यापारी औरमिल मालिकों के हितों की रक्षा के लिए जनता सरकार ने इस प्रदेश के 85 प्रतिशत किसानों के गले पर छूरी चला दी है। किस तरीके से? हर साल पहली नवम्बर से फैक्टरी चलतीं थी, किन्तु यह पहली बार है कि 26, 27 नवम्बर से फैक्टरियां चलीं और चीनी की पालिसी का ऐलान कब किया, जब किसान का गन्ना उसके खेतों में खड़ा है। आपने अपनी पालिसी का ऐलान किया कि हमारे पास 12 लाख टन चीनी स्टाक में है, 20 लाख टन चीनी है और 30 लाख टन हमारी बाहर के लिये है और हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यह पालिसी उस वक्त ऐलान कर दी गई,जबकि किसान का गन्ना उसके खेतों में खड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी 4 महीने पहले इस पालिसी को ऐलान करने की? इसको उस वक्त कहने की जरूरत थी, जब उस गन्ने की शक्कर बनकर व्यापारियों की गोदामों में आ जाती। लेकिन यह सरकार उनका अहित कैसे देख सकती थी, जिनसे उसने करोड़ों रुपया चन्दा लिया है? उनके लिये उनकी रक्षा करना जरूरी था और उस वक्त ऐलान कर दिया, जबकि किसान का गन्ना खेत में खड़ा था। उसका नतीजा यह हुआ कि गन्ने की भारी बेकदरी हुई। 35 फीसदी गन्ना पेरा गया है और 65 फीसदी गन्ना खड़ा है या पड़ा है। जबकि पेराई के सीजन में अब कुछ ही दिन बाकी है। होली के बाद उसकी पेराई सम्भव नहीं है, जब किसान को

मजदूर नहीं मिलेंगे न छीलने के लिये मिलेंगे और न ढोने के लिये मिलेंगे। इस सारी चीज की साफ जिम्मेदारी जनता सरकार पर है।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

बिड़ला किसके साथ हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

बैठिए, मेरी बात सुनिये। आज भी अगर आपको हमदर्दी है किसान से, तो क्या आपके अंदर और श्रीमती चन्द्रावती जी में हिम्मत है कि जितना किसान का गन्ना खेत में खड़ा है—यह आपके लीडरों ने सेन्ट्रल—हाल में भी कहा है, आपके गन्ने का भाव साढ़े 13 और साढ़े 12 रुपये का है और आप कहते हैं कि सारा गन्ना पेरा जाएगा, फैक्टरीज बन्द नहीं होने दी जायंगी,तो क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि उसे तीन—साढ़े तीन रुपया कम देकर, उसका सारा गन्ना आप खरीद लें और आप उसकी ढुलाई आदि करावें ? किसान इसके लिये तैयार है, आप उसे 10 रुपये की लागत दीजिए, फिर आप फैक्टरियों को जुलाई तक नहीं दिसम्बर तक चलाते रहिएगा। किसानों का जो गन्ना खड़ा है, उसकी आप अपने लेखपालों के द्वारा पैमाइश करा लीजिए और उसे 10 रुपया या साढ़े 9 ही का भाव देकर फिर अपने तरीके से फैक्टरियों को दिसम्बर तक चलाते रहिए, हमको कोई एतराज नहीं। इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि डंडा मारकर मिल मालिकों से फैक्टरियां चलवा लेंगे। 82 में से 57 फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं और प्लान्ट्स आधे से कहीं ज्यादा, हजारों बन्द पड़े हैं।

आपकी पिछली पालिसी थी, 65 प्रतिशत लेवी में आप शुगर लेते थे। सीधा हिसाब है, 65 बोरी 200 रु0 में लेकर 13 हजार रुपया उसको दें। 35 परसेंट जब खुले बाजार में बेचता था तो उसको साढ़े चार सौ रुपये बोरी के हिसाब से तो उसको मिलता था 15 हजार 750 रु0। इस तरह से 28 हजार 750 रुपये सौ बोरियों पर मिलता था। 287.50 रुपये फी बोरी का औसत था। आपने 15 रुपये बोरी दिया। लेवी की 65 परसेंट पर, 200 के बजाय 215 हो गया। 13 हजार 975 कम हो गया। 35 परसेंट पर साढ़े चार सौ मिलता था वह तीन सौ आ गया। बाजार में ऐवरेज निकाला 244.15 रु0 का हिसाब पड़ा। प्रति बोरी पर 42.75 रु0 का घाटा हुआ। किसी फैक्टरी या क्रशर को डंडा मार कर चलवा लेंगे ? जब फैक्टरियां बन्द हुईं तो आपने कहा कि यह करेंगे वह करेंगे। उन्होंने एक दिन फैक्टरी में धुंआ निकाल दिया चिमनी में आपके यहां रिपोर्ट आ गयी कि फैक्टरी चल गयी, चार दिन के लिये। फिर बन्द कर दिया। चार दिन बाद फिर फैक्टरी चली रिपोर्ट आ गयी कि फैक्टरी चल रही है। आपने कह दिया कि सारी फैक्टरियां चल रही हैं। जब वर्किंग डेज जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि फैक्टरियां कितने दिन चलीं। घाटे की स्थिति में फैक्टरियां नहीं चल सकतीं।

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप क्यों खड़े हो गये ? आप बैठिए। भाषण में रुकावट न डालें।

श्री रियासत हुसैन—

287 रुपये की खरीदी हुई चीनी, सारी फैक्टरियों का एक-एक दाना चीनी सरकार खरीदेगी ? ऐडवांस रुपया बैंकों से दिलवा दें और डाइरेक्ट सोसाइटियों से रुपया किसानों को दें। तीन रुपये किलो—चीनी कंट्रोल करके बेच दीजिये। ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि पूरी तरह से भाषण सुनें, उनको जो कहना है, कह लें। तब जवाब दें। बीच में टोकाटोकी मैं कतई बरदाश्त नहीं करूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

कंट्रोल की उस वक्त जरूरत होती है जब कि चीज की शार्टेज होती है, जब कि व्यापारी ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। जब चीनी के लिये सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो क्यो कंट्रोल चल रहा है? छूट दीजिये फिर देखिये क्या होता है? इस सरकार को किसान से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ उनका वोट ले कर सरकार बना ली।

मैं अब दूसरी बात लेता हूं। जब मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे ताज्जुब हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ला ऐन्ड आर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल हुआ कि हरिजनों के साथ कितनी ज्यादतियां हुईं प्रदेशों में। यू0 पी0 क्राइम्स में टाप पर है। माननीय धनिकलाल मंडल ने जवाब दिया इसी सेशन में। हर सूबे का ब्रेक अप दिया है। यू0 पी0 138, गुजरात 107, राजस्थान 87, पंजाब 7, हिमाचल प्रदेश 22, दिल्ली 2, बिहार 45, कर्नाटक 39, उड़ीसा 26 और पांडेचरी 11। अभी इसी सदन में कहा है जो चल रहा है। अभी एक महीने में 20 हजार क्राइम . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री रियासत हुसैन—

नवम्बर के महीने में 20,000 से भी अधिक क्राइम उत्तर प्रदेश के अन्दर हुए। आपके काउन्सिल हाउस गार्ड ने सोसाइड किया। उसके घर वाली जल कर मर गयी, वह भी आपको मालूम हैं। सीतापुर में क्या हुआ यह भी आपको मालूम है. . . . . .

(शोर)

(सहकारिता उप मंत्री, श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

यह तरीका नहीं है। आप भाषण जारी रखें और हमारी ओर देखें। बीच में टोका टोकी ठीक नहीं है। आपको भी समय मिलेगा। आप अनीस साहेब, बराबर क्यों खड़े होते हैं?

श्री रियासत हुसैन—

सीतापुर में देवी दयाल शुक्ला को उनके गांव में मार दिया गया। कानपुर के अन्दर 11 व्यक्ति मारे गये, यह उस समय मारे गये जब स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों का एजीटेशन चल रहा था। नैनीताल क्लब में क्या हुआ? नैनीताल क्लब में आग लगा दी गयी। 40 टीचर्स घायल हुए जब जेल में उन पर जेल के स्टाफ द्वारा लाठी चार्ज किया गया। डिप्टी मिनिस्टर ने हाउस गार्ड को अपने कमरे में बुलाकर पीटा। लामार्टीनियर कालेज के ग्राउन्ड में एक लड़की मार दी गयी। आर0 टी0 ओ0, लखनऊ के दफ्तर के सामने एक आदमी को गोली मार दी गयी। गजेटेड पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को मारने का प्रयास इसी लखनऊ में किया। लाल गंज (रायबरेली) में बराबर गोली चली। लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस ने रेड कर दिया।

(श्री मुख्तार अनीस के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

अनीस साहब आप बराबर क्यों खड़े होते हैं। आपको भी समय मिलेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

व्यवस्था का प्रश्न है। ....

श्री अधिष्ठाता---

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में जब कोई माननीय सदस्य बोलता है और जो जानकारी देता है तो वह उसके पूरे फैक्ट्स देता है और जो माननीय रियासत साहेब कह रहे हैं यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है। आप बैठिए। रियासत साहब, आप बोलिए।

श्री रियासत हुसैन---

हरिजन की एक लड़की इलाहाबाद में गोली से मार दी गयी।

(शोर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

किसने मारा ? ऐसे नहीं बोलने दिया जायेगा। बतायें कि किसने मारा ?

श्री अधिष्ठाता---

शतरुद्ध जी, आप बैठिए।

श्री शतरूद्ध प्रकाश---

इस तरह से नहीं चलेगा। माननीय सदस्य बतायें।

श्री रियासत हुसैन---

तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह.....

(शोर)

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह की अशांति से काम नहीं चलेगा। माननीय रियासत साहब आप क्रमबद्ध रूप से अपनी बात कहें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई सदस्य कोई बात इस सदन में जानकारी के रूप में देता है तो वह उसकी पूरी जानकारी देता है। फलाने आदमी की हत्या की किसने की और किस प्रकार से की गयी आदि सभी जानकारी उसे देनी होती है। माननीय सदस्य यह सब जानकारी सदन को न देकर गुमराह कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

जो माननीय सदस्य सदन को गुमराह करेंगे, उनके लिये कायदे और कानून हैं, आप उनको नोटिस दे सकते हैं पर आप किसी माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान पैदा नहीं कर सकते हैं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करुंगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं चाहूंगा कि जो भी तथ्य सदन में पेश किए जायं वे पूरे हों। कहा गया कि हरिजन की हत्या हो गई। उसका कानून और व्यवस्था से क्या मतलब है? क्या सरकार ने हत्या कराई है?

श्री अधिष्ठाता--

आपको जब समय दिया जायगा तो आप इसका जोरदार खंडन कीजिएगा, पर इस समय आप माननीय सदस्य का भाषण होने दीजिए।

(श्री मुख्तार अनीस के पुनः खड़े होने पर)

तो आप ही सदन चलाइये। सत्ता पक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सदन को चलाने की होती है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी माननीय सदस्य के भाषण में इस प्रकार का व्यवधान डाला जाय। यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था की सूचना देते हैं तो आप जानते हैं कि उनको सुनने का मौका देता हूं। मैं नियमों का बड़ा पाबन्द हूं।

(एक अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

कृपया आप बैठिए, इस प्रकार से बोलने का प्रयास न कीजिए।

श्री रियायत हुसैन--

मान्यवर, सत्य सब को कड़ुवा लगता है। मेरे पास बहुत से इन्स्टान्सेज हैं विटनेसेज ने यह खुद कहा है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में पुलिस ने बहुत ज्यादतियां की हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हुं कि वे यह बतायें कि हरिजन को किसने मारा, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने कहा कि हरिजन की हत्या हुई, किसने मारा?

श्री अधिष्ठाता--

आप पहले बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, यह पूछने का मेरा अधिकार है, मैं इनसे पूछ सकता हूं। हमारी संसदीय परम्परा में यह हमारा अधिकार है। मैं भी इस सदन का एक सदस्य हूं और इसके नाते कोई जानकारी प्राप्त करना मेरा फर्ज है।

श्री अधिष्ठाता--

आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप कृपया बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

श्रीमन्, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलने का समय दूंगा तब आप अपनी बात कहिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, आप मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश तो कीजिए।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपको पूरा समय दूंगा, तब आप अपनी बात कहिए ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए । हमें यह बता दें कि किस हरिजन की हत्या किसने की है ?

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिए ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

लेकिन यह पहले बता दें कि हत्या किसने की है ?

श्री रियासत हुसैन---

अलीगढ़ में स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ, उन से होस्टल खाली करा दिया गया ।....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से फिर जोरदारी के साथ कहूंगा कि अगर वे इस तरह से माननीय सदस्यों के भाषण में रुकावट डालेंगे तो कायदे कानून हमारे पास हैं । सब सदस्यों को बोलने का समय मिलेगा । अगर कोई सदस्य गलत बोलेगा तो आप नोटिस दे सकते हैं, कायदे कानून में ला सकते हैं ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के पुनः खड़े होने पर)

आप फिर खड़े हो गये ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब विरोधी दल की ओर से इस प्रकार से कहा जा रहा हो तो कोई तरीका है ...

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)-----

मान्यवर, एक बात मैं आपके सामने रखना चहता हूं कि जो प्रश्न माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने उठाया उस पर आपने व्यवस्था दी । उसके सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा और न कहना उचित ही है पर एक निवेदन करना चहाता हूं कि अभी माननीय रियासत हुसैन ने कुछ फैक्ट्स इस सदन को दिये, बहुत अच्छी बात है, उनको देने भी चाहिए क्योंकि उनके पास इन्फार्मेशन है, पर जो आवश्यक बात है वह यह है कि अगर माननीय सदस्य ने जो सूचना दी अगर वह अपने कागज से उसे पढ़ते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी पर चूंकि वह अखबार की कटिंग्स को पढ़ रहे थे तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह किस तारीख का, कौन-सा अखबार है, कौन-कौन घटना हुई । अगर ये विवरण उनकी ओर से दे दिये जाते तो इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने में सहायता मिल सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता---

रियासत हुसैन जी, माननीय रामसिंह जी ने जो कहा है उस पर पूरा ध्यान रखें और अपने भाषण को संक्षिप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन——

श्रीमन्, इंक्वायरी करने की सारी मशीनरी सरकार के पास है। मैं राम सिंह जी को गांव बता देता हूं। 15 साल की हरिजन लड़की, रामरती नाम है। गोला वाले सिंह मसवा गांव में, हंडिया पुलिस सर्किल है इलाहाबाद में, वहां का मामला है। अखबार 'पायनियर' है।

श्री अधिष्ठाता——

आपका समय समाप्त हो रहा है। आप जल्दी करिये।

श्री रियासत हुसैन——

श्रीमन्, मैं खत्म कर रहा हूं, लोग उकता गये, परेशान हो गये हालांकि बहुत कुछ था। श्रीमन्, यह क्यों हुआ, किस लिये हुआ और हो रहा है? बात यह थी कि हमारे पुराने एक बड़े लीडर हैं मि0 बरुआ जी। उन्होंने घोषणा की कि 'इंदिरा इज इंडिया ऐंड इंडिया इज इंदिरा।"। तो देश ने उसका यह नतीजा दिया आम चुनावों में कि इस देश की सब से बड़ी क्रिमिनल इंदिरा गांधी को बना कर सड़क पर खड़ा कर दिया। लेकिन आज अब यह बात हो रही है कि" राजनारायण इज इंडिया"। राजनारायण जी कहते हैं, जब लखनऊ में आये तो उन्होंने प्रेस वालों से फरमाया कि "राजनारायण इज इंडिया" और यह कहा कि राजनारायण जब तक चाहेंगे तब तक ही महाराष्ट्र की सरकार चलेगी वरना एक दिन नहीं चल सकती। यह बात इसलिए हो रही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, लाल बत्ती बुझा दीजिये। मेरा समय यों ही जाया हो गया, मुझे 5 मिनट और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता——

आप दो मिनट में समाप्त कीजिये, मैं बत्ती नहीं बुझाऊंगा।

श्री रियासत हुसैन——

मैं यह कहना चाहता हूं जनता पार्टी के लीडरों से- यहां बैठे हुओं से, और दिल्ली बैठे हुओं से भी कि इस देश की जनता ने सबसे बड़ी क्रिमिनल इंदिरा गांधी को साबित किया पिछले लोक सभा चुनाव में और आप लोगों को पूरी शक्ति दी कि आप देश की सब से बड़ी क्रिमिनल को समाप्त कीजिये। 10 माह तक ताकत में रहने के बावजूद भी आप देश की इस क्रिमिनल को समाप्त नहीं कर सके और आज वह बिल्ली फिर बाहर आ गयी है और बैठ के 'म्याऊं म्यांऊं" करना उसने शुरू कर दिया और चूहे भागने शुरू हो गये। यह आपकी इनकम्पिटेंसी और नाअहलियत का सबूत है और देश की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपको उसको समाप्त करना चाहिये था जो नहीं कर सके, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।

आखिरी बात कह कर खत्म कर दूंगा और बातें बजट के समय पर बोल दूंगा। उर्दू का मसला, सब जानते हैं नया नहीं है। राजनारायण जी हमारे दोस्त थे, एक दफा उन्होंने कहा था। इसी यू0 पी0 असेम्बली के अन्दर जब ओथ लेने पर झगड़ा खड़ा हुआ था तो राजनारायण जी ने राज्य सभा के अन्दर सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों को उर्दू में हलफनामा क्यों नहीं लेने दिया जायगा? अब वह कहते हैं कि उर्दू का मामला जो चल रहा है उसके पीछे कुछ बाहरी लोगों का हाथ है। चौधरी चरण सिंह ने तो साफ कह दिया कि उर्दू ने ही मुल्क को तकसीम करा दिया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रियासत साहब, जो माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके नाम न लिये जायं ।

श्री रियासत हुसैन--

न यहां पर इंदिरागांधी मौजूद हैं, न . . . . .

श्री अधिष्ठाता--

इंदिरा गांधी का भी नाम न लें, भूतपूर्व प्रधान मंत्री कह सकते हैं । इसी तरह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री कह सकते हैं । जो लोग सफाई न दे सकें, उनका नाम न लें ।

श्री रियासत हुसैन--

ठीक है, आप राजनारायण जी की जगह वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और चौधरी चरण सिंह की जगह देश के गृह मंत्री कर लीजिये। तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ, बाद में जो हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा कि समाजवाद और ये सारी चीजें तो समाजवाद लाने के लिये सब से जरूरी है आपस का इत्तहाद और आप में कितना इत्तहाद है यह तीन दिन पहले की पार्टी मीटिंग में सब लोगों ने जान लिया । पहले अपने घर को संभालिये, फिर समाजवाद लाइये या और कुछ लाइये । वरना जो लखनऊ में हो रहा है आपकी ऐसी कमजोरियों से दूसरे लोग रोशनी ले रहे हैं और इसलिये इस देश के अन्दर फासिस्टवादी ताकतों को बल मिल रहा है । यह फासिस्ट-वादी ताकतें देश को बरबाद कर देंगी ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, किसी दल के अन्दर मीटिंग में जो भी बातचीत हुई उसकी चर्चा अभी माननीय सदस्य ने की । मेरा निवेदन यह है कि भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष की भी समय-समय पर यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी पार्टी की मीटिंग की बातों की चर्चा यहां नहीं करनी चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि आज माननीय सदस्य ने, माननीय रियासत हुसैन ने, अभी हमारी पार्टी की मीटिंग के बारे में जो कुछ कहा है उसे इस कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें । (व्यवधान) यह सदन की कुर्सी इन्साफ की कुर्सी है । आप कृपया बैठें ।

अभी माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके लिये मुझे कार्यवाही को देखना पड़ेगा । जल्दी में वह क्या कह गये हैं उसको मैं देख लूंगा, अगर वह नियम के विरुद्ध होगा तो मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने संशोधन दिये हैं वे प्रस्तुत किये हुये माने जायेंगे । माननीय सदस्य केवल अपना भाषण देंगे ।

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 140 पर)

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय कौशिक जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का संकेत दिया है कि हम गांवों की ओर और ग्रामीण जनता के विकास की ओर तथा प्रदेश के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की ओर जा रहे हैं। उसमें उनके विकास की बात कही गयी है।

मान्यवर, पिछले 30 वर्षों के कांग्रेसी शासन काल में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का ही कार्य हुआ है। बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ही लगाने की बात की जाती रही है। हमारे देश में जो 40 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान नहीं गया। उन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखायी की ओर ध्यान नहीं गया, उनकी दशा सुधारने की ओर ध्यान नहीं गया। उसका कारण यह हुआ कि देश की आर्थिक हालत दिन पर दिन और खराब होती चली गयी। आज हमें खुशी है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी, ग्रामीण विकास की ओर ध्यान देगी, गरीब और दलित वर्ग के उत्थान की ओर ध्यान देगी, खेती और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की ओर ध्यान देगी। साथ ही जो मुख्य-मुख्य समस्यायें हैं उनकी ओर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जायगा।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात की ओर ध्यान नहीं गया है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माल आपके बड़े-बड़े कारखानों में आज तैयार हो रहा है, अगर वही माल छोटे-छोटे कारखानों में गांवों में तैयार हो सकता है, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग उस सामान को बना सकते हैं, तो वह सामान उन छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा ही तैयार करवाया जाये, बड़े-बड़े उद्योगों में वह सामान तैयार न करवाया जाये। सरकार को इस बात की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों द्वारा बनने वाला माल बड़े-बड़े कारखानों द्वारा नहीं बनने दिया जायेगा।

मान्यवर, अभी कानून व्यवस्था की बहुत चर्चा की गयी। कल की घटनाओं को देखने से मालूम होता है कि आज सारे देश में कांग्रेसी लोग, इन्दिरा गांधी के इशारे पर इस देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, देश में उथल-पुथल करना चाहते हैं और अशान्ति पैदा करने पर तुले हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी और जनता पार्टी की यह सरकार संसदीय मान्यताओं के लिये वचन-बद्ध है और वह संवैधानिक तरीके से ही चलने की कोशिश करेगी। आज सारे देश में हिंसा का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारे प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने स्पष्ट कह दिया है कि वे संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल करने अथवा इमरजेन्सी लागू करने के विरुद्ध हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक घोषणा की है कि सामान्य कानून के जरिये, साधारण कानून के जरिये इस देश का राज्य चलाने के लिये कृत संकल्प हैं। दिल्ली से लखनऊ तक लेकर देश के पैमाने पर बार-बार की जो हरकतें हो रही हैं कानून को तोड़ने की जिम्मदारी किस पर है, मैं पूछना चाहता हूं, कल जो वारदातें हुई हैं, माननीय राज्यपाल के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गयी, माइक तोड़े गये, हमारे एक माननीय सदस्य जो हमारे पक्ष में बैठे हुये हैं। उनके सिर पर चोटें आईं उनका सिर फट गया, उनके सिर का खून पूरा शरीर पर पड़ा हुआ था। यह जो घटना कल हुई है यह हिन्दुस्तान के इतिहास की एक चुनौती के रूप में हमारे समाने है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह ऐलान किया था कि किसी भी कीमत पर तोड़-फोड़ बरदाश्त नहीं की जायगी। हमारे संविधान की जो मर्यादायें हैं, हमारे कानून और व्यवस्था की जो आधारशिला है, हमारा जो संविधान है उस संविधान की मर्यादा के पालन के लिये, इस देश में अराजकता को सिर उठाने का मौका नहीं दिया जा सकता है।

मान्यवर, सारे देश में तूफान मचा हुआ है। मैं इस सदन के जरिये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि संविधान की धारा 340 के अनुसार 1953 में एक आयोग गठित किया गया था पिछड़े वर्गों के संबंध में, उस आयोग ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि 25 फीसदी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिये। आज जब उसका कार्यान्वयन हो रहा है, समाज के पिछड़े लोग जो सदियों से गिरे हुये थे, जिनको उठने का मौका नहीं मिला, आज जब मौका दिया जा रहा है, तो इस देश में वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है। काका कालेलकर की रिपोर्ट जो पिछड़े वर्ग के सुधार के लिये है, जनता पार्टी की सरकार अपने वायदे के प्रति वचनबद्ध है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय रियासत साहब ने गन्ने की समस्या की तरफ काफी ध्यान इस सदन का आकर्षित किया। मान्यवर, आज बहुत अधिक गन्ना हमारे खेतों में पड़ा हुआ है, जिसे मिल नहीं ले रही हैं। मैं आपके मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे फैजाबाद जनपद में मसोधा मिल है उसने 77–78 में अपने इन्डेंट को आधा कर दिया, नतीजा यह हुआ कि आज गन्ना सूख रहा है। मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत लागत और खर्चे को जोड़ कर, गन्ने का दाम कम से कम 15 रुपये कुंतल निर्धारित होना चाहिये। माननीय राजनारायण जी ने इस बात का संकेत किया था कि राज्य सरकारों को निर्देश दे दिये गये हैं कि गन्ने का दाम 15 रुपये निर्धारित कर दें।

मान्यवर, गन्ने की समस्या बहुत जटिल हो गयी है, उसके समाधान के लिये इस सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये। मैं मताधिकार के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया के तमाम देशों में 18 वर्ष के नवजवानों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। मैं इस सदन के जरिये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में कदम उठाये और 18 वर्ष के नवजवानों को वोट देने का अधिकार दे। जनता पार्टी ने एलान किया था कि बेकारों को काम देंगे। हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में बेकारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि यह अभिभाषण जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

आज हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवान पढ़कर लिखकर सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके पेट की रोटी का इंतजाम नहीं है, शरीर के कपड़े का इंतजाम नहीं है और कानून के अनुसार उनको मरने का भी अधिकार नहीं है। मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको बेकारी भत्ता जिसका उल्लेख चुनाव घोषणापत्र में किया गया है उनको देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और इसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते समय यह ख्वाव देखा करते थे कि इन गरीबों के लिये, पिछड़े लोगों के लिये, मुसलमानों के लिये कुछ इंतजाम किया जाय तो वही प्रस्ताव आज आया है। डा0 लोहिया और लोक नायक जयप्रकाश का और जो हम लोगों का स्वप्न था उसी के अनुसार आज हम गांव की ओर चल रहे हैं परन्तु साथ-साथ यह जाहिर हो रहा है कि जो पिछली सरकार में लोग थे उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस कुर्सी पर बैठें। कल इंदिरा गांधी के लोगों ने क्या किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मानसिंह आजाद]

अब जब नारायण दत्त तिवारी ने देखा कि विरोध पक्ष के नेता नहीं रहे तब उन्होंने हमारे हरिजन राज्यपाल को टोका । हमारे गरीब गार्ड जो हमारी सेवा के लिये हैं उनको मारा गया । वह बेहोश हो गया और दांत भी तोड़ा । अभी ओमप्रकाश गार्ड होश में नहीं आया है । और जो विधायक एक औरत आई है शायद उनको शौक रहा हो अपनी जवानी पर, एक गार्ड को दांत से काटा है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, दांत से किसको काटा है ....

श्री अधिष्ठाता—

आप टोका टोकी न करें ।

श्री देवबहादुर सिंह—

यह अनर्गल बात कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनकी बात का जबाब दे देना ।

श्री मानसिंह आजाद—

मान्यवर, आपके द्वारा मुझे जो कहने का अवसर मिला है, जो घटनायें इस प्रदेश में हो रही है, हरिजनों को कत्ल करने की, हमारे जगजीवन राम के द्वारा सम्पूर्णानंद की मूर्ति छूने पर उसको धोया गया । लखनऊ में झगड़ा हुआ और पत्थर फेंके गये । यह सब इन्दिरा गांधी की कांग्रेस की ओर से हो रहा है । यह नहीं वह कहते हैं कि देश की व्यवस्था को हम हिंसा के नाम से आगे नहीं चलने देंगे । कल आपने जो देखा और सुना और यहां पर यह कहने के बाद उन्होंने प्रदर्शन निकाला पुलिस के जावानों और हमारे जिलाधीश को और हमारे एस0 एस0 पी0 को खूब ढ़ीले से मारा । यही नहीं जीप चलाकर नौजवानों को दबाया । ये लोग कहते हैं कि हम देश की व्यवस्था को चलने नहीं देंगे । यह हिंसा की तरफ जा रहे है । हम लोगों का कहना है कि हम देश की व्यवस्था को शांति से रखेंगे और देश को गांधी जी के रास्ते पर चलायेंगे । हम शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं । परन्तु इस समय हमारे जसे लोग जो देश की आजादी के लिये लड़े थे आज अपनी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं तो दिल पर एक बड़ी चोट लगती है कि विधान सभा में नारायण दत्त तिवारी ऐसे लोग, इंदिरा गांधी ऐसे लोग जिन्होंने ने काफी दिनों तक हम लोगों को इमरजेन्सी में बन्द रखा और अखबारों पर जो देश में आजदी की लड़ाई में प्रेस वालों ने तलवार चलाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ, उसको भी बन्द कर रखा था इस लिये मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ था । धन्यवाद ।

(श्री प्रताप सिंह पुष्पवान का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री हरी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।'

श्री हरी सिह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, पहली बार मैं ऐसे बैंठे रहा हूं। आइन्दा ऐसे मैं नहीं बैंठूगा । मैं मिश्रा जी का जबाब देना चाहता हूं ।

*श्री प्रताप सिह पुष्पवान (जिला चमोली)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने कल अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष का हृदय बताते हुये एक बड़े महत्व का कार्य किया है। किन्तु जबकि उत्तर प्रदेश अनेकानेक समस्याओं से यहां की जनता को ऊपर उठाना चाहता है तो उस समय कल लोकतंत्र के हिमायतियों द्वारा जिस तरह का उद्दंड आचरण इस सदन में दिखाया गया उसको देखकर हम सब का सिर लज्जा से झुक जाता है। मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार कांग्रेस (आई0) वालों का दृष्टिकोण गरीबों के प्रति न होकर केवल अपने स्वार्थों तक सीमित रह गया है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कई बार पहाड़ों का जो जिक्र किया उससे हम को संतोष मिलता है। इस से पहले कि मैं अन्य बातों का जिक्र करुं में अपने उद्योग मंत्री को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नवम्बर में गौचर मेले के अवसर पर जाकर पहाड़ों में सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया और उस क्षेत्र में कार्य भी शुरू करवा दिया। लेकिन श्रीमन्, अभी भी उद्योगों को स्थापित करने के लिये बहुत संशोधन करने बाकी हैं। भूमि संबंधी कर्जे को प्राप्त करने के संबंध में तथा कर्जे की अदायगी के संबंध में जो कानूनी अड़चनें हैं उनको दूर करना आवयश्यक है ताकि सुदूर दूर बैठे किसान और उद्योगपति बिना साधारण प्रकार की कठिनाई के उद्योगों का काम कर सकें।

मान्यवर, अभी प्रधान मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार पहाड़ों के अन्दर कुछ करना चाहेगी तो हम उसको पूरी–पूरी मदद करेंगे। मुझे विश्वास है और मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान विशेष रूप से प्राधानमंत्री के इस आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय अवसर है जबकि पहली बार केन्द्र ने खुले दिमाग से पहाड़ों की सेवा करने का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। मान्यवर, इस समय पहाड़ों के अन्दर कुछ समस्याओं ने जनजीवन आतांकित कर रखा है। बनों के संबंध में कुछ लोगों ने युवा वर्ग को बरगलाया है और उनके नाम पर वह गलत काम करते हैं, मंत्रियों के घेराव करते हैं तथा हिंसा पर वह उतर आते हैं। इसलिये मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ के जवानों की भावनाओं को समझें। जो हमेशा शांति से रहा करते थे आज भटकाव में क्यों आते हैं और गलत आचरण पर क्यों उतारु हैं? मान्यवर, मैं राज्ययाल महोदय के अभिभाषण में एक बहुत बड़ी कमी का अनुभव करता हूं। मैं आशा करता था जिस प्रदेश में 86 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और जहां किसानों का बाहुल्य है क्या वहां पब्लिक स्कूल जैसी खर्चीली संस्थाओं को चलना चाहिये। क्या इससे किसानों का या दालित वर्ग के बच्चों का कोई लाभ होता है? अगर पिछड़े वर्ग के लोगों में क्रान्ति पैदा करनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में सब को समानता का अवसर देना पड़ेगा। पब्लिक स्कूल शिक्षा के नाम पर उसी तरह से कलंक हैं जिस प्रकार कृषि के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा थी। इसलिये इन पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था को अविलम्ब बन्द किया जाना चाहिये।

इसी तरह से आज का जो न्याय है वह इतना महंगा है कि वहां तक गरीब की पहुंच नहीं हो पाती। क्या एक गरीब किसान हाई कोर्ट तक जा सकता है जहां कि अच्छे वकील के लिये पैसा चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को पूरी सुविधाए देने का संकल्प किया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

मान्यवर, मुझे एक बात का बड़ा कष्ट होता है। पूरा पहाड़ हमारा ही नहीं, आपका भी है। प्रत्येक वर्ष वहां मोटर खड्ड में गिरती हैं या दुर्घटनाएं होती है और उन पर आज तक दो शब्द संवेदना के किसी ने नहीं कहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे पहाड़ों में कोई दुर्घटना न हो इस ओर शासन ध्यान देगा। इसी प्रकार पहाड़ों में बांधों के प्रश्न को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। टिहरी बांध या उत्यासु बांध बनना चाहिये या नहीं इस पर मतभेद है। कुछ का कहना है कि चट्टानों में दरार हो सकती है तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिये। केवल कुछ हटधर्मी लोगों की बात में आकर ही वहां जन जीवन में असंतोष नहीं फैलाना चाहिये। इसी प्रकार पहाड़ों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का सवाल है। इस साल हमारे यहां सेव और माल्टा व संतरा काफी पैदा हुआ। 40 पैसे किलो तक में भी सेव नहीं बिका। 30 और 35 पैसे किलो पर बिका। माल्टा पांच रुपये में 100 भी लोगों ने नहीं लिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिये वहां सेव और माल्टा पर आधारित उद्योगों का ढांचा खड़ा करना चाहिये। मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस विश्वास के साथ लोकतंत्र की विजय होगी और कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं बहुत आभारी हरी सिंह जी का हूं कि मैं पहले बोल लूं तब वह बोलेंगे। लेकिन मैं इसके पहले कि शुरू करूं मैं यह चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और बजट इनमें दोनों में दो तरह की बातें होतीहैं, एक में नीतियों की घोषणा होती हैऔर एक में साल भर के कार्यक्रम की घोषणा होती है, संख्या को लेकर के। तो आज साल भर में क्या बजट में होगा, क्या संख्या होगी, उसके बारे में विस्तार से कहना नहीं है। मुझे तो केवल नीतियों के संबंध में कहना है। मुझे बहुत खुशी होती यदि राज्यपाल महोदय पहले आये होते। लेकिन फिर भी मैं उनको बधाई देता हूं कि पांच महीने बाद आये और यह सेशन बुला तो लिया। मुझे आशा थी कि नवम्बर में जब हम हटे थे, तो दिसम्बर में सत्र बुलाया जायेगा। फिर मालुम हुआ कि जनवरी में बुलाया जायेगा और फिर मालुम हुआ कि फरवरी में बुलाया जायेगा वह तो हर साल बुलाया जाता हैलेकिन इस साल नयी प्रथा कायम की गयी और जो कि आपात-स्थिति के समय में कायम होती है। इस साल अंत में 17 मार्च को संयुक्त अधिवेशन बुलाकर यह नयी चीज की गयी। वाद्ध्यता लगा दी गयी सदन के सामने कि लेखानुदान से 2/3 महीने काम हो और बजट फिर बाद में पास हो। तो इसकी आवश्यकता नहीं थी।

श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहता हूं। 10 मार्च, 1970 को आज जो गृह मंत्री, भारत सरकार हैं, वे यहां मुख्य मंत्री थे। जब वे मुख्य मंत्री थे तो यहां सर्व—सम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। रिकार्ड है जो कि मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा था, मुख्य मंत्रीजी को भेजा था और अध्यक्ष जी को भी भेजा था। उस समय यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि साल भर में कम से कम 90 दिन का सेशन हो और कम से कम तीन बार सेशन हो और इन इन तारीखों में ऐसा ऐसा सेशन हो—उसका पूरा ब्योरा दिया गया है। हमने उसके बारे में राज्यपाल महोदय को लिखा तो उत्तर आया कि मुख्य मंत्री जी जैसा कहेंगे, वैसा होगा। तो मुख्य मंत्री जी ने 17 मार्च के लिये कहा तो मैं धन्यवाद देता हूं कि 17 मार्च को अगर कानून बाध्यता न होती तो शायद 17 अप्रैल तक बुलाते। लेकिन पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, इसलिये वह किया। तो मैं तो महामहिम राज्यपाल को इसलिये धन्यवाद देता हूं कि 5 महीने के बाद भी उन्होंने सेशन तो बुलाया जो कि सरकार यह कहकर नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलाती थी (जैसा कि अखबारों में आता था) कि केन्द्र ने अभी सहायता का निर्णय नहीं मिला। मान्यवर, कितनी लचर दलील है कि केन्द्र ने अभी निश्चय नहीं किया। केन्द्र का निर्णय कभी नहीं मिलता पहले। केन्द्र तो अंत में निर्णय करता है। यहां पर अनुमानित आय और व्यय पर बजट बनता है। अनुमान लगा लेते हैं और फिर सप्लीमेंट्री में आ जाता है। तो जो यह दलील दी गयी है, वह, मान्यवर, बहुत ही थोथी दलील है।

इसके अलावा, मान्यवर, पिछले अधिवेशन में शून्य प्रहर में बहुत से सवाल हम लोगों ने उठाये थे। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आये। मेरी कुछ माननीय सदस्यों से बात हुयी और उनसे भी मालुम हुआ कि उनके प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिले बावजूद अध्यक्ष जी की और मंत्रियों और मुख्य मंत्रीजी की चेतावनी के। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ ? यह नीति कैसी है ? इस पर खेद प्रकाश क्यों नहीं किया जा रहा है। जब मंत्रियों ने यह अभिभाषण तैयार किया तो कम से कम वक्तव्य में खेद प्रकाश तो इसके बारे में कर देते कि हम क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, टुअरिंग कर रहे थे, महंगाई बढ़ा रहे थे या माननीय हरीसिंह जी की तरह कांग्रेस को कोस रहे थे। अगर वह कर देते तो हम उसके लिये बधाई देते।

श्रीमन्, पिछले अभिभाषण की मुझे याद है। पिछले साल एक क्रान्ति हुई। क्रान्ति की संज्ञा दी गयी थी। एक क्रांति आई। माननीय राम प्रकाश जी को याद होगा, माननीय सदस्यों को याद होगा कि क्रान्ति का युग आ रहा था। हमने बधाई दी थी। मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि अगर बेकारी, गरीबी को एक साल में मिटा दिया गया, कम भी अगर कर दिया तो मैं बधाई दूंगा। आप थोड़ा दिल पर हाथ रख कर सोचें। बेरोजगारी को देखिये। भत्ते का आप ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, सी० पी० एम० गवर्नमेंट ने इसी देश में बेरोजगारी का भत्ता कायम किया है और 9 करोड़ रुपये अपने बजट में रखे हैं। आप यह देंगे नहीं। जब पैसा होगा, तभी तो देंगे। आप केवल यह कहके नहीं निकल जायेंगे कि कांग्रेस ने ये गलतियां की थीं उन्हीं की यह पराकाष्ठा है, क्लाइमेक्श है। गलतियों का मुकाबला आप न करें। आप जीत के आये हैं किन्हीं गलतियों के कारण और जनता आशा करती है कि आप उन गलतियों को ठीक करेंगे। किन्हीं गलतियों की आप पैदावार हैं। आप इन को कोसते हैं। आप इनकी पैदावार हैं। नारायणदत्त तिवारी जी से पैदा आप हुए। शब्द हमारा गलत हो सकता है। दूसरा शब्द हो सकता है। इन्हीं से आप पैदा हुए। इन को कोसते मत रहिये। कमीशन ओमीशन की बात मत करिये। अपने कामों पर आइये। अभी आप देखें आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान) . . . हरीसिंह जी आप हमें बोलने दीजिए। आप मेरे बाद बोलेंगे।

श्रीमन्, मैं कहना चहता हूं कि पिछले अभिभाषण में नागरिक स्वतंत्रता की बात कही गयी है। यह बड़ी अच्छी बात है। मीसा नहीं होना चाहिये। लेकिन मीसा न कर के क्रीमिनल प्रोसिजर कोड के नाम से एक परमानेन्ट कोड डाल रहे हैं, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के नाम से। मीसा की जगह परमानेन्ट प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट ला रहे हैं। आप सोचें। पुनर्विचार करलें कि आप क्या कर रहे हैं आने वाले जमाने के लिये। जो शासन में रहता है उस में यह भावना रहती है कि वही सदैव शासन में रहेगा। कांग्रेस ने गलती की है और आप यह गलती कर रहे हैं कि सदैव शासन में ही रहेंगे। कांग्रेस तीस साल शासन में रही। आप को तीस वर्ष नहीं लगेंगे। आप देखिये, अराजकता को देखिये, बेरोजगारी को देखिये, आपस की लड़ाई देख लीजिए। आप यह नहीं भूलिये कि आप से आशा हैं। जनता आप से निराश हो रही है। हालत क्या है ? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात की गयी है। एडवारटाइजमेंट सरकार के हाथ में है। जिस को चाहें वह ज्यादा एडवारटाइजमेंट देगी, ज्यादा डिसप्ले करेंगी, जिस को चाहे, कम देगी। आप ने क्यों अपने हाथ में ले लिया ?

[श्री श्याम धर मिश्र]

आल पार्टीज का कंट्रोल उस पर क्यों नहीं है। आप सीधे कंट्रोल न करके इन्डाइरेक्टली करते। 19 महीने की कहानी मैं नहीं कह रहा हूं। आप चाहते हैं कि समाचार पत्र सही में स्वतंत्र हों तो विज्ञापन वहां से हटायें।

आपने कहा है कि कानून का राज होगा। अभी साल भर नहीं बीता है। लोग न चाहें किन्तु मैं चाहता हूं कि आपके पूरे 5 वर्ष बीतें। यह मैं हृदय से चाहता हूं ताकि जनता आपको पूरे तौर से देखें। एक साल के अन्दर की कहानी तो जनता ने आपकी देख ली है और अभी आगे देखना है। आप अफसरों के तबादले के मामलों को देख लीजिये, जातीयता को देख लीजिये। जिला परिषदों और म्युनिसिपैलिटीज को भंग कर दिया। कोआपरेटिव और मंडीज का नामीनेशन किस तरह से कर रहे हैं। यह विकेन्द्रीकरण नहीं है, केन्द्रीकरण है। आपने वायदा किया था कि 3 महीने में चुनाव हो जायगा। आपने नहीं किया तो फिर कांग्रेस में आपमें क्या फर्क रहा। डिग्री का फर्क हो सकता है। तो फिर जिसके साथ इतिहास हो, उसके साथ जनता क्यों न जाय? इस बात पर आप गुस्सा न हों, ठन्डे दिल से सोचें। आप कमेटियां बनाते हैं। प्रान्त में बिजली की कमेटी बनी है। मैं भी विरोधी एम0एल0ए0 हूं। आपकी हवा के खिलाफ जीतना बड़ा मुश्किल था। हम हवा से लड़कर आये हैं। एक आदमी भी बिरोधी दल का उस बिजली कमेटी में नहीं है और नहीं रखा गया। क्यों? आप कह सकते हैं कांग्रेस वालों ने किया। मैं प्रान्त में नहीं था? अगर यह कांग्रेस ने किया तो भी भर्त्सना की बात है और आप कर रहे हैं तो भी वह भर्त्सना की बात है, निन्दनीय बात है। आपके पास कोई वेज पालिसी नहीं है। डाक्टर्स के लिये कह दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द। कुल मिलाकर वे 2700 रु0 पायेंगे। आई0ए0 एस0 जो हैं वे 4,000 रु0 तक पायेंगे, ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज 3500 रु0 तक पायेंगे तो डाक्टर्स और इन्जीनियर्स के लिये आपने सीमा बांध दी। अगर आप पुरानी गलत बातों को सीखने के लिये बैठे हैं और उसकी मिसाल आप कांग्रेस (आई) या नारायण दत्त तिवारी से लें या उनसे सीखे हों तो उन्हें आप अपने साथ रखें। मेरे साथ नहीं हैं। इन्होंने कांग्रेस का सफाया किया है।

श्रीमन्, गन्ने की कीमत के बारे में यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा है। गुड़ 4 रुपये मन खरीदा जा रहा है और कहते हैं कि बाजार दाम पर गुड़ खरीदा जायेगा। कहते कि मिनिमम प्राइस पर गुड़ खरीदा जायेगा। बाजार दाम पर तो बनिया भी खरीद लेगा। इसके अलावा चीनी मिलों में चीनी का स्टाक पड़ा हुआ है वह किसानों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आपकी पालिसी एज ए गवर्नमेंट होनी चाहिये कि उस बफर स्टाक को खरीद करके उसको बाजार में लायें या एक्सपोर्ट करें चाहे वह एक लाख टन हो या दो लाख टन हो। किसान और फैक्ट्रीज जो आज मर रही हैं उनको बचाया जा सके। खाली यह कहने से कि उद्योग और कृषि को प्राथमिकता देगें इससे काम नहीं चलने वाला है।

अभी तक जेलों में हैण्डलूम का कपड़ा खरीदा जाता था वर्दी के लिये लेकिन अब मालूम हुआ है कि धारी वाल या लाल इमली का कपड़ा खरीदा जायेगा। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, आपने लालबत्ती जला दी।

श्रीमन्, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। अगर मेरा चले तो मैं कहूंगा कि सड़कों का होना अतिआवश्यक है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांव की प्रगति केवल गांव का नाम लेने से नहीं होती या अभिभाषण या बजट में जिक्र कर देने से नहीं होती। इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे जिसमें सड़कें मुख्य हैं। जितनी सड़कें आज आप नई बनाते हैं उससे दुगुनी सड़कें कच्ची हो जाती हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं है आप किसी की कांस्टीटूएंसी में देख लीजिये मैं मिनिस्टरों की कांस्टीटुएंसी की बात नहीं करता। पुरानी सड़कों की रिपेयर के लिये कोई पैसा नहीं है। आज लाखों मील सड़कें कच्ची होती जा रही हैं।

आज वादा निभाओं दिवस मनाया जा रहा है। यह आपके युवा जनता वाले मना रहे हैं। आपके ही लोग हैं और आपका दल ही विरोधी दल बन गया है। हम भी मांग करते हैं।

भाई रामप्रकाश जी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं इस प्रांत में एक तहसील ज्ञानपुर है। जहां आप गये थे और वह तहसील इस प्रांत से करीब एक सौ करोड़ का व्यापार विदेशों को करती है और डालर कमाती हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा सड़कों और अस्पतालों के बारे में हो रही है। जिसे आप स्वयं देख कर आये हैं (व्यवधान) मैं किये होता तो हार करके नारायण दत्त तिवारी जी के साथ न रहता। यह कोई जवाब नहीं है। और आप भी वही करेंगे जो कांग्रेस ने किया या नारायण दत्त तिवारी ने किया तो 30 साल में उनकी यह हालत हुई और आपकी 30 महीने में वह हालत हो जायेगी (व्यवधान) मेरी भी वही हालत होगी यदि मैं वैसा करूंगा।

श्री अधिष्ठाता——

मिश्रा जी आप का समय समाप्त हुआ।

श्री श्यामधर मिश्र——

मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री यहां बैठे हुये हैं वह इस पर विचार करें और उस तहसील को उद्योग तहसील मानकर एक जिला मानें और उसे जिले का रूप देकर उसकी समस्याओं को हल करें क्योंकि यह प्रांत की शिखर तहसील है। प्रदेश के उद्योगीकरण में आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी।

एक मिनट में बात कह कर खतम करता हूं और वह यहां मुझे याद है मैं उस वक्त यहां नहीं था मैं पार्लियामेंन्ट में था (व्यवधान) ऊपर मैं नहीं गया था ऊपर तो मान सिंह जी जाकर आ सकते है।

श्रीमन् मैं कह रहा था कि सन् 1974 की बात मुझे याद है, आज के गृह मंत्री उस समय यहां पर नेता विरोधी दल के रूप में थे और उनका भाषण भी मुझे याद है। उनके भाषण में यह छपा है यदि यह सरकार बैलट से नहीं बदली जा सकती है, तो हो सकता है कि बुलेट से बदलना पड़े। तो वही लोग उधर चले गये हैं। तो वह अंहिसा की बातें दूसरों को क्या सिखाते हैं। हिंसा के बल पर आई यह सरकार अहिंसा दूसरों को क्या सिखायेगी।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश' (जिला कानपुर)——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 287 में यह है कि अध्यक्ष या अधिष्ठाता किस प्रकार माननीय सदस्यों को बोलने के लिये पुकारेंगे। आप लिस्ट देखते हैं, नाम पुकारते हैं, और उन सदस्यों का नाम पुकारते हैं जो यहां पर नहीं हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप नियमानुसार चलें।

श्री अधिष्ठाता:——

वही होगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'——

तो इस वक्त मैं आपको दिखाई दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता——

यह मैं कैसे समझूं।

श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, श्यामधर जी मिश्र ने जो कुछ इसके लिये पहले कहा है उनकी बातों का मैं अच्छी तरह जवाब दूंगा और रियासत हुसैन जी ने जो भ्रम फैलाने के लिये राज्यपाल के अभिभाषण की पुष्टि में जो विपरीत बातें कही हैं उस पर भी काफी कुछ कहूंगा। पर इसके पहले सर्वप्रथम प्रदेश की जनता को, इस सदन के माध्यम से बतला देना चाहता हूं कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे इसको देखेंगे यह वही लाइनें हैं जिनको हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा था। चाहे वह धरती का बेटा किसान हो या मजदूर हो या उद्योग की बात हो, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के लोग ऐसी बाते कह कर जनता में भ्रम फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। लेकिन उनको इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। वे भाषण को पढ़ें चाहे कृषि की नीति हो, चाहे उद्योग की नीति हो और चाहे सिंचाई की नीति हो, हमारी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो हमारे घोषणा पत्र में था, उसी के अनुरुप उसको कार्यान्वित करने के लिये इसमें मजबूत कदम उठाये गये हैं।

एक बात मैं आप के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की बात बार-बार दोहराई जा रही है लेकिन उसकी बिगाड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर है। कल सदन में जो दृश्य पैदा किया गया है और बाहर जो कुछ हुआ, उसको मैंने अपनी आखों से देखा है कि किस प्रकार किराये के पालतू गुन्डों को लेकर प्रदेश और देश तथा लखनऊ के ला एण्ड आर्डर को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। मिश्रा जी, जो कुछ दिन पहले तक नारायण दत्त तिवारी जी के साथ रहे हैं, मुझे खुशी है कि अब उनसे अलग आ गये हैं। लेकिन उनकी जो कार्य पद्धति है, वह अब भी घपले में है। वह हमेशा से अवसरवादी रहे हैं, वह तो गद्दीनशीन आदमी हैं। इसलिये उनका भाषण सदैव से वैसा ही हुआ करता है। हरिजनों के साथ विश्वासघात करने वाले कांग्रेस (आई) के लोग और गरीबों के मसीहा बनने वाले सी0 पी0 आई0 के लोग अपना दामन देखें। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने हरिजनों, मजदूरों और किसानों तथा राजनीतिज्ञो का कितना दमन कराया है, इस चीज को याद रखने की अब उनमें क्षमता नहीं है। वे उन्हें याद रखें। मैं सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार हम चल रहे हैं। किन्तु जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें यह बाधा डाल रहे हैं। हम लोकतंत्र वादी हैं, किन्तु कल आपने देखा 30-35 आदमी हमारे राज्यपाल महोदय, कर्मचारियों और अधिकारियों को मार रहे थें और हम 385 होते हुये भी चुपचाप बैठे हुये थे। जिस तरह का बयान नारायण दत्त तिवारी ने दिया है, वह भी ध्यान देने योग्य है। यदि हमने हाथ उठाया होता तो वह चकनाचूर हो गये होते। यदि हमारा हाथ उठा होता तो आप चकनाचूर हो गये होते। कर्मचारियों को मार खाते हुए हम देखते हुए हम शान्त रहे, आप कहते हैं कि आपने लोकतंत्र के लिए वादा किया है, उसके विपरीत जा रहे हैं. सी0 आर0 पी0 सी को अमेंड करने की बात है। क्या आप इस देश में आग लगाना ही चाहते हैं। क्या आप को ला एण्ड आर्डर बिगाड़ने की छूट दे दी जाय। जिस प्रकार गुन्डों को बुलाकर मैंने उनको पहचाना है मैं सदन से बाहर गया था देखने के लिये उनके गोल में ऐसे-ऐसे बनारस के गुंडे थे, जिनको मैं पहचानता हूं जिनके हाथ में कट्टे और रिवाल्वर थे। यहां पर अराजकता फैलायी गयी दुकनादारों को जिस प्रकार लूटा गया, राह चलती हुई महिलाओं और कमजोरों को [***] सताया। कहते हैं कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर बिगड़ा जा रहा है।

नोट:-[***]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह झूठ है कि कांग्रेसी गुन्डे थे। किसी पार्टी के नाम पर गुन्डई शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल आपत्तिजनक है। आप निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बठिये। मैं देख रहा हूं। आपसे ज्यादा देख रहा हूं।

श्री श्यामदेव--

मैं बता रहा था कि इस प्रदेश की जनता की राहत देने के लिये जनता पार्टी कटिबद्ध है। माननीय राज्यपाल के अभिभाण का एक एक अक्षर इंगित करता है कि जनता को दिये हुये वचन को निभाने के लिये जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने से चूकेगें नहीं। हमारी सरकार ने भूमि विकास कर माफ किया। कांग्रेसी सरकार द्वारा जजियाकर की जगह लगाया हुआ लगान के सम्बन्ध में विचार करने की बात सोची है। हमने गन्ना किसानों के सम्बन्ध में राहत देने के लिये हमारी पार्टी तैयार हो रही है। मैं भोजपुरी भाषा में कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी को गोडी का प्रभाव है कि आज खेत लहलहा रहे हैं चाहे वे गेहूं के खेत हों या गन्ने के खेत हों, आज हमारा किसान खुश है, उसको जो मूल्य मिलेगा। जो गैलरी में बैठकर सुन रहे है। उनके बहकाने में इस प्रदेश की जनता नहीं आयेगी। इस प्रदेश की राजनीति में आप लोगों की हरकतों को वह पहचान रहे हैं।

रियासत साहब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। उन्होंने हरिजनों के सन्बन्ध में गलत आंकड़े दिये हैं। वह जाकर राज्य सरकार के आंकड़े देखें। कांग्रेस के जमाने में हरिजनों पर कितने अत्याचार हुये हैं। उससे कहीं कम जनता पार्टी की सरकार में हो रहें है। मैं बनारस का उदाहरण देना चाहता हूं कि माननीय जगजीवन राम जो हरिजनों के मसीहा हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। माननीय नारायण दत्त तिवारी की पार्टी के माननीय भूतपूर्व रेलवे मंत्री के घर के लोग और उनके द्वारा पाले गये लोग [* * *] थे।

श्री अधिष्ठाता:--

माननीय श्यामदेव जी ने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनको मैं संसदीय नहीं समझता हूं। उनको निकाल दिया जाय।

श्री श्यामदेव--

मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। देवरिया के सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं। हरिजन छात्रावास में हजिरनों को पीटने वाले लोग कौन हैं। जो सरस्वती का मन्दिर होता है उसमें आग लगाने वाले लोग कौन थे? वहीं कांग्रेस (आई) के लोग ही थे। इस लिये हरिजनों के नाम पर, किसानों के पर देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित न करें। लोकतंत्र की मान्यताओं में उनका विश्वास नहीं है। यह उनके पापों का परिणाम है जो उनको भोगना पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

नोट --[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही निकाल दिया जाय।

श्री श्याम देव—

इसलिए मैं अधिक न कहकर महामहिम राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करता हूं और वह जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार है ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज सारे प्रदेश में और सारे देश में एक नयी व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है और व्यवस्था के नाम पर अराजकता के माध्यम से राजनीति चलाई जा रही है । राजनीति में जातिवाद इतना घर कर गया है कि देहात में जो रहते हैं वह यही सोचते हैं कि शहर की ओर चला जाये और अपने को सुरक्षित किया जाय।

मैं आपको एक दो घटनाये बतलाना चाहता हूं जिनमें अत्याचार हुए हैं, जनता पर । (नौहसील) नौजील थाने के अन्तर्गत चौकड़ा गांव में जो मथुरा जिले में है, वहां की महिलाओं को लूटा गया और उनके साथ बलात्कार किया गया । गोली से हत्या की गई छोटे-छोटे बच्चों को जूतों से मारा गया और जब जांच के लिए कहा गया तो कहा गया कि एक बड़े नेता का दबाव है और हम जांच करने में असमर्थ हैं । अगर नेता अन्याय को बढ़ाने में सहयोग देंगे तो क्या होगा । इसी तरह से मथुरा जिले के सादा बाद थाने अन्तर्गत पुरसुन्डा गांव में 3–3 और 4–4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया 2 कत्ल किये गये और महिलाओं को मारा गया लेकिन एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया । कहा गया कि इसमें एक बड़े नेता का हाथ है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम पर बड़ी दुहाई दी जाती है । आरक्षण की बात पर आप सोचें, आरक्षण को तो तब दिया जाना चाहिए जब यह विचार कर लिया जाये कि अमुक व्यक्ति की आमदनी कितनी है और इसके क्या साधन हैं और उसको क्या सुविधायें दी जायें । मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की आमदनी के आधार पर आरक्षण दिया जाये, जाति के आधार पर आरक्षण देकर जातिवाद को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है । एक ब्राह्मण का बेटा जिसके पास जमीन नहीं है और वह प्याऊ पिला रहा है उसको कोई सुविधा नहीं दी जाती है । पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के लोग जिनके पास 200 एकड़ जमीन है, जो साधन संपन्न है उनको आरक्षण दिया जाता है और वे सुविधायें उठाते हैं । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार एक आयोग का गठन कर जो निश्चित करे कि व्यक्ति की कितनी आमदनी के आधार पर और किस तरह से उसको सुविधा दी जायें । कानून की व्यवस्था खराब है । यह कानून की व्यवस्था आरक्षण के कारण भी खराब है । आरक्षण के आधार पर ऐसे अधिकारी ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं जो शासन नहीं चला पाते हैं । अगर इस नीति में परिवर्तन न किया गया तो इस देश को बहुत अभिशाप लगेगा और शासन व्यवस्था में कोई सुधार न हो सकेगा । आरक्षण के लिए व्यक्ति विशेष की आमदनी को देखना होगा और उसकी आमदनी के आधार पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह आगे उन्नति कर सकें ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें इस बात का कहीं पर संकेत नहीं दिया गया है कि जो अधिकारी ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जायेगा और जो बेईमान अधिकारी हैं उनको सेवा से मुक्त किया जायेगा । यदि यह व्यवस्था कर दी जाये तो शासन में जो भ्रष्टाचार है वह बहुत कुछ हद तक समाप्त होगा ।मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सादाबाद तहसील में एक अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी है, जो बहुत ही भ्रष्ट है उसके लिए जब जनता द्वारा 105 दरख्वास्तें विभाग को दी गईं और उनके द्वारा जांच हुई तो साबित हुआ कि वह बेईमान है और जब तबादला हुआ तो जातिवाद के नाम पर उसको रोका गया । मान्यवर, सादाबाद थाने के आतंक को आप भी जानते हैं । हमारे क्षेत्र के एक श्री रामशरण सिंह जी

हैं, वे बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। वहां के थानेदार द्वारा उनको पीटा गया और जब हम लोग जिलाधीश से मिले और पुलिस कप्तान से मिले तो बताया गया कि यह एक बड़े नेता का सम्बन्धी है और डी0आई0जी0 का आदमी है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। यह काम तो कांग्रेस के राज्य में हुआ करता था, उन्हीं के जमाने में कुनबापरस्ती हुआ करती थी लेकिन अगर इसी प्रकार जनता पार्टी की सरकार में भी होने लगेगा तो बेईमान अधिकारी ही इस देश में शासन करेंगे और यही कारण है कि आज राजनीति के उच्च पदों पर बैठे लोग ब्युरोक्रेट्स से दबते जा रहे हैं।

अब मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान मथुरा जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर कई वर्षों से खरीफ की फसल नहीं हुई है और अगर कोई होती भी है तो वह ईख की फसल ही है, लेकिन इस वर्ष उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। रबी की फसल भी 4–5 वर्ष से अच्छी नहीं हुई है और इस वर्ष तो वर्षा और ओलों के गिरने से बरबाद हो गई है। आज वहां के किसान और खेतिहर मजदूर परेशान हैं। अगर उनकी मालगुजारी और आबपाशी को समाप्त नहीं किया जायगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मथुरा की जनता उजड़ जायेगी, वहां के किसान भिखारी होकर अपना जीवन यापन करेंगे।

मथुरा जनपद के सहकारिता विभाग का इतिहास अलग ही है जहां पर लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है किन्तु वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये इसलिए कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे एक वर्ग विशेष से सम्बन्धित है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून के सामने न कोई जाति और न कोई धर्म और न कोई व्यक्ति विशेष होता है। यह भी देखने में आया है कि जिन लोगों ने फर्जी कर्जे लिये थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है लेकिन जो बेचारे निरीह किसान हैं जिन पर फर्जी ऋण दिखाया गया चाहे वह 500 रुपये का हो या 300 रुपये का ही हो, उनके खिलाफ वारन्ट जारी किये जा रहें हैं और उन्को परेशान किया जा रहा है।

मथुरा के पास 4 किलोमीटर के फासले पर एक राया नाम का स्थान है, वहां पर पड़ी डकैती ने सिद्ध कर दिया है कि वहां पर ला एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। थाने के 20 कदम पर एक प्रोफेसर को मार दिया गया और लाखों रुपये की उसकी सम्पत्ति लूट ली गई और वहां की पुलिस सोती रही, कोई तत्परता से पुलिस ने काम नहीं किया। अगर वे चाहते तो बदमाश अवश्य पकड़े जाते। इससे भी बढ़ कर एक और हदशा गुजरा। दिल्ली के पुलिस कप्तान की पत्नी को मथुरा में नरहोली थाने के पास दिन दहाड़े उनके साले और बच्चों सहित बंदूक की नोक पर लूट लिया गया और पुलिस के लोग वहां पर जब पहुंचे जब कि पहले ही गांव के आदमी पहुंच चुके थे। अगर इस प्रकार की अराजकता को नहीं रोका गया तो राज्य चलने वाला नहीं है। अगर सरकार अराजकता को नहीं रोकेगी और बिरादरी के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी तो देश में अराजकता अवश्य बढ़ेगी। कल की घटना तो स्थायी घटना नहीं थी, लेकिन इंदिरा जी के समर्थक हमेशा ऐसा ही करते आये हैं और अराजकता के माध्यम से ही अपनी कुर्सी को उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया है लेकिन देश की जनता समझ गई है कि आज उनके साथ कोई नहीं है। हमें देखना होगा कि हम अपने देश की व्यवस्था को जातपांत, बिरादरी और धर्म विशेष के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता और पात्रता के आधार पर करनी होगी और व्यक्तियों का चयन भी इसी आधार पर करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

विरोधी पक्ष के लोग अगर बोलना चाहते हैं तो खड़े भी हुआ करें। मैंने बदन सिंह को कह दिया।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय रमाशंकर कौशिक के धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी जनता पार्टी की नीति ठीक उसी प्रकार दिग्दर्शित की गयी है जो जनता पार्टी ने चुनाव के समय पर अपना मैनिफेस्टो प्रदेश की जनता के सामने रखा था। इस अभिभाषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किये थे उनको पूरा करने के लिये हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। हमने वादा किया था कि हम गांव की प्रगति करेंगे, गांव की ओर चलेंगे। उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान जा रहा है। उसने जो कदम उठाये हैं गांव की उन्नति के लिये वे प्रशंसनीय है।

हम कृषि विभाग को लें तो हम देखते हैं कि छोटे-छोटे किसानों का लगान माफ कर दिया गया। पिछली सरकार के द्वारा लगाये हुये विकास कर से किसान को मुक्त कर दिया। जो किसान पहले 10 गुना और 20 गुना देकर भूमिधर बनता था अब उसको बिना कोई पैसा दिये भूमिधर बना दिया गया उसको भूमि का स्वामित्व दे दिया। इसी प्रकार से सहकारिता विभाग को लें जो चुनाव गत शासन की धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार के कारण 12-13-14 वर्ष से नहीं हुए थे वह कराये गये। उन सोसाइटियों को जो अब तक घपले में पड़ी हुई थीं उनका सत्यापन कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सिंचाई विभाग के द्वारा उन जिलों में जो बाढ़ और गरकी के कारण प्रभावित होते थे, वहां की जनता त्राहि त्राहि करती थी तो विशेष रुप से मैं याद दिलाऊं मथुरा जिले की और आगरे जिले की जहां बाढ़ और गरकी की समस्या को सुलझाने के लिये एक ड्रेनेज विभाग खोला गया है और बाढ़ और गरकी की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो सुविधायें शासन ने प्रदेश की जनता को प्रदत्त की हैं वह यह भी देखे कि वे जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि बाढ़ और गरकी के लिये जो पैसा दिया गया है, शासन देखे कि उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग हो रहा है या नहीं। मेरे पास इस तरह की सूचनायें एकत्रित हो रही हैं कि वह पैसा कुछ अंशो में, बल्कि अधिक अंशों में भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की जेबों में जा रहा है। उस राहत के लिये जिसके लिये हमने उसको स्वीकार किया था, उसमें खर्च नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं सहकारिता विभाग के मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो चुनाव करवाया, निस्सन्देह यह अच्छी बात हुई, लेकिन जो धाँधलेबाजी चुनाव में बरती गयी उससे भी विमुख होकर नह बैठना चाहिए। मैं अपने ही क्षेत्र के एक मई बुजुर्ग गांव का उदाहरण देता हूं कि वहां एक उम्मीदवार का समर्थन करने वाले का नाम "मोती" का "सोती" कर दिया गया और अन्य प्रकार से भी सहकारिता विभाग के चुनाव में धाँधलेबाजी हुई। हम जो राहत देना चाहते हैं वह वास्तव में प्रदेश के निवासियों तक पहुंची है या नहीं यह भी देखना हमारा कर्तव्य है।

म सहकारिता विभाग को मंत्री के साथ ही साथ यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मकानों की पूर्ति करने के लिये केवल सहकारिता विभाग के सदस्यों को ही नहीं बल्कि उसके बाहर के लोगों को भी सुविधा देने के लिये ऋण की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से हमारे विरुद्ध यह बहुत सी बातें कहीं जाती है कि हमारा प्रशासन ढीला है प्रशासनिक अधिकारी

उस तरफ ध्यान नहीं दे रहें है यह किसी अंश तक ठीक है, लेकिन निस्संदेह हमारी सरकार ने इस ओर भी कदम बढ़ाया है।

अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी गयी है तथा उन पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी है। यह भी अब व्यवस्था को गयी है कि गांवों में जो चौकीदार लोग आपराधियों का पता लगायेंगें उनको भी पांच सौ रूपये तक इनाम देने का प्राविधान किया गया है इस तरह से देखा जाये तो मालूम होगा कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाये है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वैसे कदम पिछली सरकार ने कभी नहीं उठायें।

मान्यवर, मद्य-निषेध का कदम जो इस सरकार ने उठाया है पिछली सरकार नहीं उठा सकी। पहली अप्रैल, 1978 से कुछ जिलों में पूर्ण मद्य-निषेध हो जायगा और 4 वर्षों के अन्दर ही पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की हमारी सरकार की योजना है। 4 वर्षों में उसे पूरा करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है।

कुछ जिलों में पेय जल की भी समस्या बड़ी भीषण थी। मैं अपने जल सम्पूर्ति मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समस्या के हल के लिये भी कदम उठाये हैं। हमारी तहसील को भी उन्होंने संकटग्रस्त इलाकों में शामिल करके वहां पेय जल की समस्या व्यवस्था शीघ्र करने का आश्वाशन भी दिया है। हमारे यहां बहने वाली नदी का नाम खारी नदी है। इसी कारण उसको संकटग्रस्त क्षेत्र में शामिल किया गया है।

साथ ही शासन ने शिक्षा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के समस्याओं पर विचार करने के लिये कदम उठाये हैं। इनकी समस्या भी आज प्रदेश के सामने एक भीषण समस्या बन गयी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने हेतु एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय उन्होंने किया है जिसमें विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व रहेगा, अभिभावकों के प्रतिनिधि भी रहेंगे,शिक्षक भी रहेंगे और बहुत से लोग उस पर विचार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वाश है कि इस तरह से इस समस्या का हल निकाला जा सकेगा और हमारे विद्यार्थी जो अब तक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाये हैं उनको भी अपनी पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा। प्रदेश की प्रगति में उनका भी सहयोग हमें मिल सकेगा।

मैं एक बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शासन द्वारा जो सरकारी आदेश अधिकारियों को दिये जातें है उनका पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये मैं एक आगरे का मामला देना चाहता हूं। आगरा के ए0 डी0 एम0 (ई) के लिये गत 2 तारीख को चार्ज लेने के लिये आदेश दिये गये, मगर संबंधित अधिकारी को अभी तक चार्ज नहीं दिलवाया गया। इस तरह वे अनेक उदाहरण देखने में आयें है जब कि अधिकारी-गण सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते। सरकार इस ओर ध्यान दे और यह देखे कि आदेशों का सख्ती से पालन हों।

जहां तक कल की घटनाओं का संबंध है, मैं सरकार से और अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं और परामर्श देना चाहता हूं कि वे इन सीटों पर बैठने वालों की कोई आलोचना न करें। गत फरवरी और जून के चुनाव में, जनता ने स्वयं उन्हें सजा दे दी है और आज वे शर्म के मारे स्वयं अपनी सीटों को छोड़कर चले जाते है। इस प्रकार के उनके कार्यों का फैसला करने के लिये आप जनता पर ही छोड़ दीजिये। हमें चाहिए कि हम यहां जनता की प्रगति के लिये उनकी समस्याओं पर विचार करें।

[श्री बदन सिंह]

(लाल बत्ती जलने पर) महोदय, आपने लाल बत्ती दिखा दी है, लेकिन मैं दो शब्द यह और कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो प्रशासनिक अधिकारी चुस्त है और ईमानदारी से काम कर रहें है, उन्हें हमें उत्साहित करना चाहिए जिससे उनकी हिम्मत और अच्छे कार्यों के लिये बढ़े और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये हमें कड़ा से कड़ा कदम उठाने में नहीं चूकना चाहिए ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो चीजें दी गयी है, मैं उनकी तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, कृषकों के बारें में लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि सदन के अन्दर जितने हमारे सदस्य है, इनमें से ज्यादातर किसानों के बेटे हैं और गांवों से आयें हुए है । लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कुर्सी की दिशायें बदल जाती हैं, हमारे वही साथी इधर से उधर चले जाते हैं और जब सदन में रहते हैं तो उनकी वह समझदारी कहां चली जाती है ? कुछ हमारे भाई दबती जबान से कुछ बातें यहां पर रखते हैं लेकिन जिस तरीके से असलियत को यहां पर रखना चाहिए, नहीं रखते है । आज उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या दशा है इसको आप देखें । बराबर 30 वर्षों के कांग्रेस के शासन को इस सदन के अन्दर कहा जाता है ।

आज किसानों के हरे-भरें खेतों को लहलहाते हुए देख रहें है । किसानों के बच्चों को खूब खुशहाल देख रहें है । लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति है, यह जरूर उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल और दिमाग में बात थी कि यह सरकार जो 30 वर्षों से इस जनता के गदेले के ऊपर चढ़ बैंठी थी और समस्त क्रांति के नाम पर वह सरकार हटी तो, किसानों के दिल में एक बहुत बड़ी आशा बंधी हुई थी, लेकिन उस सरकार के हटने के बाद जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है जनता का स्वप्न साकार नहीं हो पा रहा है । किसानों के पास एक वर्ग की समस्या नहीं है । किसानों के बेटे माध्यमिक शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, छोटी नौकरियों में है, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से असंतोष फैल रहा है, इसको मंत्री लोग स्वयं जब जिलों का दौरा करने जाते है, देखे होंगें । खासतौर से मैं माननीय शिक्षा मंत्री, श्री कालीचरण जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं जो यहां पर मौजूद है । इन्होंने गाजीपुर में जाकर वहां पर एक बहुत बड़ी जन सभा की । वहां पर जब विद्यार्थी आगे बढ़ रहें थे अपनी बातें कहने के लिये, तो उनको पीटा गया । माननीय मुख्य मंत्री जो भी वहां पर मौजूद थे कुछ इनके इने-गने लोग धक्का देकर भाग रहे थे, वहां पर मौजूद ये थे । लेकिन उस जनता के असंतोष को ये रोक नहीं सके और इनका पूरा प्रशासन वहां पर ठप्प हो गया । मान्यवर, जिस तरीके से बरबरता पूर्वक आजमगढ़ जिले में हमारे माध्यमिक शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको पता भी नहीं था कि लाठी चार्ज क्यों किया जा रहा है । अनेक जिलों में भी माध्यमिक शिक्षकों के साथ जो घटनाएं घटीं, उन चीजों को हमारे शिक्षा मंत्री काली चरण जी अच्छी तरह जानते हैं । लेकिन इसमें जो उल्लेख किया गया है कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है और शांति व्यवस्था के बारे में जो चीजें और जो आंकड़े माननीय रियासत हुसैन साहब ने पेश किये हैं उसके संबंध में, जो घटनायें हुई हैं उनके संबंध में यहां पर सफाई नहीं दी जाती है । सरकार को चाहिये कि जिम्मेदारी के साथ इन बातों का पता लगाये और शांति व्यवस्था कायम रखे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी चीज मैं जमीनों के बंटवारे के बारे में कहना चाहता हूं। आप असलियत को मत नकारिये। जिस असलियत को नकारने की आप पौध हैं पैदाइश हैं उसको मत नकारिये। असलियत को नकारेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि जो उनका हस्र हुआ है वही आपका होने वाला है। जमीनों के बंटवारे के बारे में मैं मिर्जापुर के बारे में एक आध चीजों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं खासतौर से शिक्षा मंत्री के बारे में कहना चाहता हूं।

गाजीपुर में रेवां गांव है जहां पर 65 बीघे जमीन पर बीसों वर्ष से भूमिहीन खेतिहर मजदूर जमीन जोत रहे हैं। बहुगुणा जी के जमाने में जमीन बांटी गयी वह जमीन पाने के हकदार थे। लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। जमीन को बांटने से रोका गया। जब वह सरकार चली गयी तो आज भी उस जमीन को रोका जा रहा है। बांटने नहीं दिया जा रहा है। जबकि उस जमीन पर बीसों वर्षों से भूमिहीन खेतिहर मजदूर काबिज हैं। मंत्री जी गाजीपुर जिले के हैं। गाजीपुर जिले में जो जमीन बांटी गयी है तो वहां लोग उस जमीन को नहीं दे रहे हैं कुछ बड़े लोग चाहे वह किसी भी बिरादरी के हों उन जमीनों के ऊपर कब्जा किये हैं और जमीन गरीबों को मिली है। इनके गांव में ये खुद दखलंदाजी करके ग्राम समाज की जमीन को बांटने से रोक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य वहां की जानकारी कर लें कि मंत्रीजी के परिवार के लोगों के बीच कितनी ग्राम समाज की जमीन ली गयी है पट्टे के ऊपर, इसकी जानकारी आप कर लें और इस चीज को सदन में, ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 30 वर्षों की कांग्रेस की सरकार का जिस तरह से कुकर्मों के कारण पतन हो गया अगर वही स्थिति आपकी रही तो आप भी अपने को नहीं बचा पायेंगे और सरकारें आती जाती रहेंगी। जो देश की जनता की भावनायें थीं, जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति जो गांवों तक ले जाने की बात आप करते हैं अगर उसको समुचित साकार रूप देना चाहते हैं तो जरा हमारे माननीय सदस्य जो सदन में बैठ करके जो बातें कहते हैं वह जरा अपने दामन में देखें कि असलियत क्या है। असलियत से वह इंकार न करें।

मैं इसके बाद खासतौर से माननीय सदस्यों का ध्यान जो छुटपुट घटनायें हरिजनों के ऊपर पूरे प्रदेश में घटित हो रही हैं उस तरफ दिलाना चाहता हूं। आज यहां पर हमारे कुछ हरिजन भाई जो माननीय सदस्य हैं। जब वह बोलने लगते हैं तो लगता है कि वह सरकार का गुणगान करने के लिये, वकालत करने के लिये हैं। आप असलियत से इंकार मत करिये। आज भी हरिजनों के साथ, मुसलमनों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वह आप सब जानते हैं। 30 वर्षों तक कांग्रेस के लोगों ने हरिजनों का बड़ा गुणगान किया, गरीब वर्ग को बढ़ाने की बातें कहीं गयीं। गांवों के अन्दर जो हरिजन, गरीब के बेटे हैं जो कुछ नौकरियों में हैं, या शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं तो वह आज भी अपने दरवाजे पर या गांव के अन्दर चारपाई पर नहीं बैठ पाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जयराम—

धन्यवाद।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। आप लोग जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस पार्टी से कर दिया करते हैं कि यदि वही काम किया तो जो पिछली सरकार का हश्र हुआ वही इस सरकार का होगा। तो मैं मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भूलकर भी जनता पार्टी की तुलना पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार से या आज की जनता पार्टी की सरकार से उस स्तर पर न की जाय जिस स्तर पर इमरजेन्सी लगाई गयी या जुर्म किये गये थे। मेरी मान्यता है कि जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार से कई गुने अच्छी और कई गुने सार्थक हो सकती थी, लेकिन मैं अपनी सरकार के जो मंत्री यहां मौजूद हैं या जो पार्टी की सरकार है उससे कहना चाहता हूं कि तमाम लोग आशा करते हैं कि जो गल्तियां कांग्रेस पार्टी ने की हैं वह गल्तियां अब न दोहराई जांय क्योंकि जिस उम्मीद और आशा से लोगों ने पिछली सरकार को खत्म करके नई सरकार बनाई हैं यदि वह उम्मीद लोगों की पूरी नहीं होगी तो जिस सपने को लेकर, जिस आदर्श को लेकर इस सरकार की स्थापना की गयी है वह भी धूल में मिल जायेगी। इसलिये मान्यवर, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो यहां संदेश प्रसारित किया कि हमलोग अब गांव की ओर चलेंगे और गांव अभिन्मुख योजना बनाई जायेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह अच्छा काम होगा और सही माने में यदि उत्तर प्रदेश को बनाना होगा तो उत्तर प्रदेश के गांवों को पहले बनाना जरुरी है। लेकिन यदि कह देने से गांव बन जाय तो फिर कथनी व करनी के इतने बड़े फर्क को लोग न देख पायें।

आज 9 महीने सरकार बने हो गये। इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने शपथ लेने के बाद घोषणा की थी कि मुझको लोग 6 महीने का मौका दें और 6 महीने के अन्दर मैं समस्याओं का समाधान कर दूंगा। लेकिन आज मान्यवर, 9 महीने हो गये हैं। उसमें कितनी समस्यायें सुलझ गयीं, कितनी समस्याओं का समाधान हो गया इसका मूल्यांकन इस प्रदेश की जनता कर रही है। हो सकता है कि कठिनाई आयी हो लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार कितना अच्छा कर रही है या कितना अच्छा नहीं कर रही है उसका मूल्यांकन तो बाद में होगा, लेकिन पहला काम होना चाहिये कि लोगों को आप पर विश्वास हो कि जनता-पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है और उस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन यदि इस बात का विश्वास लोगों में आप नहीं भर पायेंगे तो आप भला काम कर भी रहे हैं तो उसके बावजूद भी वह आपको अच्छे संदेश नहीं भेजेंगे। जहां एक तरफ इस समय जिनको सरकार या कुर्सी छिन जाने का भय है वह जनतांत्रिक तरीकों का परित्याग करके इस सूबे में हिंसा और तोड़फोड़ का माहौल बना रहे हैं। इसके साथ-साथ हम अपने घर के लोगों से, सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस खतरे से निपटने के लिये उनके खिलाफ बोलना उतना ही जरूरी होगा जितना जनता से किये गये वायदों को पूरा करना। मसलन आज इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। यदि आज कहा जाय कि कानून और व्यवस्था अच्छी चल रही है तो यह आपसे झूठ बोलना होगा।

मैं मान्यवर, आपके जरिये से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि विस्तृत विवेचन न करके केवल इतना कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था का जो तरीका है या जो माहौल है उसमें कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। यह सही है कि इमरजेन्सी में डी0आई0 आर0 और मीसा के बल पर आतंक फैलाया गया था लेकिन आज जनतंत्र में लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो यह षड़यंत्र चल रहा है कि जनतंत्र से अच्छी परिपाटी तानाशाही की है। लोग यदि अपने को सुरक्षित अनुभव न कर सके तो वे इस ओर चलने लगेंगे। जनतंत्र जितना अच्छा है उसमें सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जो प्रशासनिक ढांचा है, जो नौकरशाही का ढांचा है उसके जरिये कोई भी सरकार आदर्श सरकार नहीं बन सकती। पिछली 30 सालों और उसके पहले से भी जो ढांचा रहा है वह यह कि स्वास्थ्य विभाग में जो निदेशक है उसको चिकित्सा विभाग में भेज दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में जो है उसको कृषि विभाग में भेज दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि एक आई0ए0 एस0 अधिकारी को सारे विषयों की जानकारी हो गयी है कि वह कृषि, स्वास्थ्य, स्वायत्त आदि सभ

की जानकारी रखता है । यह अजीब स्थिति है । मेरा यह सुझाव है कि तकनीकी ज्ञान को प्रशासन का आधार बनाया जाय ।

आज भयंकर स्थिति बेरोजगारी की है । शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे तो आज जो छात्रों में असंतोष है वह किस सीमा तक जायगा उसकी कल्पना करना कठिन है । बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार को कोई ठोस बात करनी होगी । कुछ दिनों पहले एक बयान मुख्य मंत्री जी का पढ़ा कि विद्यार्थियों में जो असंतोष है और विश्वविद्यालयों का जो ढांचा है इन सभी बातों के लिए वह एक गोलमेज कान्फ्रेन्स बुलाने जा रहें हैं । लेकिन अभी फिर पढ़ने को मिला कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है । शिक्षा मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं । जिन उप कुलपतियों ने एमरजेन्सी के अन्दर अपनी आस्था व्यक्त की, उसको समर्थन दिया, 20-सूत्री या 25-सूत्री कार्यक्रम को समर्थन दिया उनको नीति के तौर पर एक मिनट के लिए भी वाइस चान्सलर नहीं रखना चाहिये। उनके स्थान पर ऐसे लोगों को वाइस चान्सलर बनाया जाना चाहिए जिनकी जनतंत्र में आस्था है । ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो शिक्षा के जनतांत्रीकरण में विश्वास करते हैं ।

मैं, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल को विशेष रूप से हल किया जाना चाहिए । मैं यहां किसानों और हरिजनों का सवाल नहीं उठाना चाहता । प्रदेश की राजधानी में पूरे प्रदेश के छात्र "वायदा निभाओ" दिवस मनाने आये हैं । यह जो सरकार बनी है वह उस संपूर्ण क्रान्ति पर बनी है जो जय प्रकाश जी के नेतृत्व में चलायी गयी और उसकी रीढ़ वह नौजवान और नई पीढ़ी है और यदि उसकी उपेक्षा की गयी तो इसका अर्थ अपने ही साथ विश्वासघात करना होगा । सरकार ने वायदा किया शिक्षा में असंतोष को दूर करने का । 18 साल के लोगों को मताधिकार देने का वायदा किया । शिक्षा के जनतांत्रीकरण करने का वायदा किया । किसान से अभिमुख नीति बनाने का वायदा किया । जो वायदे सरकार ने किये, उनको निभायें । इसी वायदा निभाओ दिवस के लिये प्रदेश के नौजवान आये हैं । पिछली सरकार राजनीतिक प्रदर्शनों से 144 या कर्फ्यु लगाकर निपटा करती थी । मान्यवर, आप स्वयं लोहिया जी के समर्थक रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं । आपने भी जनतांत्रिक अधिकारों को लेकर अपने खूबसूरत दिनों को जेल में गुजारा होगा ।

मान्यवर, आप भी इस विश्वास के रहे होंगें कि किसी भी भी जनतांत्रिक प्रदर्शन को, जो जनतांत्रिक आवाज को बुलन्द करे, उसमें सरकार को दफा 144 का इस्तेमाल करना चाहिये । तो मैं इस बात की ताईद नहीं करता हूं कि सत्ता के लिये हिन्सा के रास्ते पर आ जायं अपनें लक्ष्य को हासिल करने के लिये । हां, जहां कोई तोड़ फोड़ किया जाय, वहां दूसरी बात है लेकिन उसके साथ में यह भी सलाह देना चाहता हूं कि अगर कोई दल या युवा संघ अगर जनतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आप के वायदों को निभाने के लिये कोशिश करना चाहता है। तो यह जनतांत्रिक कार्य है और इसके लिये 144 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । अभी पता चला है कि युवा जनता के सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये हैं । जब आपके युवा जनता के लोग जनतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने आये है तो उनको 144 में गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता है । मैं मांग करता हूं कि इन तमाम लोगों को जो गिरफ्तार किये गये है उनको रिहा किया जाय ताकि जनतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़े और आने वालीं पीढ़ियां कायम रहे । आने वाली पीढ़ियां निडर रहें । मान्यवर, मोरारजी देसाई, प्रधान मंत्री जी ने कई बार यह कहा कि आने वाली पीढ़ियां निडर होनी चाहिये । उनमें डर न हो । लेकिन वह डर कैसे खत्म होगा जब उसी तरीके को अख्त्यार करेंगे जो तरीका पिछली सरकारें अख्त्यार करती थीं । वही साजिश करेंगे जो पिछली सरकारों ने किया है, तो वह डर कैसे खत्म होगा ?

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

तो अंत मे मैं यही निवेदन करूगा कि अफसरशाही खत्म की जाय। जो चौखम्भ। राज्य की कल्पना है, उसको पूरा किया जाय। जब ये गांव और जिले के पाये मजबूत होंगें और चौखम्भा राज्य कायम होगा, तभी डा0 लोहिया का स्वप्न साकार होगा।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल उस अभिभाषण का इस नाते समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं। बल्कि इस नाते भी समर्थन कर रहा हूं कि उस अभिभाषण में एक ऐसी किरण है कि जिससे हमें और जनता को बल मिलता है। मने अभिभाषण को देखा तो उसमें पाया कि उसमें पिछड़े क्षेत्रों के लिये औंर पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उद्योग धंधे खोलने की बात कही गयी है। वह अति उत्तम बात है। जब तक पहाड़ों में उद्योग धंधे नहीं खोले जाते, तब तक वहां की आर्थिक स्थिति सुधरना बड़ा मुश्किल है।

दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी वहां के लिये पानी के संबंध में घोषणा कर चुके है और इस प्रदेश के पहाड़ के 1200 गावों को पानी देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी जो समस्यायें है, उनमें पानी की समस्या बड़ी जटिल समस्या है। पहाड़ों में बड़ी प्रचुर मात्रा में पानी है। नदियां है, झरने हैं, सोते है और अनेकों गंगांये हैं अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकनी आदि। लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझिये या सौभाग्य समझिये, हम ऊंचे पर हैं और पानी नीचे बह रहा है। एक-एक, दो-दो मील हम लोंगों को पानी के लिये जाना पड़ता है।

अगर यह समस्या हल हो जाय तो वहां की जनता की ओर से जनता सरकार धन्यवाद की पात्र होगी। श्रीमन्, अभिभाषण में यह भी कहा गया है, स्वीकृत किया गया है कि बिना सड़कों का जाल बिछाये हुए देश की तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि जब तक यातायात के साधन नहीं है तब तक जो उद्योग धन्धे खोले जाते हैं उनका सचमुच में सदुपयोग नहीं होगा। माना कि कहीं आपने ऊन का कारखाना खोला, कुर्सी बनाने का कारखाना खोला अगर उन कुर्सियों को उन कालीनों को आदमी अपनें कन्धे पर मारकेट में 20–25 किलोमीटर लेकर जाये तो उसकी बिक्री मारकेट में नहीं हो सकती। जब तक यातायात के साधन नहीं होंगे तब तक तरक्की होना मुशिकल है।

श्रीमन्, अब मैं खास कर के एक बात की ओर आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बोलने के लिए खड़ा तो हो गया, बोलने की इच्छा भी थी लेकिन मेरा मस्तिष्क चिन्ताओं से घिरा हुआ है और वह एक महान चिन्ता है। आप को शायद अखबारों से या और दूसरी चीजों से सूचना मिली होगी। हमारा क्षेत्र दो विधायकों का सम्मिलित क्षेत्र है। दो वर्ष से वाघ का आतंक वहां पर लगा हुआ है। उस बाघ ने अभी तक बीस–तीस मौतें कर दी हैं और 20–25 आदमी घायल कर दिये हैं। मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे जिलाधिकारी तथा और लोग प्रयत्नशील हैं। वहां पर शिकारी गये हैं सम्भवत: कुछ बाहर के शिकारी भी गये हैं लेकिन अभी तक वह बाघ नहीं मारा गया है और इस के कारण एक भय का वातावरण वहां पर बना है, एक करुणाजनक वातावरण बना हुआ है। यदि कोई आदमी यहां से वहां जाय तो वहां की स्थिति को देखते हुए उसके आंसू आ जायेंगे। छोटे बच्चों का बाहर आना मुश्किल हो रहा है, बाघ पकड़ ले जाता है। कई महिलायें बाघ ने मार दी हैं। कई आदमियों को बाघ घायल कर चुका है। त्राहि-त्राहि मची हुई है। किसान खेतों में नहीं जा पाते हैं। जब सूर्यास्त होता है तो उस के पहले ही उन्हें घर लौटना पड़ता है। हमारा

पहाड़ का जीवन है। महिलाओं को गाय बछड़े के लिए घास के लिए जाना पड़ता है, लकड़ी के लिए भी जाना पड़ता है। वे 10-12 को टोलियों में जाती हैं और इतनी सावधानी से रहती हैं कि कहीं बाघ न झपटे । 6 बजे सायंकाल ही तमाम गांव के लोग दरवाजे बन्द कर लेते हैं बाहर नहीं निकल सकते। बड़ा दर्दनाक दृश्य है। मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस बाघ को मारने के लिये कोई विशेषज्ञ भी यहा से भेजे जायं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जनता सरकार को कि बाघ मारने वालों के लिए कुछ इनाम भी घोषित किया है। मैंने मुख्य मन्त्री जी से भी इस सम्बन्ध में बात की थी और मैंने यह कहा था कि जो लोग मृत्यु शैय्या पर चले गये हैं उन के परिवार वालों को सान्तवना के रूप में कुछ धनराशि दी जाय ताकि वे यह समझें कि हमारी सरकार हमारे लिये कुछ कर रही है। मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं उन को सूची बना कर दूं। मैंने कहा कि प्रमाणित सूची तो मैं नहीं बना सकता। जिलाधिकारी से पूरी प्रमाणित सूची आप मंगा लीजिए और कुछ न कुछ सान्त्वना के रूप में उन को दीजिये।

श्रीमन्, अब मैं पर्वतीय भत्ते की बात करना चाहता हूं। यह भत्ता पर्वतीय भत्ते के नाम से था, फीट या मीटरों के नाम से नहीं था। कि इतने फीट के ऊपर इतना और इतने मीटर के ऊपर इतना मिलेगा। वहां अब कर यह दिया गया है कि 1500 फीट पर इतना मिलेगा और उससे नीचे जो होंगे उनको नहीं मिलेगा। मेरा आग्रह है कि जहां भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां सभी को पर्वतीय भत्ता मिलना चाहिये। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो नोटीफाइड एरियाज हैं या म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें कार्यरत कर्मचारियों को यह पर्वतीय भत्ता मिल रहा है लेकिन जिला परिषदें जो कि एक अर्द्ध सरकारी संस्था हैं उनके कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिल रहा है। उनको भी यह मिलना चाहिये। वे भी पर्वतीय इलाके में रहते हैं। अध्यापकों की समस्यायें हैं, वह भी एक गरीब वर्ग है उसी श्रेणी में आता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आधारिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको भी यह भत्ता मिले। वहां के लोगों में इस बारे में बड़ा असन्तोष है क्योंकि कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है। अभी मेरे पास वहां से एक पत्र आया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी पर्वतीय भत्ता अभी तक नहीं मिला है मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें भी यह भत्ता दिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग धन्धों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 50–60 वर्ष पहले काफी उद्योग धन्धे थे। पीतल के बर्तन, तांबे की गगरियां और ढोल आदि बनते थे । यह उद्योग तांबा, पीतल महंगा होने की वजह से चौपट हो गया। चमड़े का उद्योग वहां पर बड़ा सुन्दर था एक समय था जब श्रीनगर में चमड़े के जूते बहुत अच्छे समझे जाते थे और उनका निर्यात होता था। वह उद्योग भी इसलिये कम हो गया क्योंकि वे बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। तो सरकार से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सरकार उस पुराने उद्योग को ही जीवित कर दे तो वहां पर नये उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उनकी ओर वह ध्यान दे।

श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ कहूं उससे पूर्व मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो हमारे जोशी साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है,उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरिजनों के सम्बन्ध में विशेष बात यह कही है कि हरिजनों का संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। मैं अपने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान हरिजनों की ओर

[श्री चन्द्रभान मौर्य]

आकर्षित किया है । वैसे इस देश के हरिजन, आज ही नहीं आजादी की लड़ाई के बाद से जब से देश में हुकूमत आयी, कांग्रेस के समय में भी और उसके बाद भी हरिजन एक विशेष चर्चा का विषय रहा है। इस बात को हम महसूस करते हैं कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस हुकूमत में हरिजनों के नाम पर,उनके विकास और उत्थान के नाम पर काफी प्रचार और प्रसार किया गया। लेकिन वास्तविकता इस बात की है कि इतने लम्बे अर्से में हरिजनों का जितना विकास होना चाहिये था वह नहीं हो पाया । हरिजनों को गुमराह किया गया, उनको एक तरह से धोखा दिया गया । हरिजनों के नाम पर केवल उन हरिजनों को बढ़ावा मिला जो साधन संपन्न हैं और जो कांग्रेस हुकूमत में उनके साथ रहे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि पुरानी गलतियों को जो पिछली सरकार ने उनके साथ किया, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने किया, न दोहराया जाय । हजारों हरिजनों के नाम पर सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका 3/4 हिस्सा उन हरिजनों को मिला जो साधन संपन्न हैं, जो एडवांस्ड हैं, जो शिक्षित हैं । मेरा सुझाव है कि उन हरिजनों को जिनकी आमदनी एक हजार से ज्यादा है उन हरिजनों को सरकार की तरफ से जो विशेष सहूलियत या आरक्षण मिलता है, वह समाप्त किया जाय । यदि यह नहीं किया गया तो 95 प्रतिशत हरिजन जो आज भी पिछड़े हुए हैं वह उन सुविधाओं से अछूते रह जायेंगे । उनके साथ घोर अन्याय होगा । मान्यवर, हम यह देखते हैं कि हरिजनों के नाम पर आज भी श्रीमती इन्दिरा गांधी किस तरह से ज्यादती कर रही हैं । वह कहते हैं कि हम हरिजनों के मसीहा हैं लेकिन उनकी नीयत क्या है इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं । बाबू जगजीवन राम की घटना जो बनारस में हुई, उन्होंने माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण किया था । इसी से मिलती-जुलती घटना कल की है । हमारे राज्यपाल जो एक हरिजन के बेटे हैं, उनके अभिभाषण के समय इन्दिरा गांधी के लोगों ने क्या व्यवहार किया । इस तरह की मिसाल मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश और प्रदेश के हरिजन इस बात को महसूस करें कि उनके हितों को रक्षा को जा रही है और उनके विकास के लिए साधनों का सही उपयोग किया जा रहा है । जब तक हम यह विश्वास हरिजनों में पैदा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उनके साथ ईमानदारी नहीं होगी । मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि पिछले 30 साल के शासन में आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेदकर जो इस देश के हरिजनों के मसीहा माने जाते हैं यह मांग की गई कि उनके जन्म दिन में छुट्टी की जाय । कांग्रेस के शासन में वह नहीं किया गया । मैं अपनी इस बात को जनता पार्टी की सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले 14 अप्रैल को जो आदरणीय भीमराव अम्बेदकर साहब की जन्म तिथि है उसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाय । इसके पीछे मेरी मंशा यह है कि जो हरिजनों के मसीहा रहे हैं जो गरीबों के नेता रहे हैं और उनके लिए जो लड़े हैं उनके मन में विश्वास पैदा होगा कि हमारे मसीहा के प्रति सरकार आदर की भावना रखती है । वह समझेंगे कि सरकार के मन में हरिजनों के विकास की भावना है ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आदरणीय बाबा साहिब भीमराव अम्बेदकर का जो साहित्य है उसके प्रकाशन के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ धनराशि की व्यवस्था करें ।

(इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार,जो पार्टियों की नीतियां हैं चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार, उसे पूर्णरूप से शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगी। जनता पार्टी ने जो वायदे किये हैं, उनको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। हमारी पार्टी की सरकार की ग्रामों के बहुमुखी विकास की नीति रही है। 30 साल तक गांवों के किसानों की उपेक्षा की गई है, उनके विकास की ओर भी यह सरकार ध्यान देगी। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ करे और वह करने भी जा रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि देहात में 86 प्रतिशत जनता रहती है और जो जनता गरीबी की सीमा रेखा के नीचे का भी जीवन व्यतीत करने को विवश है, उस पर इस प्रदेश के कुल बजट का कम से कम 86 प्रतिशत भाग खर्च होना चाहिये अर्थात् गांवों के विकास पर बजट का 86 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाना चाहिये। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों के विकास के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर जो अस्पतालों की, बिजली की और सड़कों की परम आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार पूरा करे। इसका समर्थन करते हुए मैं सरकार तक पुनः इस बात को पहुंचा देना चाहता हूं कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के जन्म दिन के दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जायगा।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल के उनके भाषण ने यह साबित कर दिया है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार जो जनता की सही भावनाओं के आधार पर बनी है, वह जनता की भावनाओं का आदर करती है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है और उनकी तरक्की का ध्यान रखते हुए अपनी योजनायें बना रही है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां हमारी योजनायें जनता की तरक्की के लिए कारगर हो रही हैं, वहां उससे जनता को सुख सुविधा ही नहीं मिल रही है, बल्कि जनता का अपनी सरकार के प्रति विश्वास भी दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। पिछली सरकार के जो कारनामें हैं, जिनका दुष्परिणाम हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है, उनके लिए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं .....

श्री श्यामधर मिश्र---

उसी के आप नतीजा हैं, उससे आप अच्छा नतीजा निकालिये।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बोलें नहीं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय---

आप में सही बात सुनने की क्षमता नहीं है। आप अपनी करनी पर पश्चाताप करें, जिसके कारण देश इस स्थिति में आया कि देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा। मैं अब केवल एक विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां तक पिछड़े वर्ग और हरिजनों की तरक्की का सवाल है इतने कम समय में हमारी सरकार ने उनके लिये बहुत कुछ किया है। लगभग 1 लाख ऐसे पट्टे जो कांग्रेस के जमाने में मिले थे और जिस पर उन्हें कब्जा दिलाने में पिछली सरकार नाकामयाब रही इस सरकार ने एक लाख से ज्यादा पट्टों पर कब्जा दिलाया है। लेकिन जहां तक कब्जा दिलाने का सवाल है वहां पर कुछ ऐसे भी कूड़े हैं, जिनको इस सरकार को साफ करना है। अभी पिछली सरकार ने ऐसे अनेक पट्टे कर दिये थे जो सार्वजनिक स्थान देवस्थान तथा किसान के खलिहान थे। उनके आधार पर गांव-गांव में विवाद बना हुआ है। सरकार एक ऐसा आदेश निकाले जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय]

छानबीन की जाय और इस तरह के जितने विवादित पट्टे कांग्रेस के काल में हुए थे, जो आज झगड़े का घर बने हुए हैं, उन तमाम पट्टों को कैंसिल करके उनके बदले में जो जमीनें गांवों में उपलब्ध हों, उनको पिछड़े वर्ग हरिजन भूमिहीनों को दिया जाय ।

जहां तक सिंचाई का सवाल है उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई की योजनाओं की तरफ किसानों का विशेष उत्साह बढ़ा है । जहां पिछली सरकार का गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं रहा, सारी योजनाएं शहर तक सीमित रहीं, वहां गांवों की ओर सरकार की नीतियां गयी हैं । उसके कारण गांव का रहने वाले किसानों, मजदूरों में विश्वास बढ़ा है और आशा बंधी है कि अब हमारी तरक्की होगी । गांवों में बहुत से ऐसे साधन हैं जो जमींदारी के समय में सिंचाई के उपयोग में काम में लाये जाते थे । लेकिन पिछली सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया । मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि ट्यूबवेल नहरों के अलावा इस ओर भी सरकार का ध्यान जाय जो ऐसी योजनायें गांवों में हैं, जैसे बड़े-बड़े तालाब, बड़े-बड़े नाले और हमारे जिले में परासी नाला जहां पर बरसात में पानी आता है और बरसात के बाद चला जाता है । जब सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो पानी नहीं रह जाता । उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजनायें बनायी जायं ।

कांग्रेस के शासन काल में जो सड़कें बनी थीं वे सड़कों के योग्य नहीं रह गयी हैं । मैं सुझाव देता हूं कि नयी सड़कों के बनाने के स्थान पर पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाय । गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम सात-आठ महीने से बना है । उसको देख कर गांव की तरक्की होगी यह विश्वास जनता के मन में उभरा है । वहीं जो पुरानी सड़कें हैं उनकी भी मरम्मत आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के भाषण का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले बनी बड़ी आशाएं आम जनता को हुईं । (व्यवधान) माननीय सत्यपाल मलिक ने बड़े-बड़े वादे किये थे कि दूध की गंगा बहेगी, सब खुशहाल होंगे । आज देश और प्रदेश में क्या हो रहा है ? लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चोर बाजारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जिन्दगी चलना दूभर हो गया है क्योंकि भयविहीन समाज बनायेंगे । कौन भयविहीन हुआ ? जो चोर बाजारी करने वाले हैं, मुनाफा खोरी करने वाले हैं, जमाखोरी करने वाले हैं । लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं ।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा समाज का ऐसा तबका है जिसको आप सन्तुष्ट कर पाये हैं । किसान असन्तुष्ट है, मजदूर असन्तुष्ट है, विद्यार्थी असन्तुष्ट है, हरिजन असंतुष्ट है, भूमिहीन असन्तुष्ट है, अध्यापक असन्तुष्ट है और सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट है । मैं पूंछना चाहता हूं कि अगर आप हिम्मत से कह सकें तो बतायें कि कौन सा तबका आपके साथ है और आपकी नीतियों का समर्थन करता है । गन्ना किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । गन्ना का प्रश्न बड़ा जटिल बन गया है आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं और गन्ना सूख रहा है । यह सब आपकी नीतियों के कारण हो रहा है । यह चीजें पश्चिमी जिलों में देखिए जहां पर गन्ना पैदा होता है पहाड़ों पर तो गन्ना पैदा ही नहीं होता है । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़ा लम्बा चौड़ा हुआ लेकिन गन्ना किसानों की समस्या का हल क्या निकला ? मजदूरों में लगातार हड़तालें हो रही हैं लेकिन उसके सम्बन्ध में आपने कोई नीति नहीं बनायी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिससे यह चीजें समाप्त हों। स्वदेशी काटन मिल का मामला आपके सामने है। 11 मजदूरों को भून दिया गया और आपकी सरकार देखती रही और आप कहते हैं कि हम समाजवाद को लाना चाहते हैं।

आप कहते हैं कि हम लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। क्या लोहिया जी यही उम्मीद आपसे करते थे कि आप समाजवाद को एक कोने पर रख देंगे और क्या वह यही उम्मीद रखते थे कि उनके साथी मजदूरों को गोली से भून देंगे। आज कोई भी यूनिवर्सिटी हो वह ऐसी नहीं है जिसमें पढ़ाई हो रही हो। इलाहाबाद में क्या हो रहा, लखनऊ में क्या हो रहा है, गोरखपुर में क्या हो रहा है, तमाम विश्वविद्यालय चाहे वह गढ़वाल का हो और चाहे जहां का हो विद्यार्थियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। आपकी ही पार्टी के लोग मोर्चा लगाये बैठे हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी की हिम्मत नहीं है कि वह अपने दल के ही लोगों के सामने भाषण दे सकें। आपसे लम्बी-लम्बी आशायें थीं लेकिन उन सब पर पानी फिर गया। हरिजन वर्ग भयभीत हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। रोज अखबारों में निकलता है कि आज गोरखपुर में कत्ल हो गया, बलिया में कत्ल हो गया।

(शोर)

सच्ची बातें सुनी नहीं जाती। लगातार हरिजनों पर लाठियां और गोलियां चलाई जा रही हैं।

एक सदस्य--

कत्ल कम्युनिस्ट करा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आज वह शोषक दल भयभीत हो गया है। उस को मालूम है कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। जहां तक ला एन्ड आर्डर का प्रश्न है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज शहर के अन्दर 8 बजे के बाद निर्भय होकर आप चल नहीं सकते हैं।

एक सदस्य-- [* * *]

श्री अध्यक्ष--

इस तरह का आक्षेप करना गलत है। इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जहां तक शांति और व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कोई ला एन्ड आर्डर इस प्रदेश में नहीं है।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के कुछ कहने पर)

मालवीय जी, आपके शहर इलाहाबाद में क्या हो रहा है? हड़तालें हो रही हैं। व्यापारियों ने हड़तालें की हैं वह कहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, लखनऊ में नहीं है और देहरादून में नहीं है। कहीं पर शांति व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। बरेली में एम0 एल0 एज0 के ऊपर गोली चलाई गई। आखिर यह हालत क्यों न हो जब कि शासक दल में ही टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आपके ही दल के 3–4 नेताओं के बयान छपे हैं कि मुख्य मन्त्री पर उनका विश्वास नहीं है। आपके एम0 एल0 एज0 कहते हैं कि उनका विश्वास मुख्य मन्त्री पर नहीं है। वे बेचारे क्या करें, लगातार सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गोबिन्द सिंह नेगी]

उन्हें दिल्ली भागना पड़ता है । जैसे कि हम पहले माननीय तिवारी जी को कहा करते थे उसी प्रकार से मौजूदा मुख्य मन्त्री को अपनी पगड़ी संभालने के लिए लगातार दिल्ली जाकर चौधरी साहब को समझाना पड़ता है कि बहुमत मेरे साथ है । जिस शासक दल में यह स्थिति हो, उस प्रदेश की सरकार शांति व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकती है, सुरक्षा नहीं दे सकती और जनता को कोई राहत नहीं दे सकती है ।

मान्यवर, आप भी इस सदन के सदस्य रहे हैं और मैं भी रहा हूं । गत 5 वर्षों में बहुमत शासक दल का रहा है लेकिन इस प्रदेश का इतिहास रहा है कि प्रबल बहुमत के बावजूद भी पिछले 5 सालों में 5 सरकारें बदली और 5 सरकारें टूटी । इसलिए कि आप का प्रबल बहुमत है आप भी सोचें कि क्या आपकी सरकार कायम रह पायेगी, इसकी कोई गारन्टी नहीं है । लगातार सरकारें बनीं और टूटी, बावजूद इसके कि शासक दल में बहुमत था । इसका कारण केवल यही था कि आप प्रदेश को कुशल प्रशासन नहीं दे पाये और नौकरशाही पर लगाम नहीं लगा सके, आपकी कोई ठोस नीति नहीं रही लिहाजा सरकारें टूटीं । इतने बड़े प्रदेश में एक अस्थिरता बनी रही । लेकिन अगर स्थिरता बनाना है तो मुख्य मन्त्री जी हिम्मत करके नौकरशाही को आड़े हाथों लीजिये और प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की ठीक से व्यवस्था कीजिए ताकि नागरिकों के मन में अपने माल और अपनी जान की सुरक्षा हो सके । जब आप ऐसी व्यवस्था कायम करेंगें तब इस प्रदेश का भला होगा । कभी मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ बयान आता है और कभी विपक्ष में । अगर यही दशा रही तो इस सरकार की भी वही हालत होगी जो गत 5 वर्षों में रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रियासत साहब द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर दिया और जिसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

कुछ बातें इस अभिभाषण में आई हैं और गत वर्ष भी जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसमें भी बहुत सी बातें आई थीं । कुछ बातों का तो कार्यान्वयन हुआ लेकिन कुछ का अभी तक भी नहीं हुआ है । आज यहां पर देखा गया कि बार-बार हरिजनों का नाम लिया जाता है । मेरी प्रार्थना है कि उनका नाम लेना बन्द किया जाय बल्कि उनके स्थान पर निर्बल लोगों का नाम लिया जाय, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर सभी आते हैं । हरिजनों और पिछड़ी जाति का नाम लेकर आप एक प्रकार तफरका पैदा कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिये ठीक नहीं है । यह बहुत गलत बात है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है । निर्माण की बात भी आप बहुत करते है । पिछली सरकार ने जो निर्माण किया है वह तो आपके सामने है और जो आप कर रहे हैं यह भी आपके सामने है । निर्माण आप अवश्य कीजिये लेकिन जो निर्माण चल रहा है उसके साथ-साथ आप चरित्र निर्माण भी कीजिये । यदि चरित्र का निर्माण होगा तभी आपके सारे निर्माण सफल होंगे । यदि चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो जनता की जितनी आकांक्षायें है उनको पूरा करने में आप सफल नहीं होंगे । मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों मेरी बात को सुनते हों तो शिक्षा और स्वास्थ्य में समन्वय करें और किस तरीके से चरित्र बनाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय और शिक्षा की पद्धति बदली जाय । इस संबंध में सदन में बहुत बार कहा जा चुका है । वह 30 साला सरकार जिसकी दुहाई देते हैं वह भी नहीं कर सकी और यह सरकार भी करने में असमर्थ है । मैं चाहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का समन्वय करके एक ऐसी पद्धति चलावें जिसमें चरित्र का निर्माण हो और चरित्र का निर्माण जब होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा । स्वास्थ्य की जो परम्परा हमारे बुजुर्ग ने बतायी है उस तरीके से हम अगर चलते हैं तो हमारे काम अच्छे होंगे, जनता उससे सुख पायेगी ।

पिछड़ा वर्ग चाहे हरिजन हो, मैं तो सुझाव दूंगा कि इनकी कोई सीमा निर्धारित कर दी जाय । या तो यही रखा जाय कि जो निर्बल वर्ग है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, पारसी हो, जो निर्बल हो उसको आप दीजिए, उसकी सुरक्षा की जाय । हर-जोता समाज तो पाता नहीं है । जो हरिजनों में पढ़े-लिखे हैं, धनवान हैं वह हरिजनों के नाम पर सब जगह पहुंच लगा करके सुविधा प्राप्त कर लेते हैं । हर-जोता रह ही जाता है । जो यहां पर कहा जाता है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो हरिजनों के अत्याचार नहीं, निर्बलों पर अत्याचार होता है । चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो गरीब है उस पर होता है । तो निर्बलों की बात कीजिए और उनको उठाना चाहिए । जितनी भी सुविधा सरकार दे सके वह निर्बलों को दे । हरिजनों और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का नाम ले कर काम नहीं चलेगा ।

आपका पुलिस विभाग है । चारों तरफ सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और यदि ध्यान दे रही है तो अधिकारी लोग उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते । तो आप इकाई से व्यवस्था करें । डकैती हो रही है, कत्ल हो रहे हैं । कोई जाति विशेष पर बल नहीं, आज तो कोई सुरक्षित नहीं है । सड़कों पर चलिये तो वहां सुरक्षित नहीं है, घर में रहो तो सुरक्षित नहीं । हर समय आदमी को भय बना रहता है । मान्यवर, मैं आपक माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे परिवहन मंत्री हों तो ध्यान दें इस बात पर और जो मद्य निषेध के मंत्री हैं वह भी इस बात पर ध्यान दें कि दुर्घटनायें रोडवेज पर बहुत होती हैं । उन पर काबू करने के लिये उनको रास्ता निकालना चाहिए और मद्य निषेध के अन्तर्गत जो दूकानें और ठेकेदार सड़कों पर हैं उनको हटाया जाय । ड्राइवर जाता है, गाड़ी रोक करके शराब पीता है और नशे में चलता है तो दुर्घटनायें जरूर होंगी । इसलिये सड़क से कम से कम एक फर्लांग दूरी पर दुकान रहे तो वहां पर जाने पर दूकान तक पहुंचने में सुविधा नहीं होगी और जो उसमें सवारी होंगी या माल ले जाने वाले होंगे वह उनको वहां जाने का समय नहीं देंगे ।

देहात में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है, पाइप तो लगे हैं, मगर उनमें पानी नहीं है सरकार को देखना चाहिए कि उनमें पानी की शीघ्र व्यवस्था की जाय । इस सरकार को वैसी ही गलती नहीं करना चाहिए जैसी गलती पिछली सरकार ने की है ।

मद्य निषेध की आपने योजना बनायी है । उसके लिये जो प्रचारक हैं उनको जो पैसा मिलता है उसे बढ़ाया जाय ताकि वे ठीक से उसका प्रचार कर सकें ।

जो भूमिहीन गांवों में हैं उनको भूमि मिलनी चाहिए । आज जो बड़े-बड़े लोग हैं वे जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं और निर्बल व भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिली है । भूमि-हीन, भले ही वह किसी जाति का क्यों न हो, अगर वह भूमिहीन है, निर्बल है, तो उसको जमीन मिलना चाहिए ।

जब इस सरकार के लोग विपक्ष में बैठते थे तो कहा करते थे कि शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए । सचमुच शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि आज जब आप सरकार में हैं तो शिक्षा पद्धति को बदलने में आपके सामने क्या कठिनाई आ रही है ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

डाक्टर जवाहर लाल---

इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर साहब को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के दिनांक 18 मार्च, 1978 के पत्रों, जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 18 मार्च, 1978 को प्राप्त हुए हैं, द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा के निम्न सदस्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च, 1978 को दिन के लगभग 2.30 बजे बन्दी किये गये और उन्हें जिला जेल, लखनऊ में रखा गया है:---

श्री अमरतन सिंह, श्री चेतराम गंगवार, श्री रामदेव यादव, श्री मन्नूलाल द्विवेदी, श्री मोहनलाल त्रिपाठी, श्रीमती सुनीता चौहान, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, श्री मंजर अहमद, श्री अजीत सिंह सेठी, डाक्टर कौशल (कृष्ण वीर सिंह कौशल), श्री मंजूर अली खां, श्री मकबूल अहमद खां, श्री बिहारी लाल, डाक्टर सुरेन्द्र कुमार (सिन्धु), श्री गुलाब सेहरा, श्री रामेश्वर नाथ चौबे, श्री मोहन सिंह, श्री राम दुलारे, श्री कमला प्रसाद सिंह, श्री राम शिरोमणि।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव---(क्रमागत)

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि आज की परिस्थितियों में जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है और उन्होंने किन्हीं बातों पर जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन सब का भी समर्थन करता हूं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो किसानों की उन्नति के लिये कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये जो योजना बनायी है मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यदि कृषि की पैदावार इस प्रदेश में बढ़ती है तो किसानों को उसका मूल्य भी मिलना चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रदेश के अन्दर किसानों की उपज बढ़ी है, उसके साथ-साथ जो किसानों को मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। गन्ना की फसल जो आज लहलहाती हुई दिखाई पड़ रही है, वह बरबादी की तरफ जा रही है। मान्यवर, यदि उसके उत्पादन का सदुपयोग नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं है कि वह फसल बरबाद न हो जाय। मान्यवर, होली के बाद वह फसल बरबाद होने जा रही है। मैं विशेष रूप से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिये उसके उपयोग के लिये वह व्यवस्था करें। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सिंचाई के साधन और बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के संबंध में कहा है। मान्यवर, इसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। यदि बिजली और सिंचाई के साधन में बढ़ोत्तरी के बाद उनका सदुपयोग न हुआ और किसानों की भयावह स्थिति ही बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं कि वह लाभ जो सरकार पहुंचाना चाहती है, वह नहीं हो पायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात का और संकेत किया गया, जिसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया है कि हरिजनों में जो सुरक्षित स्थान हैं, वे रखे जायं । इसके अलावा पिछड़ी जातियों के लिये भी स्थान सुरक्षित करने की बात कही गयी है । मान्यवर मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि पिछड़ी जाति के नाम पर या हरिजन के नाम पर जो रिजर्वेशन किया जाता है वह कहां तक उपयुक्त है । मान्यवर, यह रिजर्वेशन जो है, वह गरीब और अमीर के नाम पर होना चाहिये । किसी भी जाति विशेष को लेकर रिजर्वेशन करना, यह उपयुक्त नहीं है । बहुत से राजपूत और ब्राह्मण भी इस स्थिति में हैं जो कि दर-दर की रोटी मांगते हैं । इसलिये मान्यवर, आपको उस ओर ध्यान देना चाहिये । इस प्रदेश के अन्दर अगर गरीब आदमी किसी जाति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, तो मुझे यह सुझाव देने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जो कांग्रेस सरकार चाहती थी उसे उसी प्रकार से किसी विशेष जाति के नाम पर अगर रिजर्वेशन किया जाता है तो कांग्रेस शासन के सामने जो स्थिति आ गयी थी, उसी प्रकार की स्थिति हमारे सामने भी आ जायगी । गरीब-अमीर के नाम पर रिजर्वेशन होना चाहिये न कि जातिवाद के आधार पर । हमारे प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हम प्रदेश के अन्दर जातिवाद को समाप्त कर देंगे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता यदि इस प्रकार की भावना रखते हैं तो उसको कार्यरूप में परिणत करना पड़ेगा ।

आज सारे प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की अराजकता की स्थिति व्याप्त है, उसे हमें कहने में संकोच नहीं है । इस देश को 30 साल के कांग्रेस शासन ने बरबाद कर दिया । आज हमारी जनता सरकार बन जाने के बाद, लोगों की आशा और अपेक्षा इस चुनाव के बाद बढ़ी, यह मुझे कहने में संकोच नहीं है । प्रदेश के अन्दर प्रशासन में जो ढील चाहते हैं, वही व्यक्ति अराजकता को बढ़ावा देकर इस शासन को समाप्त करना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिये आपको सख्ती का अवलंबन करना पड़े तो भी आपसे मैं कहूंगा कि सख्ती बरतिये और अराजकता के वातावरण को उपस्थित होने से रोकिये क्योंकि कुछ दूसरी पार्टियां अराजकता के वातावरण को पैदा करके सरकार को बदनाम करना चाहती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से इन चीजों को देखें और अराजकता के वातावरण को न फैलने दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दें । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया जायगा । गांवों के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाया जायगा । मैं कहना चाहूंगा कि गांवों की ओर विशेष ध्यान देकर गरीबी और अमीरी का जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाय । यदि गांव के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया गया और इसमें बेरोजगार लोगों को लगाया गया तो निश्चित रूप जैसा कि देश के प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम इस देश के अन्दर बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि 10 वर्ष के अन्दर हम बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे ।

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है और माननीय कौशिक जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब बाधाओं को पार करके इस प्रदेश की प्रगति के लिये अग्रसर हो सकेंगे । जयहिंद ।

(श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मेरा भी नाम था ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले खड़े होते, अब अवसर नहीं है ।

*श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपने जो बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । कल राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया, लेकिन मुझे दुख है कि जो भी सरकार आती है वह हरिजनों को दुहाई देती है चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो । इन हरिजनों के मसीहा जिनका नाम परम पूज्य बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेदकर है उनके बारे में आज तक किसी ने कुछ नही सोचा । इनका जन्म दिनांक 14 अप्रैल को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है । कई बार कांग्रेस सरकार से अनुरोध किया गया कि 14 अप्रैल को छुट्टी की जाय लेकिन दुख का विषय है कि कोई गौर नहीं किया गया और न ही जनता पार्टी ने कोई गौर किया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 14 अप्रैल को, किसी भी छुट्टी को काटकर बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर के जन्म दिन पर छुट्टी की घोषणा करें । जिस दिन इस बात की घोषणा की जायगी आपकी जीत होगी, हरिजनों की जीत होगी और जनता की जीत होगी । इस भाषण में एक बात का जिक्र नहीं किया गया है, आगरे के अन्दर जो जूता उद्योग है उसके संबंध में ध्यान नहीं दिया गया है । एक अलफाज भी इसके बारे में नहीं कहा गया है । इस उद्योग के अन्दर हजारों हरिजन लगे हुए हैं । उनकी मातायें, बहनें, बच्चे इसमें काम करते हैं । पर जब वह अपने सामान को मार्केट में लेकर जाते हैं तो वहां के व्यापारी उनका शोषण करते हैं । लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है । सरकार इसके बारे में ध्यान दे । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जूता उद्योग पर ध्यान दिया जाय तभी मैं समझूंगा कि हरिजनों की तरफ ध्यान दिया गया, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है ।

*श्री लक्खी सिंह—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और श्री कौशिक ने जो प्रस्ताव रखा था उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन श्रीमन्, किसी जमाने में मैं भी उधर बैठता था और आप भी किन्तु कल के पहलवानों को देखकर मै बड़े अफसोस में हूं कि क्या यह विरोधी दल का काम था ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी के अन्दर श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम नहीं लिया, क्या उनको भूल गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

सुबह मैंने नाम लिया था ।

श्री लक्खी सिंह—

तो मान्यवर, मै किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता हूं लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कल की घटना का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं । आपने भी पढ़ा होगा लेकिन जब हम मीसा में बन्द थे तो एक हर्फ अखबार में नहीं लिखा जाता था । हमारे सामने तिवारी जी बैठे हैं जो उस समय मुख्य मंत्री थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कईसदस्य—

तिवारी जी जेल में हैं, यहां नहीं हैं (हंसी) ।

श्री लक्खी सिंह—

विधान सभा में जो माननीय सदस्य थे उनका भी एक हर्फ अखबारों में नहीं छपता था और आज सफेद झूठ बोला जा रहा है । हम लोगों ने प्रदर्शन किया कांग्रेस की सरकार के जमाने में लेकिन हमने दफा 144 को नहीं तोड़ा, हमने कानून को नहीं तोड़ा । इसलिये जो कानून को तोड़गा उसको सजा मिलेगी । यदि मैं मुख्य मंत्री होता ।

कई सदस्य—

हो जाइये ।

श्री लक्खी सिंह—

यदि मैं मुख्य मंत्री होता तो जो कल सजा दी गयी है उसको तो लकवामार सजा मैं मानता हूं । मैं यदि होता, तो उससे कड़ी सजा देता । श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी बातें लिखी गयी हैं वह सब आदर के योग्य हैं । जो बातें उन्होंने कही हैं वह हमारी सरकार के प्रति एकदम गैस बन गयी है लेकिन मैं अपने मुख्य मंत्री से कहूंगा कि यह जो भाषण है वह कथनी में न रह जाय । वह करनी में आये । वह सरकार तो चली गयी, उसका तो बिस्तर गोल हो गया क्योंकि उसने 30 साल में वह काम नहीं किया जो यह सरकार करने जा रही है । उस सरकार ने जो बड़े-बड़े गांव हैं, जो 5 हजार और उससे ज्यादा जनसंख्या वाले गांव हैं उनमें टट्टी और गुसलखाने नहीं बनवाये । मंत्री जी नोट कर लें कि बड़े-बड़े गांवों में या टाउन एरिया में जहां टट्टी और गुसलखाने नहीं हैं जहां लोग 9 बजे या सुबह 7 बजे टट्टी जाते हैं वहां टट्टी और गुसलखाने सरकार को बनाना चाहिये । बड़े-बड़े लोग जो सरकार में हो जाते हैं वह औरतों और पुरुषों के लिये हवाई जहाज तक में टट्टियां और गुसलखाने बनवा देते हैं लेकिन बड़े-बड़े गांवों और टाउन एरिया में ऐसी व्यवस्था नहीं करवाते हैं । हमारी बहनें जो गांव में रहती है उनके लिये 30 साल के अन्दर उस सरकार ने न कोई टट्टी बनायी और न कोई गुसलखाने बनवाये ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात नहीं आई । इसे नोट कर लें । यह बात मुख्य है । औरतों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिये टट्टी और गुसलखाने बनाये जायं ।

मथुरा जिले में दो तहसीलों में पीने का पानी नहीं है । हमारे क्षेत्र की औरतें दो-दो मील से घड़े में भर कर पानी लाती हैं । पिछली सरकार मर चुकी है । आप इस काम को जल्द से जल्द करो । पीने का पानी, सड़कें, बरसात के पानी से बचने के लिये नाले में तीन चार काम फौरन करने हैं । मैं अपने क्षेत्र में और दूसरे जिलों में कहा करता हूं कि हमारी सरकार दो तीन साल में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेगी जहां तक सड़क नहीं पहुंचेगी और पीने का पानी हर गांव में उपलब्ध नहीं होगा । (लाल बत्ती जलने पर) अध्यक्ष जी, जरा लाल बत्ती नहीं कर देना अभी (हंसी) ।

श्री श्याम धर मिश्र—

ये अध्यक्ष जी के अध्यक्ष हैं ।

लक्खी सिंह--

अभी मुझ से पहले शास्त्री जी बोल रहे थे । मैं जब आया तो व रिजरवेंशन की बात कह रहे थे । श्रीमन्, डींग मारते हैं जातिवाद कोई नहीं है और हम भी उसी पर चलने लगे हैं । हम भी सी की नकल कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में श्रीमन्, अभी दो हफ्ते की बात है। ये नकला कांग्रेस है असली कांग्रेस नहीं है । असली कांग्रेस तो अध्यक्ष जी के समय में थी । इस समय में असली कांग्रेसी थे । नकली कांग्रेस ने क्या किया ? नकली कांग्रेसी की परिभाषा अभी देता हूं । असली कांग्रेसी थे भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्र शेखर आजाद, महत्मा गांधी, डाक्टर लोहिया, जय प्रकाश नारायन । ये असली कांग्रेसी थे । ये हैं फसली कांग्रेसी । जब हम जेल से छूट कर आते थे तो खद्दर पहन कर आ जाते थे, जलूस निकालते थे और जिला कमेटी, प्रांतीय कमेटी में वही नेता बनते थे । ये हैं फसली कांग्रेसी । आप जानत हैं गांधी जी के नाम को कितना बदनाम किया है दोनों ने । यह नकली कांग्रेसी हैं । तो मैं कह रहा था कि नकली कांग्रेसियों ने मस्जिद तोड़ दिया और मुसलमानों के झोपड़े जला दिये ।

श्रीमन्, आगरे के हमारे जिलाधिकारी, एस0पी0, कमिश्नर, हम सब लोग वहां गये । हम ने देखना चाहा कि मामला क्या है । पता लगा कि हमारे नकली कांग्रेसियों ने हमार मुसलमान भाइयों की मस्जिद तोड़ डाली और झोपड़ियों में आग लगा दी । बगावत हो रही थी वहां पर । पूरी बगावत होने वाली थी । मै प्रदर्शन में गया और अधिकारी गये हाथ जोड़ कर राजीनामा कराया । अगर ऐसा न होता तो सैकड़ों आदमी मारे जाते । ऐसा काम यह नकली कांग्रेसी करते हैं । मैं कह रहा था पिछड़ी जाति और हरिजन । श्रीमन्, अब तो सभी हरिजन बन गय । आप भी श्रीमन्, बुलन्दशहर गांव के रहने वाले हैं । हममें से अधिकांश लोग गांव के रहने वाले हैं । मेरे क्षेत्र में चलिये, बलिया, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर में चलिये । राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में रिजर्वेशन और पांच साल की छूट वाली बात कही हैं तो ये दोनों चीजें आर्थिक स्थिति के ऊपर रखनी चाहिये । गरीबी अमीरी के ऊपर रखना चाहिये । स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे :

बड़जात ठाकुर, छोट जात ठाकुर ।
बड़जात यादव, छोट जात यादव ।
बड़जात ब्रह्मण, छोट जात ब्राह्मण ।
बड़जात बनिया, छोट जात बनिया ।
बड़जात हरिजन, छोट जात हरिजन ।

बड़ा जात हरिजन हैं जगजीवन राम और छोट जात हरिजन वह हैं जो आज भी जूता गांठ रहे हैं । मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यह रिजरवेंशन और पांच साल वाली बातें आर्थिक आधार पर रखें। ब्राह्मणों में भी ऐसे हैं जो तीन वक्त में एक वक्त भी खाना मुश्किल से जुटा पाते हैं । कुछ बिड़ला, डालमिया और टाटा हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी परचूनिये की भी दुकान नहीं हैं। इसी तरह से हरिजनों में हैं । इसलिये जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है उन सब पर यह लागू होना चाहिये चाहे वह किसी जाति का हो । श्रीमन्, हमारी सरकार ने हमें सात आठ महीने के अन्दर बोलने की जगह दे दी । हम बोलते हैं । अभी तो 8 महीने का बच्चा है । अभी मुख्य मंत्री जी हमारे आठ महीने के हैं लेकिन श्रीमन्, कोई सीमा होगी । मैं देखता हूं कि गुंडे उस वक्त काबू में थे जब हम मीसा में अन्दर बन्द थे । उस वक्त हिप्पियों को पकड़कर उनके बाल काट दिये जाते थे । हिप्पी कट वाले अब फिर जोर पकड़ गये हैं और गुंडे भी जोर पकड़ गये हैं । वह बाहर ही नहीं भीतर भी जोर पकड़ गये हैं । इन कांग्रेसी हिप्पियों ने यहां गड़बड़ी मचा दिया ।

अत: मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस ढुलमुल नीति से काम नहीं चलेगा । शासन में इस ढीलेपन से काम नहीं चलेगा । इन गुंडों का इलाज नहीं किया तो हमको खतरा होगा, हमको खतरा होगा तो सरकार को खतरा होगा और हमारी सरकार को खतरा होगा तो दिल्ली की सरकार को खतरा होगा । अभी दक्षिण में चन्द्रशेखर जी का सर फोड़ दिया है । ये गुंडे तो हैं ही, ये कांग्रेसी हिप्पी । इनका इंतजाम करें । तत्काल करें और मुख्य मंत्री जी आपके बस की बात न हो तो 4/5 दिन के लिये मुझको मंत्री बना दें । मैं इन गुंडों को ठीक कर दूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से हमको समय दिया करेंगे ।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

सदरे मोहतरम, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसके समर्थन में बोलने को खड़ा हुआ हूं । इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मुझे उस मजलूम की बात याद आती है जिसमें शाह कमीशन के सामने एक शेर पढ़ा गया

ऐ मैंजे हवादिस इनको भी दो-चार थपेड़े हल्के से,
कुछ लोग अभी तक शाहिल से तूफां का नजारा करते हैं

मान्यवर, इंसाफ की चक्की चलती तो बड़े धीरे है लेकिन पीसती बहुत महीन है । जब पीसना शुरू किया तो तिलमिला के कहने लगे कि जनता सरकार तानाशाही पर उतर आयी है । सैकड़ों मजलूमों से रंगे हाथ, आज दुहाई देते हैं कि हम शांति से अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन हम पर डंडे बरसाये गये । लेकिन मान्यवर, वह सोची समझी स्कीम जिसको मोहिसिना किदवई ने मेरी कांस्टीटुयेंसी बलरामपुर में कहा था कि हम अपनी बात विधान सभा के सामने रखने जा रहे हैं लेकिन दफा 144 लगी हुयी है । मैं स्टूडेंट्स को दावत देती हूं कि वे आयें और दफा 144 को तोड़कर अपनी बातों को कहें । मान्यवर, 16 तारीख की शाम से और 17 को 10 बजे तक हमने देखा कि जीपों में गन्ने और डंडे भरकर जा रहे थे पूछने पर कहा कि झंडे के लिए इस्तेमाल किया जायेगा । यह किस तरह की शांति की बात कहने आये थे डंडों के द्वारा । हिन्दू और मुसलमान और हरिजनों के नाम की दुहाई देते ये चले आये । कहते कि जनता पार्टी वाले तो आर0 एस0एस0 वाले हैं । ये बिलकुल उसी तरीके से कहते आये जैसे कि एक गड़रिया का लड़का कहा करता था दौड़ो-दौड़ो भेड़ि या आया, भेड़िया आया । लोग निकलते थे उसको हंसता हुआ देखकर चले जाते थे । जब लोगों ने समझा कि इस तरह से झूठ बोल रहे हैं तो अवाम ने ऐसा तमाचा मुंह पर मारा कि मुजरिम को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया ।

मैंने इनकी हरकत महाराष्ट्र में देखी । बहुत हमदर्द बनते थे मुसलमानों के । अंधेरी में एक कारपोरेट थी इंदिरा कांग्रेस की, इमरजेंसी के दौरान कुछ लोग मस्जिद बनाना चाहते थे लेकिन परमीशन नहीं दिया इलेक्शन आया तो परमीशन भी दे दिया और सीमेंट के लिये परमिट भी । कुछ मुसलमानों ने इसके बारे में कहा तो मैंने कहा कि इनका यही तरीका है । ये हममें घुन की तरह से लगे हुए थे और कहते थे कि हम तो मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं । इनके सबके सब वोट मेरे जेब में हैं । लेकिन अवाम ने और दुनिया ने इस बात को देखा और महाराष्ट्र और आंध्र में जनता पार्टी के साथ रहे । मान्यवर, अगर इंदिरा जी यह कह दें कि दिन नहीं रात है तो सी0पी0 आई0 वाले कहते हैं कि बिलकुल सरकार रात है । आप अवाम को धोखे में रखना चाहते हैं । यह चलने वाला नहीं है । प्रदेश के अन्दर ला ऐंड आर्डर की जो स्थिति है उसको मैं भी तस्लीम करता हूं किन्तु इसकी जिम्मेदार कौन है ? आप विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जाकर देख लें । इनके अन्दर अगर अशांति है तो उसकी वजह क्या है ? मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा ।

[श्री अशफाक –]

अवध विश्वविद्यालय के कुलपति तन्हा व्यक्ति थे जो संजय गांधी को अमौसी एयर पोर्ट में रिसीव करने के लिये गये । तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से शांति व्यवस्था बनी रहेगी । हरिजनों के नाम पर दुहाई देने वाले लोग बनारस में क्या करके आये कल गवर्नर के एड्रेस के मौके पर यहां पर क्या हुआ यह आप सब जानते ही हैं । यह कोई शदाफत का तरीका नहीं है । अवाम को गुमराह किया जाय, उनको सच्ची बात न बतायी जाय । दिलों की वाशिंग कौन करे । आज 30 साल के बाद ऐसी पार्टी सरकार में आयी है जो गांवों की ओर बढ़ी है । हमारे विरोधी लोग ये साजिश कर रहे हैं कि गांवों की जिन्दगी में और शहरों की जिन्दगी में एक दीवार खड़ी कर दी जाय । एक अजीब सी हवा पैदा कर दी है । आज का अवाम सही मानों में इस बात को समझ नहीं पाता है । इसलिये मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा कि वे सही बात करें । हमारा अवाम आज क्या कहता है । कल मैंने देखा जब प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर एक देहाती खड़ा था वह कहने लगा कि गन्ना पांच रुपये क्विंटल तो नहीं है । एक कांग्रेसी साहब उसको चुप कराने लगे थे । यह सब बेबुनियाद बातें हैं ।

अपने क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी के दौरान जितने भी अधिकारी और कर्मचारी निकाले गये थे, बहाल कर दिये गये इस सरकार ने यह किया । लेकिन कुछ काम रह भी गये । अध्यापकों को नसबन्दी के तहत जिलों में अभी भी उनका 14-15 महीने का वेतन नही मिला है । वह उन्हें दिया जाय । सरकार ने निश्चय किया है कि पूरे प्रदेश और देश के अन्दर मद्य-निषेध लागू कर दिया जाय । मेरी कांस्टीटुयेंसी नैपाल से 22 किलो मीटर की दूरी पर है । वहां पर स्मगलिंग का धंधा बहुत चल रहा है । मैं चाहता हूं कि इसके लिये स्पेशल फोर्स लगाकर उसे बन्द करवाया जाय । सड़कों के बारे में इसमें कहा गया है लेकिन हमारे बलरामपुर में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सड़क के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है । सन् 62 में चीन ने अपने नक्शे में गोंडा जिलों को पब्लिश किया था कि वह उसके अन्दर है । हमको भी कुछ अधिकार दिया जाय ।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे हैं जो राप्ती नदी के किनारे हैं और बाढ़ के समय तबाह हो जाते हैं । उनको नदी काटती चली जा रही है । उसे रोकने के लिये उपाय किये जाने चाहिये । स्वास्थ्य के संबंध में जो कदम स्वास्थ्य मंत्री और जनता सरकार की तरफ से उठाये गये हैं वह बहुत सराहनीय रहे हैं ।

एक बात ला ऐंड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं डेमोक्रेसी में जो छूट होनी चाहिये वह ठीक है लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है । फ्रांस में जब आजादी आई तो एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उधर से एक ट्रक वाला आया उसने उससे कहा कि रास्ता दे दे उसने कहा नहीं फ्रांस के अन्दर आजादी आई है तो उसने भी कहा कि मुझे आजादी है और वह कुचलता हुआ निकल गया । तो इतनी छूट नहीं होनी चाहिये । आज ट्रेनों में जिस तरह से बिना टिकट लोग सफर करने लगे हैं वह ठीक नहीं है । टी0टी0भी दो एक आदमियों को ले आता है । अभी-अभी फैजाबाद में कुछ आदमी एक बस में बिना टिकट के बैठ गये कंडक्टर ने टिकट बनाने के लिए कहा तो कहने लगे कि जनता सरकार है । तो इस तरह की छूट भी नहीं होनी चाहिये । जो डेमोक्रेसी के सही माने हैं वह अवाम तक पहुंचाये जायं ताकि वह डेमोक्रेसी का सही फायदा उठा सके । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अब जनता सरकार आई है तो सब छूट है । डेमोक्रेसी का गलत माने न समझा जाय उसे कमजोरी न समझी जाय वर्ना हो सकता है कि

बड़े पैमाने पर वह छलक कर गालों को लाल कर देगी । मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका अभिनन्दन करता हूं ।

*श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी तक हरिजनों की बड़ी तेजी से दोनों तरफ से बात आती रही है । मैं उसका मूल कारण बताना चाहता हूं । आज बाबू जगजीवन राम के नाम पर सारी बातें हो रही हैं । मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क से दो प्रकार की रानियां गुजर चुकी हैं एक तो झांसी की रानी थीं और दूसरी श्रीमती इंदिरा गांधी जो झांसे की रानी थी जो हमेशा झांसे की बात करती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताने जा रहा हूं कि उन्होंने हमेशा लोगों को झांसे दिये और आज भी इंदिरा कांग्रेस के लोगों का गुस्सा चारों तरफ चल रहा है । बरेली में अम्बेदकर की मूर्ति के नाम पर हरिजनों को उभारा गया, उनको परेशान किया गया, वहां के अधिकारियों को तंग किया गया । उसके साथ ही आपने देखा होगा 20 जनवरी को बनारस में सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण किया गया तो उस मूर्ति को धोया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह धोने वाले कमलापति त्रिपाठी के पूरे परिवार के लोग थे ।

इसके साथ ही आप देखें कि कल जब सदन शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाये गये । हमारे एक व्यक्ति जो आज सदन में नहीं हैं वह कह रहे थे कि जनता पार्टी ने हरिजनों के लिये क्या किया और वह इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे । उन्हें शर्म आनी चाहिये थी जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया । आज जो हमारे वित्त मंत्री हैं वह भी हरिजन हैं और राज्यपाल भी एक हरिजन हैं उनका आपने अपमान किया है । क्या यही इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखाया है ? मैं आपसे यह कहना चाहता था कि हरिजनों को भड़काने की और छात्रों तथा मजदूरों आदि को भड़काने की घटनायें सारे प्रदेश में चल रही हैं । मैं परसों अपने यहां से आ रहा था, मेरे साथ यहां के मेरे एक साथी भी थे । फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा था, उसमें कुछ छात्र घुस आये थे । मलिहाबाद से लेकर लखनऊ तक वे लोग फर्स्ट क्लास के गद्दे काटते चले गये । उन्होंने जो गद्दे काटना शुरू किया, उसे काट ले गये और कहा कि हमें तो इंदिरा गांधी का समर्थन है ही । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो घटनायें घटीं, वे ठीक नहीं हैं और हरिजनों के प्रति हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री की बड़ी दिलचस्पी है और उनकी ओर से हरिजनों को काफी राहत मिली है पढ़ाई और नौकरियों के मामले में । फिर भी मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर जिले में हरिजन उत्पीड़न को कम करने के लिये, जो आई0पी0एस0 और आई0ए0एस0 अधिकारी यहां मौजूद हैं, उन्हें आप जिले में भेजने की कृपा करें ताकि उनका उत्पीड़न कम हो सके ।

अब मैं अपने जिले शाहजहांपुर के बारे में कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । विशेष रूप से परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पर बसों की बड़ी दुर्व्यवस्था है और खासकर पुवायां के लिये वह 20 बसों की तुरन्त व्यवस्था करा दें । साथ ही जो बसें खराब पड़ी हैं, जिनके पुरजों का प्रबन्ध नहीं हो पाया है, उनका प्रबन्ध करें । साथ ही मैं गन्ना विकास मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र में काफी गन्ने का उत्पादन होता है, अतः वहां के लिये एक चीनी मिल की वह व्यवस्था करा दें । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं एक मिनट जानकारी के लिये चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप एक मिनट नहीं 5 मिनट बोलिये ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मुझे सूचना मिली है प्रदेश के कोने-कोने से हजारों युवा जनता के लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार को अपने वायदे की याद दिलाने आये थे और उनसे कहने आये थे कि आप अपना वायदा निभाओ। उन हजारों नवयुवकों को जो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते थे, गिरफ्तार किया गया है । इन लोगों का संबंध जनता पार्टी से है, अतः मैं चाहता हूं कि उस संबंध में मुख्य मंत्री जी यहां पर वक्तव्य दें, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके ।

*श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि जो सदन में आज बहस हो रही है, उस विषय में बहुत सी बातें आई हैं विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से और मेरा निवेदन यह है कि प्रदेश में समस्या क्या है, जिसके निवारण के लिये जनता सरकार कटिबद्ध है । मेरे ख्याल से वह समस्या गरीबी, बेरोजगारी, और भ्रष्टाचार और गिरी हुई मानवता की है। मेरे साथियों ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए हैं । इसके लिये हमारी सरकार ने सिंचाई को वरीयता दी है और कृषि पर भी अधिक खर्च करने की कोशिश कर रही है । उससे गरीबी को तो दूर करने का उपाय होगा ही, गरीबों की आप मदद करेंगे । जहां तक बेरोजगारी की समस्या है इस संबंध में सरकार को लघु उद्योगों तथा ऐसे उद्योग और नौकरियां खोलनी चाहिये । जिससे प्रदेश के पढ़े लिखे और बे पढ़े लिखे लोगों को काम मिले । साथ ही जो मानवता हमारे प्रदेश की गिरी हुई है, उसका कल एक उदाहरण हमारे इस सदन में कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया। इससे हम लोगों को बड़ा दुख हुआ । जहां विधायक कुर्सी के लिये लड़ता है वहीं कुर्सी एक विधायक के सर पर फेंकी जाय यह बड़ी शर्मनाक और दुख की बात है । जिस कुर्सी के लिये, व्यवस्था के लिये जनता से शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर, सत्य अहिंसा के नाम पर जनता से राय लेते हैं और उसकी परेशानियों को दूर करने का वादा करते हैं । यहां, आकर वही विधायक इस सदन में कुर्सी फेंक किसी को माइक मारे, सर टूट जाय इससे अधिक निन्दा की बात क्या हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, मानवता कितनी गिर गयी आप भी मानें कि कल जो सदन में हरकत हुई उससे सारे देश और सूबे की बदनामी हो गयी । मैं शासन से चाहता हूं कि शासन इस तरह मानवता की तरफ देखे । ईमानदार लोग चाहे वे कर्मचारी हों या नेता हों, या साधारण लोग हों जो ईमानदारी के रास्ते पर काम करके अपनी तरक्की करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन दें । इससे ईमनादारी बढ़ेगी । मानवता भी बढ़ेगी । पिछले सालों में जो गलत आदमी थे चाहे राजकर्मचारी हों या नेता हों उनकी तरक्की होती थी । ईमानदार नेता, ईमानदार अफसर, ईमानदार कर्मचारी पीछे ढकेल दिया जाता था। जनता सरकार ने वादा किया है कि सत्य के आधार पर सही और सच्चा न्याय करेंगे, मैं समझता हूं कि सरकार यह भूली नहीं होगी । मुल्क की जो मूलभूत समस्या थी वह मैंने रख दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब मुझे निवेदन करना है, मेरा क्षेत्र है, मुगलसराय, वाराणसी जनपद में। वहां पर दो तीन फैक्टरियां हैं। उन फैक्टरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने पर सैकड़ों मजदूर बेकार हो गये हैं। उन फैक्टरियों को वहां खोलने की मंशा यह थी कि उनमें वहां के लोगों को काम दें। लेकिन मिल मालिक परेशान कर रहा है। एक साहू जैन फैक्टरी है और दूसरी बसन्त पेपर मिल एक नयी फैक्ट्री है। वहां के लोगों को आशा थी कि वहां के लोगों को काम मिलेगा। लेकिन मिल मालिक बसन्त पेपर मिल का बाहर के लोगों को काम देता है हमारे क्षेत्र के लोग बेकार पड़े हुये हैं। मैं यह चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में जो फैक्टरियां खुले उस क्षेत्र के लोग जो उस फैक्ट्री में काम करने योग्य हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाय चाहे वह मुगलसराय हो या अन्य कोई क्षेत्र हो।

आज कानून और व्यवस्था के नाम पर बहुत सी बातें इस सदन में दोनों तरफ से कही जाती हैं। कानून के नाम पर जो बात की जाती है, मेरा अपना खयाल है कि उसमें विशेष रूप से विरोधी भाई चाहते हैं कि सरकार को बदनाम करें और इस सरकार को बदनाम करने के बाद हम कुर्सी पर बैठें। तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है "धर्मशील पर विनहि बुलाये सुख सम्पति सब जाय सुहाये। मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि कुर्सी इतनी आसान नहीं है" कि वह बिना वजह के छीनी जा सकती है।

हमारे साथी टेबिल की राजनीति करते हैं। जनता पार्टी ने जो वादे किये हैं उनको ईमानदारी से निभाना चाहिये। जनता ने इस जनता पार्टी के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। हमारे साथियों को मालूम होना चाहिये कि यह जनता की सरकार है और हम जनता के हितों की रक्षा करने के लिये यहां पर आये हैं। अगर हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वह दूसरे साथियों को सत्ता दे दें। अगर छात्र या नवयुवकों को गुमराह किया जाता है और प्रदेश में भयंकर स्थिति पैदा की जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे मुल्क का नुकसान होगा। उनका भी होगा और जनता का भी होगा, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष के साथी जनता के हितों की रक्षा करने के लिये अपनी भावनाओं को लगावें। हमारे साथी क्षमा करेंगे मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं चाहे वह जनता पार्टी के हों या किसी अन्य दल के हों सभी को भाई चारे का व्यवहार करना चाहिये। उनका और हमारा कर्तव्य भाई चारे का होना चाहिये। कानून और नियम के अनुसार हमारे उनके वैधानिक रास्ते हैं। एक रास्ते से हमला करना हमारे और आप सब के लिये अनुचित होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिये हमें शान्ति से कार्य करना होगा और हमें प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिये और प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिये एक राय से काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष —

आज इस पर विवाद समाप्त किया जाता है।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष :—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम गोविन---

एक माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि प्रदेश के कोने-कोने से नवजवान आये हुये हैं, जो नवजवान इस पार्टी के लिये खून और पसीना एक करके 19 महीने जालिम सरकार की हुकूमत में जेल काटे हैं, उन्हीं को इस जनता सरकार ने बन्द किया है। एक प्रश्न इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया है। वह हम लोगों को आश्वस्त करायें जिन के बलबूते पर सरकार बनी है, अगर 'वादा निभाओ' दिवस के रूप में उन्होंने प्रदर्शन शान्ति पूर्वक किया, उस पर हजारों नव जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सरकार तानाशाही कर रही है जो उनको बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष ---

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार के सम्बन्ध में उनके आचरण की जांच हेतु गठित सदन की समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन .. .. ..

श्री अध्यक्ष---

दिनांक 17 मार्च, 1978 को सदन ने एक प्रस्ताव पारित करके मुझे यह अधिकार दिया था कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर जो अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार हुआ है उसके सन्दर्भ में श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री सुरेन्द्र पाल आदि के आचरण एवं व्यवहार की सविस्तार जाच करने तथा उन्हें उचित दंड का सुझाव देने हेतु सदन की एक समिति, जिसमें 11 से अनधिक सदस्य हों, नाम निर्देश करूं। तदनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नाम निर्देशित कर दी है:---

(1) सर्वश्री, शिव मंगल सिंह

(2) मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)

(3) केशरी नाथ त्रिपाठी (संस्थागत वित्त मंत्री)

(4) उदित नरायन

(5) कृष्ण स्वरूप वैश्य

(6) देव राम

(7) विजय राज सिंह ;

(8) अब्दुल हफीज ,

(9) ऊदल ,

(10) लक्ष्मी शंकर यादव एवं

(11) धर्मगज सिंह ,

श्री शिव मंगल सिंह इस समिति के सभापति नियुक्त किये जाते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको लेता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

श्रीमन् उस पर कोई आपत्ति नहीं है । मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मेरे दो साथियों की जो प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया । तो आपके द्वारा मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर उस संबंध में स्थिति से और हालात से सदन को वाकिफ करा दें तो बहुत अच्छा होगा ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । यह बात तो कल होगी ।

आपने जो प्रश्न उठाया, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । पहले मैं नियम 51 में जो सूचनायें आई हैं, उनको ले लूं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे ।

एक सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री गोकरन प्रसाद जी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 24 जनवरी, 1978 को वाराणसी में केन्द्रीय सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री बाबू जगजीवन द्वारा श्री सम्पूर्णानंद की प्रतिमा के अनावरण करने पर कुछ कांग्रेसजनों द्वारा उसको अपवित्र समझकर गंगा जल से धोने का प्रयास किया ।

मैंने इसको स्वीकार किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी, इस पर आप कब बयान देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, इस संबंध में, मैं अभी बताये देता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिये, केवल बयान नहीं होना चाहिय ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में इस सूचना का उत्तर दे रहे हैं । उसके बाद जो आप प्रश्न पूछना चाहेंगे उनकी मैं अनुमति दूंगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैंने भी नियम 51 में एक सूचना दी है । उपल वृष्टि से 70 करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों का ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों को उठाने का यह तरीका नहीं है। आपने नियम 51 में दिया है। नियम 301 के अन्तर्गत जिस समय आपका प्रश्न मैंने मंजूर किया था, आप सदन में उपस्थित नहीं थे। अब इसको अगले दिन लिया जायगा।

वाराणसी में डाक्टर सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण श्री जगजीवन राम द्वारा किये जाने के कारण उसे गंगा जल से धोये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, 24 जनवरी, 1978 को केन्द्रीय सुरक्षा मंत्री वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में आये थे, वे वहां पर डाक्टर सम्पूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण करने गये थे। उस समय राष्ट्रीय छात्रसंघ के कुछ लोग और विद्यार्थी जिनकी संख्या लगभग 60-70 की रही होगी वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया और उसमें उनके विरोध में बहुत जबरदस्त नारे लगाये। उसके पश्चात् जब वह कार्यक्रम समाप्त हो गया फिर उन्हीं तत्वों ने गंगा जल लाकर उस मूर्ति को स्नान कराया, धोया। उसकी सूचना पाने के बाद अधिकारीगण तुरन्त ही मौके पर पहुंच गये और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी लोगों पर जो मौके पर नहीं मिले पकड़ कर न्यायालय में मामला भेज दिया गया है। विधिवत् वक्तव्य किसी दूसरे दिन दे दूंगा।

यह जानकारी के लिये मैं बता रहा हूं। विधिवत् वक्तव्य मैं दूसरे दिन दे दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, इस पर सवाल का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर इस वक्त सूचना दे दी है, विधिवत् वक्तव्य बाद में देंगे तब मैं पूरा अवसर दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र---

तो इस पर 51, धारा में बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष

आप जानते हैं कि 51 में स्पष्टीकरण प्रश्नों के द्वारा मांगा जा सकता है और 52 में तो दो घंटे की बहस हो सकती है। इस समय मैंने इस पर विचार नहीं किया है।

श्री श्यामधर मिश्र---

एक बात मैं पूछ लूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जब यह सब बात हो गयी तो बाद में पुलिस आयी तो फिर उन्होंने यह कार्यवाही किया। क्या यह बात सही नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री केन्द्र के उपस्थित थे और उनकी वजह से उस समय भी पुलिस मौजूद थी जब कि नारे लग रहे थे और जबकि उस प्रतिमा को धोया। मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि बाद में पुलिस आ गयी और यह किया गया। हमारी इत्तला है कि उसी समय मौजूद था तो अधिकारीगण चुप क्यों रहे?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है, मुझे ऐसा लगता है कि मिश्र जी जब शासन में थे पिछले दिनों और उन्होंने जिस प्रकार से तानाशाही के रास्ते पर जाकर लोगों को बन्द कर दिया था वही स्थिति हमारे सामने पैदा करना चाहते थे। हमारी नीति उस प्रकार की नहीं है और न हम प्रदर्शनकारियों को इस प्रकार से गिरफ्तार करने के लिये तैयार हैं। कुछ समय के बाद जब यह सारा समाप्त हो गया और जब उन्होंने वह कार्य किया तो पुलिस प्रशासन पहुंचा तब जाकर कार्यवाही की गयी।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं जानता हू कि ये कितने लोक तांत्रिक हैं। मैं वाकयात की बात पूछ रहा हूं कि क्या पुलिस उस समय मौजूद थी या नहीं जब यह कार्य हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उनका उत्तर है कि पुलिस मौजूद थी लेकिन गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, वैसे तो मुख्य मंत्री जी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया शान्त रहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक घटना हुई। इतना सा नहीं है कि कुछ लोग वहां आये और उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया मान्यवर, इसके पीछे पूरी एक योजना है इंदिरा कांग्रेस संगठन की। उन्होंने एक साजिश किया। क्या मुख्य मंत्री जी ने इस पूरे मामले की भी जांच कराने की कोशिश की है, उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

वक्तव्य, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि विधिवत् वक्तव्य बाद में दूसरे दिन दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर प्रश्नों को इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि विधिवत् वक्तव्य बाद में दूंगा। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो वक्तव्य आपको देना था . . .

श्री राम नरेश यादव---

वह अभी आता है और इस पर जहां तक वक्तव्य का सवाल है उस पर कोई भी तारीख दे दें, 3-4 दिन के बाद।

श्री अध्यक्ष---

क्या सोमवार को रख सकते हैं ?

श्री राम नरेश यादव ---

मंगल को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मंगलवार की छुट्टी है । बुधवार को रखें । 22 तारीख इस पर मुकर्रर की जाती है ।

अब दूसरा जो वक्तव्य है जो माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे, जो मैंने कहा है कल की घटनाओं के संबंध में ।

अभी जो प्रश्न माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को जो जानकारी हो, वह दे दें ।

श्री राम नरेश यादव—

मैं पौने पांच बजे दे दूंगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमने संकल्प किया है कि देश में जनतांत्रिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित करेंगे । देश में आज कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पिछले दिनों से जनतन्त्र के नाम पर, गांधी जी के नाम पर, कुछ ऐसे कामों को करने में लगी हुई हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप में कल यहां पर देखने को मिला । सम्भवतः वे जनता के इस न्याय मंदिर को कलंकित करना चाहते थे । इस देश में अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद हमने जनता को जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया । अंग्रेजी संसद् में, एक बार जब कुछ लोगों ने कुछ अधिकार बढ़ाने की मांग की थी तो एक संसद सदस्य लोयी ने कहा था "नाओ आवर टास्क इज टु एजुकेट आवर मास्टर्स"

श्री अध्यक्ष—

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए ।

श्री नेम सिंह चौहान—

लोयी संसद् सदस्य ने कहा था कि-अब हमारा काम अपने स्वामियों को शिक्षा देना होगा । जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुन कर यहां भेजा उन्होंने कल जो कुछ किया उसको जनता ने दर्शक दीर्घा से बैठकर देखा होगा । वे ही उनको शिक्षा देंगे । वे उनको फिर से पाठ पढ़ाने के लिये सोच रहे होंगे ।

मान्यवर, यहां पर जो गलत बातें कही जाती हैं, जो गलत वक्तव्य दिये जाते हैं । उसका स्तर भी बहुत गिर गया है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस ब्रिटिश संसद की परम्पराओं को हमने अपनाया है वहां वारेन हेस्टिंग्स जैसे व्यक्ति तक का, ब्रिटिश संसद में, जब वह गया तो उसका इम्पीचमेंट हुआ और यहां तक हुआ कि उसके कपड़े तक बिक गये । वह संसदीय परम्परायें भी हमारे सामने मौजूद हैं । संसदीय प्रणाली हमारे जन-जीवन में प्रवेश कर गयी है । उसको हमें कायम रखना है । अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो कृत्य किया गया, गांधी जी के स्वप्नों को तोड़ा गया, उसकी जितनी निन्दा की जाये, कम है ? गांधी जी तो कहा करते थे कि जिस दिन एक हरिजन उस कुर्सी पर विराजमान होगा उसी दिन देश का कल्याण होगा, मगर यहां आज क्या किया जा रहा है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार की यह घटनायें हो रही हैं इनको रोका जाये, फिर से यह न होने पायें, ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये । जहां तक हमारी बात है, हम जितना भी संयम हो सकेगा उसको रखेंगे ।

लेकिन वहां पर मुझे याद आता है कि हमारे चाणक्य ने और जितने मनीषी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शासन चलाने के लिये शक्ति का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

अकबर इलाहाबादी के शब्दों में--

"न दोहे से चलता है, न कसीदे से चलता है।
खूब सुन लो कारे सल्तनत लोहे से चलता है।"

तो जब जरूरत पड़े तो शासन को दण्ड भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह जिस प्रकार से माली पौधों के पत्तों को ऊपर से छांटता है, लेकिन जड़ को पानी देता है। जो कांग्रेस (आई), सी0 पी0 आई0 के लोग पैदा हो गये हैं और शासन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, उनको दण्ड देने की व्यवस्था करें। कल मैं आ रहा था, तो देखा कि कांग्रेस (आई) का तिरंगा लहरा रहा था, उसमें दो मुसलमान साथी भी थे तो वह कह रहे थे कि 3 रुपये में तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। इनकी आदत पड़ गयी है किराये के लोगों को लेकर प्रदर्शन करने की। उधर के बैठने वालों को चैन नहीं है, क्योंकि 30 साल के बाद गद्दी गयी तो उनको चैन नहीं आती है।

मुझे निधौली कलां की याद आती है। कांग्रेस के लोग ट्रकों पर भर कर रायफिलें ले गये थे लेकिन वहां पर हमने अपने धैर्य का परिचय दिया। यह जो सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने रखी है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं। इसके साथ-साथ सड़कों की जहां पर बात आयी है, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं जनता पार्टी के अपने मंत्री हैं, उनको अलीगढ़ जनपद से जहां से मैं आता हूं, वहां पर जितनी सड़कें मेरठ-आगरा मंडल में हैं, वे पूरी नहीं हो पाई हैं इस बात का ध्यान रखा जाय। बम्बई परियोजना का जो कोटा था, उसे पूरा किया जाय। एक तो प्रकृति का वहां पर रौद्र रूप रहता है, वहां पर भूमि ऊबड़-खाबड़ है। सिकन्दराराऊ से मैं आता हूं यहां 25,000 एकड़ ऊसर भूमि है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां पर जल व्यवस्था के लिए, ट्यूबवेल तथा अन्य व्यवस्था करने की कृपा करें। सिकन्दराराऊ पिछले 30 वर्षों में इतना पिछड़ा रहा है, जहां पर कि रोडवेज का बस-स्टैंड न हो, वहां पर 30 साल पुराना टिन-शेड पड़ा हुआ है, जब कि जी0 टी0 रोड को मिलाने वाला वह स्थल है। मैंने मांग की थी कि वहां पर बस स्टैंन्ड बनाया जाय तथा गरीब हिन्दू मुसलमान व बुनकरों की सहायता हथकरघों के लिए व जो पिछड़े मुसलमान भाई हैं, जो पशुओं की हड्डी का धन्धा करते हैं, उनके लिए एक हड्डी का और खाद का कारखाना लगाया जाय। हसायन व पुरदिलपुर में ग्लास वोड्स व चूड़ी का कुटीर उद्योग है, जिसका विदेशों तक निर्यात होता है। इसकी समृद्धि के लिए राजकीय संरक्षण दिया जाय। उद्योग को पनपाया जाय। सिकन्दराराऊ, कनौरा, विजयगढ़ में आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत अच्छा निर्माण होता है, जो बाहर भी जाती हैं, इनको सरकार संरक्षण दे और जो राजकीय परचेज होती है, उनसे ली जाय तथा सिकन्दराराऊ में कृषि, आयुर्वेदिक विद्यालय खोला जाय।

मान्यवर, छोटे कर्मचारियों और पुलिस की सुविधाओं पर, जिनकी ड्यूटी सख्त है, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाय। सब-इन्स्पेक्टर को कुल 30 रुपये पेट्रोल एलाउंस व 350 रुपये वर्दी आदि का मिलता है, जो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाय उनको आवास आदि की भी सुविधा दी जाय। अन्य छोटे कर्मचारी जो राजकीय सेवाओं में हैं, उनकी सुख-सुविधा भी बढ़ाई जाय। दूसरी तरफ जहां शिक्षा की बात आती है तो उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आपने विद्यालय खोलने का संकल्प किया है। मेरा निवेदन है कि जो शाखा विद्यालय बंद किये गये थे उनको फिर से कायम किया

[श्री नेम सिंह चौहान—]

जाय। हमारे अध्यापकों ने अभी आंदोलन किया था, मैं यह मानता हूं कि उनकी कुछ गल्ती हो सकती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जो वेतन नहीं दिया गया है, रोक दिया गया है, वह अवश्य दिया जाय ताकि उनका मनोबल न गिरे और सारी चीजें सुचारु रूप से चल सकें।

मान्यवर, यह जो व्यवस्था की गयी है परिवहन के सम्बन्ध में सुविधायें बढ़ाने की तो मैं कहना चाहता हूं कि बसों की हालत पिछले दिनों लगातार खराब होती गयी है। वे यातायात के योग्य नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि नई बसें परचेज न की जायं और बसों को अनुबन्ध बेसिस पर चलाया जाय। इससे अनेकों लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को सुविधायें उपलब्ध की जायं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र में गन्ना मिल लगी है। लेकिन उसमें जो मशीनरी लगाई गयी हैं वह बिल्कुल खराब लगाई गयी हैं। वह रद्दी किस्म की हैं। वहां की व्यवस्था में जो लोग हैं वह संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं।

एक चीज और विद्युत् के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारा करोड़ों रुपया बकाया है। मैं समझता हूं कि 100 करोड़ रुपये के करीब बाकी है। इसको वसूलने के लिये कोई व्यवस्था की जाय ताकि विद्युत् सेवायें बढ़ायी जा सकें। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, गांवों को ऋण की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। लेकिन पिछले दिनों ग्रामीणों ने अपना सब कुछ बेच कर ऋण चुकाया है। लेकिन जितने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्होंने गांव के लोगों को ऋण नहीं दिया है तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि गांव के लोगों को सहकारी बैंकों की शाखाओं से कृषि कार्यों के लिये ऋण दिया जाय। यह मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

युवकों तथा विद्यार्थियों की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस (आई) के जुलूस पर लाठी चार्ज के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, अभी शतरुद्ध प्रकाश जी ने और रवीन्द्र सिंह जो ने विद्यार्थियों से संबंधित कुछ प्रश्न उठाये थे। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि शासन की ओर से, जनता पार्टी की सरकार का कोई इरादा किसी आंदोलन को इस तरह से, जो शांतिपूर्ण हो, को न कभी कुचलने का रहा है और न है। लोकतन्त्र में जनता पार्टी और उसकी सरकार विश्वास रखती है, आस्था रखती है। इसलिये प्रदर्शन को आयोजन की अनुमति मिली। 2 बजे उनके प्रतिनिधि मेरे कक्ष में आये थे। मैंने उनसे बातें की और उनकी मांगें जो उन्होंने रखी थीं उन पर विचार-विमर्श किया। मैंने जो कुछ हो सकता था उनसे 15 मिनट तक सहानुभूतिपूर्वक बातें कीं। उस समय तक मुझे, उन लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में किसी भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि इस समय कोई भी छात्र या कोई युवक बंदी नहीं है उस प्रदर्शन के सिलसिले में।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

(श्री श्यामदत्त पालीवाल के खड़े होने पर।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप पालीवाल जी बैठिये। अभी तो वक्तव्य देने दीजिए।

श्री राम नरेश यादव—

1972–73 में विधान सभा को संसदीय अध्ययन समिति ने संसदीय शिष्टाचार और सदन की कार्यवाही के शांतिपूर्ण संचालन तथा औचित्य के प्रश्न के अधिकार के विषय में निम्नलिखित प्रतिवेदन दिया था:—

"समिति यह भी आवश्यक समझती है कि सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिये संसद् की भांति इस प्रदेश में भी विधान भवन के चारों ओर 2 फर्लांग तक प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्राहिबिटेड एरिया) घोषित कर दिया जाय। ऐसा क्षेत्र विधान भवन के बर्लिंगटन होटल के चौराहे तक, लालबाग के चौराहे तक, जी0 पी0 ओ0 के चौराहे तक तथा हैबलक रोड के चौराहे तक लागू हो। इस क्षेत्र में न किसी प्रकार की कोई मीटिंग हो सके, न खेमे गाड़े जा सकें और न उससे होकर कोई जुलूस इत्यादि निकल सके।"

उक्त समिति के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर थे और श्री वासुदेव सिंह तत्कालीन उपाध्यक्ष, विधान सभा सहित, विधान सभा के सभी दलों के प्रमुख सदस्य उसके सदस्य थे। समिति की संस्तुति मानते हुए 1974 में जिलाधिकारी को शासन ने तद्नुसार कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये थे।

इस वर्ष भी इन आदेशों के अनुसार ही जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) ने 17 मार्च, 1978 को, जिस दिन सदन का अधिवेशन आरम्भ होने को था, जिलाधिकारी से एक जुलूस निकालने और विधान भवन के पास ही जनरल पोस्ट आफिस के सामने पार्क में मीटिंग करने की अनुमति मांगी। उसमें जुलूस झण्डे वाले पार्क से निकलकर अमीनाबाद, कैसरबाग, विशेश्वरनाथ रोड होते हुए विधान भवन के सामने से ले जाकर लालबाग और हजरतगंज होते हुए जी0 पी0 ओ0 पार्क में जाना दिखाया गया था। जिलाधिकारी ने विधान भवन के सामने से जुलूस निकलना स्वीकार नहीं किया और विशेश्वरनाथ रोड से उसे सीधे लालबाग और हजरतगंज होकर जी0 पी0 ओ0 पार्क में जाने की अनुमति दी। पार्टी के प्रतिनिधियों ने उनको मौखिक आश्वासन दिया कि वे अनुमति के अनुसार ही जुलूस निकालेंगे।

जुलूस झंडे वाले पार्क से निकाला गया और लगभग 2.30 बजे अपरान्ह में जब यह विशेश्वरनाथ रोड से होकर नूर मंजिल चौराहे पर पहुंचा तो उसे निर्धारित रूट के अनुसार लालबाग की तरफ मुड़ना था। वहां पर जुलूस लालबाग की तरफ न मुड़कर यह सीधे विधान भवन की ओर जाने लगा। वहां पर सड़क पर पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। दो जीपों में पार्टी के कुछ प्रमुख नेता बैठे थे, उन्होंने पुलिस की लाइन के ऊपर जीप बढ़ाकर पुलिस का घेरा तोड़ा और विधान भवन की तरफ अग्रसर हुए, उनसे स्वीकृत रास्ते और पूर्व आश्वासन के अनुसार जुलूस ले जाने के लिये अनुरोध किया गया लेकिन इसी बीच पुलिस के ऊपर जुलूस ने पथराव किया। अतएव पथराव से बचने और जुलूस को निषेधाज्ञा तोड़ने से रोकने के लिये पुलिस ने अश्रुगैस छोड़ी और हलका लाठी चार्ज किया। दोनों जीपों में बैठे नेता पकड़ लिये गये। इनमें श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री उमाशंकर दीक्षित, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री बासुदेव सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे।

[श्री राम नरेश यादव--]

इसके बाद जी0 पी0 ओ0 पार्क में मीटिंग हुई और वहां बहुत से लोगों ने टोलियों में निषेधाज्ञा तोड़ने का प्रयास किया जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने मुख्य जुलूस निकलने से पहले ही लगभग 2.15 बजे विधान भवन के सामने एक टोली बना ली थी। उनको 34 आदमियों के साथ मुख्य जलूस के निकलने से पहले ही रायल होटल के पास निषेधाज्ञा तोड़ने के अभियोग में पकड़ लिया गया था।

इस प्रकार पूरे दिन में कुल मिलाकर लगभग 800 प्रदर्शनकर्ता तीन अवसरों पर पकड़े गये। उपलब्ध सूचना के अनुसार 136 व्यक्तियों ने अपने को अस्पताल में दिखाया जिनसे 25 प्रदर्शनकर्ता विभिन्न प्रकार की चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। उनमें से 6 व्यक्ति कल ही अस्पताल छोड़कर स्वेच्छा से चले गये। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार पकड़े जाने वाले लोगों में विधान सभा के 21 और विधान परिषद् के 18 सदस्य हैं।

सारी गिरफ्तारियां इस प्रकार अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा करनी पड़ीं। फिर भी शासन का कोई उद्देश्य विधान मंडल अथवा संसद के माननीय सदस्यों अथवा अन्य राजनैतिक नेताओं को अनावश्यक कष्ट देने का नहीं है। यह जुलूस तथा प्रदर्शन केवल 17 मार्च के लिये निर्धारित थे जो बीत चुकी है और अब शासन इस मामले को अनावश्यक तूल नहीं देना चाहता है। अतएव, सद्भावना का वातावरण पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें कोई भाषण नहीं होगा। स्पष्टीकरण करने के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने कहा कि हलका लाठी चार्ज किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को चोटें आयी हैं और कितने लोगों की हड्डियां टूटी हैं?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में विशेष सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि 800 लोग जो पकड़े गये और जेल में रखे गये तो उनको कल रात में कितने बजे खाना दिया गया? मेरी इत्तला है कि उनको खाना ही नहीं दिया गया।

श्री राम नरेश यादव--

यह सूचना बिल्कुल ही गलत है। (व्यवधान) जो लोग जेल में गये थे उनको खाना दिया गया है।

श्री श्याम धर मिश्र--

हम शोर में सुन ही नहीं पाते हैं कि क्या कहा।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो सूचना पहले दिया है उसके बारे में युवा जनता ने क्या मांगें मुख्य मंत्री जी के सामने रखी हैं? दूसरे जो कल गिरफ्तार किये गये हैं वह कितने हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न कल की घटना के बारे में करने की मैंने इजाजत दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज अखबारों में जिलाधिकारी, लखनऊ का बयान निकला है कि कौन-कौन लोग गिरफ्तार हुए, किस-किस को चोट आयी और कौन-कौन घायल हुआ, तो क्या उनको इसकी जानकारी है और यदि हां, तो क्या उसके आधार पर विस्तृत जानकारी सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उनका डाक्टरी मुआयना हुआ था। अगर नाम से जानना चाहते हैं तो मैं बतला दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि जिन पर लाठी चार्ज हुआ उनमें रिक्शा पर बैठकर चलने वाली साधारण औरतें भी घायल हुयीं और प्रेस फोटोग्राफर पर भी लाठी चार्ज हुआ और यह घटना निशात सिनेमा के पास जो कि बाउन्डेड एरिया नहीं थी वहां हुई ? किस कारण से उस एरिया में जो कि बाउन्डेड एरिया नहीं था, लाठी चार्ज किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

कहीं भी नियम के विरुद्ध लाठी चार्ज नहीं हुआ। जहां आवश्यक समझा गया लाठी चार्ज वहां हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनको चोटें आयीं हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो अस्पताल में हैं उनमें से कोई महिला नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञान है कि जेल के अन्दर गिरफ्तार होकर जो गये उनकी डाक्टरी की गयी, उनमें महिलायें भी हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

नेगी जी इस बात को जानते हैं कि जो भी बाहर से जाता है उसका जेल में मुआयना होता ही है।

श्री अध्यक्ष—

आप का प्रश्न है कि जो जेल में गये उनमें महिलाएं भी थीं और क्या उनकी डाक्टरी हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

जिनको चोट लगी होगी उनका डाक्टरी मुआयना हुआ होगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि नियमानुसार लाठी चार्ज हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि लाठी चलाने के क्या-क्या नियम हैं ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पं० कमलापति त्रिपाठी जी के साथ उनकी बहू को भी चोट आयी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, न कमलापति जी को चोट आयी और न उनकी बहू को ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि लाठी चार्ज करने से पहले क्या भीड़ को चेतावनी दी गयी कि अगर डिसपर्स न हुए तो लाठी चार्ज होगा ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सारी स्थिति और परिस्थिति में सारी बातें की गयीं कि लाठी चार्ज न होने पाये लेकिन जब वातावरण उद्यत हो गया, पत्थरबाजी होने लगी तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लाठी चार्ज करना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न केवल इतना है कि लाठी चार्ज करने से पहले कोई चेतावनी दी गयी या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

लाठी चार्ज करने से पहले और भीड़ को तितर बितर-करने के लिये जो सावधानी बरतनी चाहिये थी वह सारी सावधानी बरती गयी ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो दिया जा चुका है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि लाठी चार्ज नियमानुसार किया गया । लेकिन श्रीमन्, आज नवजीवन में जो फोटो छपी है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि रिक्शे पर बैठी हुई दो महिलाओं पर लाठी चल रही है । यह किस नियम के अनुसार पी० ए० सी० ने किया ? स्त्रियों पर लाठी चार्ज यह कौन सी नियम के अनुसार किया ?

(शोर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, नवजीवन की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता ।

पशुधन उपमंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

मान्यवर, नवजीवन में जो फोटो छपी है, वह लाठी नहीं लाठी की परछाई हैं । उसको इस तरह से छापा गया है कि लाठी की परछाई मालूम पड़ती है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया इस तरह से शोर न मचायें।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, प्रदेश में केवल एक मुख्य मंत्री हैं इसलिए मुख्य मन्त्री जवाब दें। मुख्य मंत्री जी की ओर से दूसरे माननीय मन्त्री जवाब दे सकते हैं। लेकिन उधर से माननीय सदस्यगण क्यों इस तरह से शोर करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे चुके हैं। अब समय हो गया है, हम उठते हैं। 20 मार्च, 1978 को 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर सोमवार, 20 मार्च, 1978 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
20 मार्च, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(संशोधन जो प्रस्तुत किये हुये हुए माने गये)

(देखिए पीछे पृष्ठ 91 पर)

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
2	श्री श्यामलाल अहेरवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया— 1—जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत जलालाबाद से जो सड़क गुगुरापुर काली नदी तक इस साल बनी है, उसको पूरा करवाने तथा नदी पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में। 2—डढ़वारी क्षेत्र जो काली नदी तथा गंगा के बीच में बसा हुआ एक लाख से अधिक की जनसंख्या है, वहां पर सिंचाई के साधन हेतु राजकीय नलकूप बनवाने के सम्बन्ध में। 3—डढ़वारी क्षेत्र में शिक्षा के सम्बन्ध में कोई जूनियर हाई स्कूल के अलावा इन्टरमीडिएट कालेज नया बनवाने के सम्बन्ध में। 4—डढ़वारी क्षेत्र के यातायात के सम्बन्ध में कोई पक्की सड़क नहीं है, के बनवाने के सम्बन्ध में। 5—जसौदा से जो सड़क कुसुम कोर के लिए जाने के लिये अधबनी पड़ी हुई है,उसे पूरा करवाने के लिए तथा पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में। 6—कन्नौज में गंगा नदी में राजघाट पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में जो कई जिलों के यातायात के सम्बन्ध में बहुत महत्व रखता है, के सम्बन्ध में। 7—गुरुसहायगंज से जो सड़क सुजान सराय को जाती है, कई सालों से अधबनी पड़ी हुई है, उसे तिर्वा खासतक मिलाने के सम्बन्ध में तथा ईशन नदी पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में। 8—कन्नौज नगर में चिकित्सा के सम्बन्ध में नये अस्पताल की इमारत बनवाने के सम्बन्ध में।
3	श्री हरि केवल प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:— 1—गत वर्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हरिजनों, समाज के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आयोग के गठन की बात कही गयी थी लेकिन उपरोक्त आयोग

क्रम-सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
3 श्री हरि केवल प्रसाद	का गठन अभी तक नहीं किया गया। इसका गठन किया जाय जिससे हरिजनों, कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो। 2—प्रदेश में सीलिंग से निकली भूमि तथा उसके किये गये पट्टे और सीलिंग से बचने के लिए भूमि चोरी की जांच गैर-सरकारी जांच समिति द्वारा कराई जाय। नैनीताल, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर आदि जनपदों में आज भी 5–5 हजार एकड़ के फार्म अवैध रूप से बरकरार हैं, जांच करा कर पट्टेधारकों को कब्जा दिलाया जाय। मंगलदेव विशारद भूमि सुधार समिति के सिफारिशों को लागू किया जाय। 3—दसवीं दर्जे तक निःशुल्क अनिवार्य एवं समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाय। 4—दस बीघे तक का लगान माफ किया जाय। 5—बेरोजगारों को बेकारी-भत्ता दिया जाय। 6—बालिग मताधिकार का वय 18 वर्ष किया जाय। 7—प्रदेश में लगभग 54 निगम कार्यरत हैं। निगमों में गैर सरकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाय तथा यहां ज्यादा भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय। 8—आपात्काल का समर्थन करने वाले प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाया जाय। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में ज्यादा छात्र असन्तोष को दूर करने के लिए उनके कुलपतियों एवं छात्र प्रतिनिधियों का गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाय तथा असन्तोष दूर करने के लिए नीति निर्धारित की जाय। 9—प्रदेश में राजनैतिक गतिविधियों को देखने के लिए बिछाए गए गुप्तचर विभाग के जाल का उपयोग सरकारी एवं अन्य कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये किया जाय। 10—गन्ना किसानों के हितों के रक्षा हेतु इससे सम्बन्धित पूर्ववर्ती गठित आयोगों की सिफारिशों को वर्तमान परिवेश में समीक्षा कर, लागू किया जाय। 11—ऐसी दाम नीति तैयार की जाय जिससे कारखाने में बने सामान बाजार में लागत से ड्योढ़े से अधिक मूल्य पर न बिकें तथा किसानों द्वारा पैदा सामानों के भाव में दो फसलों के बीच 16 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव न हो। 12—प्रदेश में नहरों तथा नलकूपों के सिंचाई दरों में समानता लाई जाय तथा नलकूप की कमाण्ड एरिया मात्र 200 एकड़ रखा जाय।

1	2	3
3	श्री हरि केवल प्रसाद —(समाप्त)	13——पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए लघु उद्योग व्यापक पैमाने पर लगाये जाय तथा औद्योगिक मामले में पिछड़े जनपदों की सूची में देवरिया को भी सम्मिलित किया जाय। 14——सीमेन्ट का कन्ट्रोल समाप्त किया जाय जिससे ग्राम जनता को ग्रासानी से सीमेन्ट उपलब्ध हो। 15——प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों में बहुमत प्राप्त पंजीकृत यूनियनों के मांग-पत्रों पर 15 दिनों के ग्रन्दर उन्हें निर्णय से ग्रवगत कराया जाय। 16——देवरिया में महिला डिग्री कालेज खोला जाय। 17——डेलीवेजेज एवं वर्कचार्ज में लगातार तीन वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी सेवा में लिया जाय। 18——ग्रापातकाल के दौरान ग्रकारण सेवा से निष्कासित कर्मचारियों के केसों की समीक्षा कर उन्हें सेवा में लिया जाय। 19——दाल एवं तेलहन के ग्रभाव को दूर करने के लिए ग्रधिक पैदावार वाले बीजों का विकास किया जाय तथा इसके प्रचार व प्रसार के साथ ही साथ ग्रधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। 20——सरकारी सेवाग्रों के लिए निर्धारित ग्रायु सीमा के ग्रन्तर्गत रोजगार देने की गारन्टी दी जाय, यदि तत्काल ऐसा सम्भव न हो तो सरकारी नौकरियों के लिए लगे ग्रधिकतम ग्रायु सीमा के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय। 21——ग्राम जनता के स्वास्थ्य रक्षा हेतु ग्रधिक मात्रा में नि:शुल्क दवाग्रों के साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक्स-रे एवं ग्रन्य ग्राधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कराया जाय। 22——1973 में तथा कथित पुलिस, पी0 ए0 सी0 विद्रोह में सेवा से वंचित किये गये पुलिस, पी0 ए0 सी0 कर्मचारियों पर से ग्रापात्काल तथा पूर्व के मुकदमें वापस लिये जायं ग्रौर उन लोगों को राहत देने हेतु कार्यक्रम बनाया जाय।
4	डा0 ग्रश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'	प्रस्ताव के ग्रन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—— "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने ग्रपने ग्रभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—— 1——उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बेकार एवं पंजीकृत व्यक्ति को जब तक जीवन निर्वाह योग्य काम न मिले, बेकारी-भत्ता प्रदान किया जाय। 2——प्रदेश के नौजवानों, छात्रों ग्रादि के लिए सरकार 'युवजन विधान' (Youth Law) बनाएगी, जिसके द्वारा नौजवानों एवं छात्रों को कर्तव्य, ग्रधिकार ग्रौर दायित्व का बोध हो सके।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
4	डा0 अश्वनी कुमार (असमाप्त)	3—सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए तीन माह के अन्दर प्रगति एवं विकास हेतु Master Plans तैयार कराएगी जिसके द्वारा क्षेत्रों के अन्तर्गत सिंचाई, सड़क, चिकित्सा, उद्योग, बिजली, पेयजल आदि की समग्र व्यवस्था की जा सके। 4—सरकार अभिजातवर्ग (ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार आदि) के गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 'अभिजातवर्ग आयोग' बनाएगी और यह प्रयास करेगी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत न होकर आर्थिक होगा। 5—सरकार महिलावर्ग की समस्याओं के अध्ययन हेतु 'महिला आयोग' की घोषणा करेगी, जिससे कि समाज के लगभग पचास प्रतिशत व्यक्तियों की गिरी हुई हालत में सुधार हो सके। 6—सरकार 'जातिप्रथा-उन्मूलन-आयोग' की घोषणा करके समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जातिवादी आधारों पर अंकुश लगाएगी। 7—सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्राविधान करेगी। 8—सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, कर्मचारियों एवं ग्रामीण मजदूरों के लिए 'संग्रथित सामाजिक सुरक्षा योजना' (Integrated Social Security Scheme) बनाएगी। 9—सरकार शिक्षा को न्यायपालिका का स्तर प्रदान करेगी। 10—सरकार के द्वारा प्रत्येक शिक्षा-संस्थान में 'छात्र-संसद' और प्रत्येक विकास क्षेत्र में 'युवा-संसद' का निर्माण किया जायगा जिसके द्वारा नई पीढ़ी को जनतांत्रिक शिक्षण दिया जा सके। 11—सरकार प्रत्येक गांव में Labour Bank की स्थापना करेगी, जिसमें भूमिहीनों के लिए राजकीय सुविधाओं के माध्यम से खेती की बढ़ी उपज का एक हिस्सा अनिवार्यतः जमा किया जायेगा। 12—सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनायें कार्यान्वित करेगी। 13—सरकार प्रदेश की किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति के नाम के आगे जाति अथवा मजहब-सूचक शब्द प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाएगी। 14—सरकार प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अध्यापकों के वेतनमान आदि एकीकृत करेगी। 15—सरकार एक 'राज्य वेतन मण्डल' (State Wage Board) बनायेगी, जिसके द्वारा गांव के चौकीदार से लेकर राज्यपाल महोदय तक तनख्वाहों आदि में 'एक और दस' के अनुपात को सुनिश्चित करेगी। 16—सरकार के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के लिए वेतन, आय, दाम तथा खर्च का समन्वय स्थापित किया जायगा।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
4	डा0 अश्वनी कुमार —(समाप्त)	17—सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों, कर्मचारियों, छोटे दूकानदार, व्यवसाइयों से पिछला बकाया वसूल करने के पूर्व प्रदेश के पूंजीपतियों से अरबों की बकाया धनराशि वसूल करेगी । 18—सरकार अहिंसक-आन्दोलन, प्रदर्शन, धरना, घेराव और जन-समस्याओं हेतु अनशन आदि पर प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी । 19—प्रदेश में श्रमिक-शिक्षण हेतु सरकार एक 'श्रमिक-शिक्षण विश्वविद्यालय' की स्थापना करेगी । 20—सरकार प्रत्येक एक हजार गांव के बीच एक ग्रामीण विश्वविद्यालय (Rural University) की स्थापना करेगी जिसे 'रोजगार-पूरक शिक्षा' और 'सार्वभौम-शिक्षा' के आधार पर नियोजित किया जायगा । 21—प्रदेश में आरक्षणों का आधार केवल गरीबी होगी, जिससे कि हरिजनों, आदिवासियों और अन्त्यजों को लगभग सत्तर प्रतिशत आरक्षण अथवा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ।
5	श्री पुरुषोत्तम कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अधोलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—प्रदेश के सर्वाधिक लोगों के बोलचाल की मधुर, समृद्ध भोजपुरी भाषा के सर्वांगीण विकास एवं समृद्धि हेतु "भोजपुरी अकादमी" की तत्काल स्थापना । 2—प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा आदि दैवी आपदाओं तथा फसलों की बीमारियों से तथा फसल नाशक जन्तुओं से व्यापक पैमाने पर होने वाली कृषकों की क्षति के परिप्रेक्ष्य में तत्काल सामान्य फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू करना । 3—सम्पूर्ण शिक्षा का तत्काल राष्ट्रीयकरण तथा पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था । 4—पूर्वी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक शोचनीय परिवहन व्यवस्था को चुस्त, दुरुस्त, सक्षम बनाकर विभागीय भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा गोरखपुर रीजन में अन्तर्राज्यीय बस सेवा की व्यवस्था तथा पडरौना में बस डिपो एवं कार्यशाला की स्थापना कर गोरखपुर परिक्षेत्र की सत्तर प्रतिशत खराब बसों के स्थान पर नई बसों की व्यवस्था । 5—असाधारण रूप से ट्रकासुरों तथा बसासुरों से होने वाली बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की अविलम्ब रोकथाम । 6—सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सिंचाई, कृषि, सहकारिता, सामान्य प्रशासन, गृह, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विद्युत्, गन्ना विकास, पशुपालन,

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
5	श्री पुरुषोत्तम कौशिक —(असमाप्त)	नियोजन, सामुदायिक विकास विभाग के जिन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध उत्कोच, अनियमितता, पक्षपात, पद का दुरुपयोग, संदिग्ध निष्ठा आदि अपराधों के आधार पर जांच के उपरान्त शासन को प्रेषित आख्या के सन्दर्भ में तत्काल प्रभावी कार्यवाही अथवा सतर्कता अधिष्ठान की समाप्ति ।

7—पडरौना तहसील में चकबन्दी विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्तर प्रतिशत निर्बल, निरीह, गरीब ग्रामीणों पर किये जा रहे बर्बर अत्याचार की तत्काल रोकथाम ।

8—प्रदेश के गन्ना किसानों के समक्ष उत्पन्न अभूतपूर्व ऐतिहासिक संकट का तत्काल समाधान तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गुड़ निर्माताओं से लाभप्रद मूल्य पर गुड़ की खरीद ।

9—(क) प्रदेश में प्रतिदिन बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में तत्काल सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही तथा गृह विभाग की विभिन्न शाखाओं (फूडसेल, एग्रीकल्चर सेल, सहकारिता सेल, विद्युत् सेल आदि) में सेवारत,कुशल, कर्तव्यपरायण, कर्मठ पुलिस अधिकारियों की सिविल पुलिस में तत्काल वापसी कर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना ।

(ख) प्रदेश सरकार द्वारा बन्दी गृहों में पड़े पी0 ए0 सी0 के जवानों तथा नक्सलवादियों की अविलम्ब रिहाई ।

10—देवरिया जनपद में ठोस ऐतिहासिक एवं पुरातत्व सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर पावापुरी (पडरौना) में पुरातत्व खोज का कार्य प्रारम्भ कराना ।

11—भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि कुशीनगर (देवरिया जनपद) को आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाना तथा बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना ।

12—देवरिया जनपद के पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खण्डों में संक्रामक रूप से फैलते हुए घेघा रोग का तत्काल रोकथाम करना ।

13—प्रदेश में तीव्र संक्रामक रूप से फैलते हुए नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, पालित रोग, कृमि रोग तथा मलेरिया के उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही ।

14—(अ) देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में गन्डक कमान्ड एरिया में पडरौना तथा विशुनपुरा विकास का पचास हजार एकड़ कृषि क्षेत्रफल की रक्षा हेतु झरही नाले का तत्काल नहरीकरण तथा बांसीनाले पर ढिलवां घाट (बबुइया हरपुर) तथा सीगापट्टी ग्राम सभा के पास पुल का निर्माण ।

(ब) राजकीय सेवाओं में आरक्षण का आधार जातिगत न बनाकर आर्थिक आधार पर सुनिश्चित करना ।

15—सिंचाई विभाग में तदर्थ नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की सेवाओं का अविलम्ब स्थायीकरण ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
5	श्री पुरुषोत्तम कौशिक —(समाप्त)	16—सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की (दस वर्षों से सेवारत) सेवाओं को नियमित करने हेतु। 17—आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक को पूर्ण राजकीय संवर्द्धन तथा संरक्षण हेतु। 18—पडरौना तहसील में पशुधन विकास की सर्वाधिक संभावनाओं को दृष्टिगत रख डेरी फार्म तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना एवं प्रदेश में कृषि के एक मात्र आधार पशुधन की पूर्ण सुरक्षा व संवर्द्धन हेतु ठोस योजना। 19—सत्ता का पूर्ण विकेन्द्रीकरण। 20—सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के स्वरूप में किसी प्रकार का अवांछित परिवर्तन न करने की गारन्टी। 21—दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च, 1978 में पडरौना तहसील में खजुरिया (पोखरहा टोला), बेलवा-बाबूराम, मनिकौरा (मेड़िहार टोला), मिश्रौली (सिसवा गोइती), रामधाम, विशुनपुरा, सेगरा, हरदो, खरसाल (बबुइया हरपुर), कोठिलवा (शझरशेर का टोला) आदि गांवों में लोमहर्षक अग्निकांड में गरीब पिछड़े ग्रामीणों का सर्वस्व स्वाहा हो गया, उन्हें राजकीय कोष से विशेष अनुदान देना। 22—पडरौना तहसील में गन्डक नहर की शाखा मठिया ब्रांच, हरपुर रजबहा, चितहा राजबहा, धौरिया राजबहा, बड़हरा राजबहा, खसरारी ब्रांच, डुमरी रजाबहा, सपहा राजबहा, कल्याण राजबहा, नौगावां माइनर, कुदौना माइनर, गायघाट राजबहा, किन्नर पट्टी माइनर, रसूलपुर माइनर, सांड माइनर, बरहज माइनर, सोनवाल माइनर, चन्नरपुर माइनर, सुखसवलिया माइनर, कठकुइयां माइनर, सिकटा माइनर, मंगलपुर ड्रेन, औझवलिया ड्रेन, बलकुड़िया ड्रेन, सिगापट्टी ड्रेन, पडरौना ड्रेन, सखुई ड्रेन पर तत्काल अत्यावश्यक पुल-पुलिया, साइफन तथा ठोकरों का निर्माण। 23—चैती राजबहा का अविलम्ब निर्माण कर बीस हजार एकड़ क्षेत्रफल में सिंचाई का विस्तार।
6	श्री राम अधार राय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है:— 1—प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, उसे ठीक किया जाय। 2—कांग्रेसी शासन में किसानों की बढ़ी मालगुजारी व विकास कर की वसूली इस शासन में बड़ी ज्यादती के साथ हुई है, बगैर कानूनी तौर से मवेशियों को मवेशीखाने में भेजा गया। भीलमपुर, लाड़ोव आदि ग्रामों में मवेशियों को मवेशीखानों में भेजा गया। बढ़ी मालगुजारी व विकास-कर को सम्पूर्णतौर से माफ कर दिया जाय।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6	श्री राम अधार राय —(समाप्त)	3—गन्ना मिलों को प्रदेश में एक माह बाद चलाया गया प्रारम्भ में उस ओर ध्यान नहीं दिया गया जिससे गन्ना संकट पैदा हुआ है। लाखों एकड़ भूमि में गेहूं की बुवाई नहीं हो पाई है, ऐसी दशा में किसानों की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा कराई जाय। 4—छात्रों की समस्याओं की ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे छात्र असन्तोष बढ़ रहा है। विशेष तौर से आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाय। 5—अल्पसंख्यक, हरिजन अति पिछड़े वर्ग की उपेक्षा बन्द की जाय तथा आर्थिक दृष्टि से निर्धन अन्य जातियों को भी शिक्षा आदि में विशेष सुविधा प्रदान की जाय।
7	श्री देव कुमार यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:— 1—प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति। 2—प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण तथा गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाना। 3—बुन्देलखण्ड के समुचित विकास के-लिए बुन्देलखण्ड विकास कमीशन नियुक्त करना। 4—होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद के छात्रों की मांगों को स्वीकार करने का उल्लेख। 5—माध्यमिक शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करना। 6—बांदा में 1857 की पहिली जंग-आजादी के सूरमा नवाब अली बहादुर खानी व उनकी बहादुर बेटी राबिया बेगम की यादगार में म्यूजियम और महिला डिग्री कालेज खोलने का एलान। 7—बांदा जिले की बबेरू तहसील में ट्यूबवेल नहरों के विस्तार व खेड़ा के पास जमुना नदी पर पम्प कैनाल का बनाया जाना। 8—बबेरू तहसील में साण्डा–सिंहपुर रोड, पतवन–मधोवा रोड, पवइया-बेलदान रोड बनाने और ओरन-कमासिन रोड को पक्का कराने का एलान। 9—बांदा जिले में ओला–पाला की स्थिति को ध्यान में रख कर लगान वसूली व सभी सरकारी मतालबों व कर्जों की वसूली रोकना। 10—बबेरू में बालिका हाई स्कूल और मर्का में हाई स्कूल खोलना। 11—ग्राम हथौड़ा लिंक रोड पर पुल बनवाना।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8 श्री मित्रसेन यादव : प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति ।

2—गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाना ।

3—शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने तथा विद्यालयों एवं शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त असन्तोष ।

4—फैजाबाद मण्डल में लघु उद्योगों का खोला जाना ।

5—फैजाबाद जनपद में स्थापित होने वाले आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाएं कब से संचालित होंगी ?

6—फैजाबाद जनपद में सिंचाई साधन तथा आवागमन के साधन का किस प्रतिशत तक बिकास हुआ है ?

7—फैजाबाद जनपद में आने वाले वर्ष में कितनी सड़कें, सिंचाई के साधन तथा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जायगी?

8—फैजाबाद जनपद में शाहगंज का तमसा नदी का पुल हरिंगटनगंज, लक्ष्मणपुर ग्रन्ट रोड पर बिसुही नदी के पुल तथा देवगांव बाराबंकी रोड के बेतवा नाले के पुल का के निर्माण।

9—शाहगंज, कुचेरा, तरौली, गदौपुर, अमानीगंज रोड तथा हरिंगटनगंज, मलेथू तथा लक्ष्मणपुर ग्रन्ट रोड का उल्लेख तथा शाहगंज देहली, बाजार रोड का निर्माण ।

10—फैजाबाद जनपद में कृषि योग्य उपलब्ध जमीनों को भूमिहीनों को बांटने तथा सीलिंग कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा सार्वजनिक संस्थाओं को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने एवं बढ़ा हुआ लगान ।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0-27 वि0 सभा-20-7-78(1234)-1978-843 (हि0) ।